भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन

राजस्व प्रक्षेत्र

बिहार सरकार

2014 का प्रतिवेदन संख्या–3

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय– I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	5
कर निर्धारण में बकाये	1.3	6
कर का अपवंचन	1.4	7
वापसी के लंबित मामले	1.5	8
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	8
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दो से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण	1.7	11
लेखापरीक्षा योजना	1.8	14
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	14
इस प्रतिवेदन का आच्छादन	1.10	14
अध्याय–II : वाणिज्य–कर		
कर प्रशासन	2.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	15
'प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	17
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	2.4	42
आवर्त का छिपाव	2.5	43
अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.6	44
कर का गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण	2.7	45
कटौतियों की गलत अनुमति	2.8	46
ट्रांजिट बिक्री के मद में अनियमित कटौती	2.9	46
मूल्यवर्द्धित कर/प्रवेश कर का गलत/अधिक प्रतिपूर्ति	2.10	47
कर का कम भुगतान एवं ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	2.11	48
विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	2.12	49
औषधि एवं दवाइयों की बोनस बिक्री पर कटौती की गलत अनुमति	2.13	49
स्रोत पर कर की कटौती नहीं किया जाना	2.14	50
क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	2.15	51
छूट का गलत/अधिक लाभ लिया जाना	2.16	51

रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं किया जाना	2.17	52
उर्जा की बिक्री पर विद्युत शुल्क नहीं लगाया जाना	2.18	53
मनोरंजन कर का कम आरोपण किया जाना	2.19	54
निबंधन नहीं कराए जाने हेतु विलासिता कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	2.20	54
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.21	55
अध्याय–III : राज्य उत्पाद		
कर प्रशासन	3.1	57
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	57
अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	3.3	58
शराब के उत्पाद अनुज्ञप्तियों का आवंटन	3.4	58
उत्पाद राजस्व के गबन के मामले	3.5	64
उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के बाद अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली	3.6	66
जमानत राशि के गलत समायोजन के कारण अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता	3.7	67
अनुज्ञा शुल्क के विलम्ब से जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	3.8	67
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.9	68
अध्याय– IV : वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	69
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	69
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	4.3	70
मोटर वाहनों पर करों की वसूली नहीं किया जाना	4.4	70
व्यापार प्रमाणपत्र शुल्क की कम वसूली	4.5	71
माल वाहक वाहनों से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की कम वसूली	4.6	72
तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर	4.7	72
ट्रेलरों से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की कम वसूली	4.8	74
ट्रैक्टर से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की नहीं/कम वसूली	4.9	74
टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन	4.10	75
मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/कम वसूली	4.11	76
चालक अनुज्ञप्ति का प्रपत्र–7 में नवीकरण नहीं किया जाना	4.12	77
अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों की सुपुर्दगी के कारण राजस्व की हानि	4.13	78
आंतरिक लेखापरीक्षा	4.14	79

अध्याय–V : अन्य कर प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	5.1	81
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	81
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	5.3	82
कः भू–राजस्व		
सैरात के बंदोबस्ती पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं/कम होना	5.4	82
खः मुद्रांक एवं निबंधन फीस		
प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध होना	5.5	83
निष्पादित प्रेषित मामलों से सरकारी राजस्व की वसूली नहीं होना	5.6	84
मोबाइल कम्पनियों तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जाना	5.7	85
भूमि के प्रकार का गलत वर्गीकरण	5.8	85
आंतरिक लेखापरीक्षा	5.9	86
अध्याय– VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ		
अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग		
कर प्रशासन	6.1	87
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	87
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	6.3	88
कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	6.4	88
माइनिंग प्लान के अनुमोदन के बिना खनिजों का उत्खनन	6.5	89
बालू घाटों की बंदोबस्ती के विलेख का निबंधन नहीं कराये जाने से राजस्व की हानि तथा पट्टेधारी को अदेय लाभ	6.6	90
ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम किया जाना	6.7	91
साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	6.8	91
अधिनियमों/नियमावली के लगातार उल्लंघन हेतु जुर्माना का आरोपण नहीं किया जाना	6.9	92
पत्थर खानों के बंदोबस्तधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली	6.10	93
आतंरिक लेखापरीक्षा	6.11	94
परिशिष्ट		95

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत् बिहार राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के धारा 16 के तहत् की जाती है। इस प्रतिवेदन में बिहार सरकार के वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक शुल्क तथा निबंधन फीस एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2013–14 की अवधि के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गये, साथ ही साथ उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2013–14 के आगे की अवधि के मामले भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,403.80 करोड़ से सन्निहित कर, ब्याज इत्यादि का आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण से संबंधित 44 कंडिकाएँ हैं, जिसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले भी शामिल हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2013–14 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 68,918.65 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 19,960.68 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 1,544.83 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 21,505.51 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 47,413.14 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्साः ₹ 34,829.11 करोड़ और सहायता अनुदानः ₹ 12,584.03 करोड़) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कर राजस्व में राज्य सरकार का अपना योगदान कुल राजस्व का मात्र 31 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2013 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2014 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 4,806 एवं 27,764 थी जिसमें ₹ 17,825.55 करोड़ सन्निहित थे। 1,773 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनके निर्गत होने के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6)

हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की वर्ष 2013–14 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 3,357 मामलों में ₹ 2,310.97 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। अप्रैल 2013 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान संबंधित विभागों ने ₹ 785.06 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसे वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये थे।

(कंडिका 1.9)

II. वाणिज्य–कर

'प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसुचित हुई।

प्रवेश कर की दरों को चार से पाँच प्रतिशत बढाने हेतु अधिसूचना जारी करने के क्रम में मंत्रिमंडल के निर्णय से विचलन किया गया जिसमें ₹ 8.37 करोड़ का राजस्व प्रभाव निहित था।

(कंडिका 2.3.7.1)

मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम लागू होने के बाद बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 में संशोधन नहीं किये जाने के कारण विवरणी की संवीक्षा, ब्याज और दण्ड का आरोपण एवं टैक्स ऑडिट संबंधी प्रावधान प्रवेश कर अधिनियम में लागू नहीं थे।

(कंडिका 2.3.8.1)

बिहार ट्रेड डेवलपमेंट फण्ड के अंतर्गत संग्रहित कुल राशि ₹ 7,482.61 करोड़ का उपयोग प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित उद्देश्यों एवं विहित तरीके से नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.9)

पन्द्रह अंचलों में, ₹ 37.88 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं के आयात करने के बावजूद 26 व्यवसायियों ने प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं कराया जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 4.24 करोड़ का प्रवेश कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

तेरह अंचलों में, वर्ष 2008–2009 से 2012–13 की अवधि में मात्र 12.57 से 17.48 प्रतिशत व्यवसायियों का कर निर्धारण किया गया था।

(कंडिका 2.3.13)

वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान ₹ 714.89 करोड़ मूल्य के आयात का छिपाव 14 अंचलों में 21 व्यवसायियों द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 223.29 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.14)

वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान नौ अंचलों के 22 व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर के गलत दर लगाये जाने के कारण आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 66.66 करोड़ का प्रवेश कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.3.15)

लेन–देन की तिर्यक जाँच से वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 1,416.22 करोड़ के आयात मूल्य का छिपाव एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 119.03 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण का पता चला।

(कंडिका 2.3.21.1 एवं 2.3.21.2)

बिहार के मार्ग से होते हुए पारगमन के लिए ₹ 5,402.37 करोड़ मूल्य के मालों के साथ 12,552 वाहनों ने दो चेक पोस्ट पर आउट टू आउट सुविधा का उपयोग किया। यद्यपि इन वाहनों का बिहार में प्रवेश हुआ परन्तु निकास नहीं हुआ, जिससे राजस्व का रिसाव हुआ।

(कंडिका 2.3.22)

ग्यारह वाणिज्य–कर अंचलों में 15 व्यवसायियों द्वारा ₹ 217.87 करोड़ के विक्रय/क्रय आवर्त्त का छिपाव किये जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 76.27 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.5)

चार वाणिज्य–कर अंचलों में सात व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 33.80 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.6)

भागलपुर वाणिज्य–कर अंचल में उर्जा की बिक्री पर अर्थदण्ड सहित ₹ 416.96 करोड़ का विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं हुआ था।

(कंडिका 2.18)

III. राज्य उत्पाद

न्यूनतम निविदादाता द्वारा निविदित दर के बदले उनके निविदित दर के आधार पर अंतर राशि के भुगतान की अनुमति दिए जाने के कारण विभाग वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 341.32 करोड़ से वंचित रहेगा।

(कंडिका 3.4.2.1)

तीन उत्पाद कार्यालयों में कोषागार अभिलेखों से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा की गई राशि का सत्यापन एवं उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा बिक्री अधिसूचना के शर्त्तों का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 8.15 करोड़ का गबन हुआ।

(कंडिका 3.5)

IV. मोटर वाहनों पर कर

तीस जिला परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2008 एवं मार्च 2014 के अवधि के बीच 1,608 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 2.09 करोड़ के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 5.84 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकायों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गयी थी।

(कंडिका 4.4)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

मोबाइल कम्पनी तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर ₹ 18.34 लाख का मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 5.7)

VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

छः जिला खनन कार्यालयों में खनिजों के अवैध अधिप्राप्ति हेतु कार्य संवेदकों के विरूद्ध ₹ 5.47 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था, जबकि आरोप्य था।

(कंडिका 6.4)

छः जिला खनन कार्यालयों में बालू घाटों की बंदोबस्ती के विलेखों का निबंधन नहीं कराए जाने के कारण ₹ 2.94 करोड़ के निबंधन फीस की हानि हुई।

(कंडिका 6.6)

अध्याय-I
सामान्य

अध्याय–I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013–14 के दौरान बिहार सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को प्रदत्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका– 1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्योरे	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	8,089.67	9,869.85	12,612.10	16,253.08	19,960.68
	• कर भिन्न राजस्व	1,670.42	985.53	889.86	1,135.27	1,544.83
	कुल	**9,760.09**	**10,855.38**	**13,501.96**	**17,388.35**	**21,505.51**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध प्राप्ति में हिस्सा	18,202.58	23,978.38	27,935.23	31,900.39	34,829.11[1]
	• सहायता अनुदान	7,564.16	9,698.56	9,882.98	10,277.92	12,584.03
	कुल	**25,766.74**	**33,676.94**	**37,818.21**	**42,178.31**	**47,413.14**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**35,526.83**	**44,532.32**	**51,320.17**	**59,566.66**	**68,918.65**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**27**	**24**	**26**	**29**	**31**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 21,505.51 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 31 प्रतिशत था। वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 69 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था।

[1] पूर्ण विवरण के लिए कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2013–14 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11–लघु शीर्ष राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष–0020 निगम कर (₹ 11,713.47 करोड़), 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 7,712.96 करोड़), 0032–सम्पत्ति पर कर (₹ 32.16 करोड़), 0037–सीमा शुल्क (₹ 5,682.75 करोड़), 0038–संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 4,013.57 करोड़), 0044–सेवा पर कर (₹ 5,674.21 करोड़) तथा 0045–अन्य कर (– ₹ 1.00 लाख) लघु शीर्ष–901–निबल प्राप्तियों में राज्य को समनुदिष्ट हिस्सा के अंतर्गत आँकड़े जो वित्त लेखा में क – कर राजस्व में दिखलाए गए हैं, को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से हटाकर विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।

1.1.2 वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि में सृजित कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका– 1.2

सृजित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	राजस्व शीर्ष	2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14		निम्न की तुलना में वर्ष 2013–14 की वास्तविक में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	2013–14 का बजट अनुमान	2012–13 का वास्तविक
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,948.03	3,839.29	5,627.69	4,557.18	6,508.00	7,476.36	8,071.00	8,670.79	12,324.04	8,453.02	(–)31.41	(–)2.51
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	1,270.00	1,613.16	1,623.76	2,006.32	1,940.00	828.30	2,800.00	1,932.12	1,192.75	4,349.00	(+)264.62	(+)125.09
3.	राज्य उत्पाद	850.00	1,081.68	1,400.00	1,523.35	1,790.00	1,980.98	2,715.00	2,429.82	3,300.00	3,167.72	(–)4.01	(+)30.37
4.	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	750.00	997.90	1,215.00	1,098.68	1,600.00	1,480.07	1,906.00	2,173.02	3,200.00	2,712.41	(–)15.24	(+)24.82
5.	वाहनों पर कर	335.00	345.13	550.00	455.43	537.00	569.13	644.40	673.39	800.00	837.48	(+)4.69	(+)24.37
6.	भू–राजस्व	76.22	123.96	112.17	139.02	125.20	167.49	185.00	205.45	205.00	201.71	(–)1.60	(–)1.82
7.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	63.06	66.63	90.25	65.22	60.70	54.69	60.70	102.55	66.17	141.31	(+)113.56	(+)37.80
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	32.50	21.92	24.29	24.65	24.99	25.52	41.99	28.99	34.14	50.43	(+)47.69	(+)73.92
9.	आय एवं व्यय पर अन्य कर– पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर	0.81	शून्य	1.00	शून्य	23.30	29.56	31.00	36.95	32.59	47.60	(+)46.05	(+)28.82
कुल		**7,325.62**	**8,089.67**	**10,644.16**	**9,869.85**	**12,609.19**	**12,612.10**	**16,455.09**	**16,253.08**	**21,154.69**	**19,960.68**	**(–)5.64**	**(+)22.81**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत))

तालिका 1.2 से यह देखा जा सकता है कि बजट आकलन एवं वास्तविक में वर्ष 2013–14 के दौरान (–) 31.41 से (+) 264.62 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः करों के विभिन्न शीर्षों के तहत् वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के वास्तविक में (–) 2.51 से (+) 125.09 प्रतिशत तक की भिन्नता थी।

संबंधित विभागों ने भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया थाः

मुद्रांक एवं निबंधन फीस : वर्ष 2012–13 के वास्तविक की तुलना में यह वृद्धि (24.82 प्रतिशत), निबंधित कागजातों के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई।

माँगें जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2014 के बीच) के बावजूद, अन्य विभागों ने भिन्नता का कारण सूचित नहीं किया (अगस्त 2014)।

हम यह अनुशंसा करते है कि राज्य सरकार बजट आकलन तैयार करते समय वास्तविक इनपुट को ले सकती है क्योंकि बजट आकलन एवं वास्तविक में काफी भिन्नता पायी गयी।

1.1.3 वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि में सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका– 1.3

सृजित कर भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	राजस्व शीर्ष	2009–10		2010–11		2011–12		2012–13		2013–14		निम्न की तुलना में वर्ष 2013–14 की वास्तविक में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	2013–14 का बजट अनुमान	2012–13 का वास्तविक
1.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	180.00	319.93	294.00	405.59	280.00	443.10	470.00	511.08	641.00	569.14	(–)11.21	(+)11.36
2.	ब्याज प्राप्तियाँ	53.62	353.27	216.37	237.96	370.82	573.70	263.74	167.12	338.48	269.48	(–)20.39	(+)61.25
3.	सड़क एवं पुल	19.03	30.02	27.98	39.60	33.00	60.35	44.67	32.56	64.03	40.72	(–)36.40	(+)25.06
4.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	13.39	14.08	17.60	15.33	14.94	23.91	13.41	41.02	25.40	29.93	(+)17.83	(–)27.04
5.	पुलिस	42.27	11.89	56.52	11.85	12.62	9.26	67.83	25.01	70.59	27.27	(–)61.37	(+)9.04
6.	वानिकी एवं वन्य जीव	10.00	6.78	6.55	7.64	8.00	11.04	7.05	16.60	13.20	19.58	(+)48.33	(+)17.95
7.	मध्यम सिंचाई	3.50	14.80	4.00	15.45	4.00	17.59	4.00	13.99	4.00	18.22	(+)355.50	(+)30.24
8.	मत्स्य पालन	7.66	7.87	7.32	7.28	15.89	10.16	9.14	11.79	10.78	10.72	(–)0.56	(–)9.08
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	100.39	9.42	39.37	19.98	59.64	11.49	46.56	10.01	65.01	10.18	(–)84.34	(+)1.70
10.	विविध सामान्य सेवाएँ	387.20	770.28	385.27	0.34	0.34	(–)383.78	1.20	22.03	0.86	0.28	(–)67.44	(–)98.73
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ		132.08		224.51		113.04		284.06		549.31		(+)93.39
कुल			**1,670.42**		**985.53**		**889.86**		**1,135.27**		**1,544.83**		**(+)36.08**

(श्रोतः वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत))

उपरोक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2013–14 के दौरान बजट आकलन एवं वास्तविक में (–) 84.34 से (+) 355.50 प्रतिशत तक की भिन्नता थी। पुनः, करों के विभिन्न शीर्षों के तहत् वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के वास्तविक में (–) 98.73 से (+) 93.39 प्रतिशत तक की भिन्नता था।

संबंधित विभागों ने भिन्नता का निम्न कारण प्रतिवेदित किया थाः

खान एवं भूतत्व विभागः वर्ष 2012–13 के वास्तविक की तुलना में यह वृद्धि (11.36 प्रतिशत) बालू घाटों के डाक राशि में बढ़ोतरी के कारण थी तथा वर्ष 2013–14 में बजट आकलन की तुलना में 11.21 प्रतिशत की कमी, कई बालू घाटों की बन्दोवस्ती नहीं होने के कारण हुई।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार बजट आकलन तैयार करते समय वास्तविक इनपुट को ले सकती है क्योंकि बजट आकलन एवं वास्तविक में काफी भिन्नता पायी गयी।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

प्रमुख शीर्षों से संबंधित 31 मार्च 2014 को बकाया राजस्व ₹ 2,593.05 करोड़ था, जिसमें से ₹ 536.77 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे, जिनका ब्योरा **तालिका 1.4** में दिया गया है।

तालिका– 1.4

राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,505.92	385.27	₹ 1,505.92 करोड़ में से ₹ 330.39 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 325.35 करोड़ एवं ₹ 12.55 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी एवं ₹ 3.38 करोड़ की वसूली सुधार/समीक्षा हेतु रोकी गई थी। ₹ 846.67 करोड़ रुपये अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
2.	माल एवं यात्रियों पर कर	572.00	4.39	₹ 572.00 करोड़ में से ₹ 17 लाख की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 485.13 करोड़ की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 86.70 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।

3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	97.94	2.36	₹ 97.94 करोड़ में से ₹ 1.49 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 69.08 लाख तथा 8.22 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 95.67 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
4.	राज्य उत्पाद	46.17	14.45	₹ 46.17 करोड़ में से ₹ 21.25 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 1.35 करोड़ एवं ₹ 5.08 लाख की वसूली पर क्रमशः न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 13.77 लाख व्यवसायी/पक्ष के दिवालिया होने के कारण रोकी गई थी। ₹ 39.52 लाख माफी के योग्य थे तथा ₹ 22.99 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
5.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10.05	9.46	₹ 10.05 करोड़ में से ₹ 8.88 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 4.52 लाख की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी तथा ₹ 1.13 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
6.	भू–राजस्व	148.01	शून्य	माँगें जाने (अप्रैल एवं जुलाई 2014 के बीच) के बावजूद बकायों की संग्रहण के लिए लंबित स्थितियाँ सूचित नहीं किये गये थे।
7.	खान एवं भूतत्व	212.96	120.84	₹ 212.96 करोड़ में से ₹ 185.02 करोड़ की माँग की वसूली के लिए बकाये भू–राजस्व के रूप में नीलामवाद दायर किए गए थे। ₹ 27.94 करोड़ अन्य स्थितियों में लम्बित थे।
कुल		**2,593.05**	**536.77**	

(श्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया की ₹ 536.77 करोड़ की वसूली पाँच से अधिक वर्षों से लम्बित थे तथा इनकी वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। ₹ 1,081.10 करोड़ के बकाये विभागीय प्राधिकारियों के पास लम्बित थे। माफी हेतु वैसे प्रेषित मामले (₹ 39.52 लाख) का अनुसरण संबंधित पक्ष के साथ भी नहीं किया जा रहा था।

1.3 कर निर्धारण में बकाये

वाणिज्य–कर विभाग द्वारा बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क से संबंधित उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसार वर्ष के आरम्भ में लंबित मामलों, निर्धारण योग्य मामलों, वर्ष के दौरान निष्पादित मामलों तथा वर्ष के अन्त में अंतिम निष्पादन के लिए लंबित मामलों की संख्या का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका– 1.5

निर्धारण में बकाये

राजस्व शीर्ष	आरम्भ शेष	वर्ष 2013–14 में निर्धारण योग्य नए मामले	कुल बकाये निर्धारण	वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निष्पादन की प्रतिशतता (स्तम्भ 5 का 4 से)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,618	52,579	60,197	21,226	38,971	35.26
माल एवं यात्रियों पर कर	327	1,589	1,916	682	1,234	35.59
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर	1,867	879	2,746	899	1,847	32.74
विद्युत पर कर तथा शुल्क	283	49	332	24	308	7.23

(श्रोतः विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

1.4 कर का अपवंचन

वाणिज्य–कर विभाग तथा निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले तथा अतिरिक्त कर हेतु माँग का सृजन का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया था, **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका–1.6

कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2013 को बकाये मामले	वर्ष 2013–14 के दौरान पता लगाए गए मामले	योग	मामलों की संख्या जिनका निर्धारण/अनुसंधान पूरा किया गया तथा वर्ष 2013–14 के दौरान अर्थदण्ड इत्यादि सहित सृजित अतिरिक्त माँग		31 मार्च 2014 तक लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की सं0	माँग की राशि	
1.	वाणिज्य–कर[2]	294	718	1,012	720	5.23	292
2.	राज्य उत्पाद	शून्य	25	25	शून्य	शून्य	25

(श्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वाणिज्य–कर विभाग में वर्ष के आरंभ में लम्बित मामलों की तुलना में वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है।

[2] वाणिज्य–कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

1.5 वापसी के लम्बित मामले

वर्ष 2013–14 के आरम्भ में वापसी से संबंधित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान दी गई वापसी की अनुमति तथा वर्ष 2013–14 के अंत में लम्बित मामले, जैसाकि विभाग द्वारा सूचित किए गए थे, **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका– 1.7

वापसी के लम्बित मामलों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	ब्योरे	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		प्रवेश कर		मनोरंजन कर		राज्य उत्पाद	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	1,708	80.67	100	1.09	6	0.02	433[3]	15.51
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	477	101.42	12	17.10	शून्य	शून्य	632	16.38
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	501	102.07	9	3.38	शून्य	शून्य	431	11.83
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1,684	80.02	103	14.81	6	0.02	634	20.06

(श्रोतः विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ)

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 70 (1) के अनुसार अगर आधिक्य राशि को आदेश होने के 90 दिनों के अंदर व्यवसायी को नहीं वापस किया जाता है तो आधे प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज देय होगा।

बिक्री व्यापार आदि पर कर के वापसी मामलों के दावों का निष्पादन प्राप्त दावों की तुलना में काफी धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, लेन–देन की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों की विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संधारण की जाँच हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। उन निरीक्षणों के बाद निरीक्षण प्रतिवेदनों को, जिनमें निरीक्षण के दौरान पाई गई तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है, निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रतियाँ भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकनों का शीघ्र अनुपालन, त्रुटियों एवं चूको का सुधार तथा इसके निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जाना अपेक्षित है। महत्वपूर्ण वित्तीय त्रुटियों को विभाग एवं सरकार के प्रमुख को प्रतिवेदित की जाती है।

[3] राज्य उत्पाद के संबंध में 433 मामलों का आरम्भ शेष, जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, पूर्व वर्ष में प्रतिवेदित तथा पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा में सम्मिलित 438 अन्त शेष से भिन्न था।

दिसम्बर 2013 तक निर्गत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से स्पष्ट था कि जून 2014 के अंत तक 4,806 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 17,825.55 करोड़ से सन्निहित 27,764 कंडिकाएँ लंबित थी, जैसाकि विगत दो वर्षों के तत्संबंधी आँकड़ों के साथ **तालिका 1.8** में दी गई है:

तालिका– 1.8

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निष्पादन के लिए लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,858	4,165	4,806
लम्बित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	20,979	23,327	27,764
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	8,754.19	10,847.46	17,825.55

1.6.1 30 जून 2014 तक बकाए निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों की विभागवार विवरणी तथा सन्निहित राशि **तालिका 1.9** में दी गई है:

तालिका– 1.9

विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाये लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1.	वाणिज्य–कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	691	8,936	10,089.28
		प्रवेश कर	180	554	247.34
		विद्युत शुल्क	24	29	39.68
		मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि	22	41	7.34
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	राज्य उत्पाद	507	2,658	1,656.59
3.	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू–राजस्व	1,799	7,971	2,751.81
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	609	3,660	1,321.37
5.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	513	1,430	238.29
6.	खान एवं भूतत्व	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	461	2,485	1,473.85
कुल			**4,806**	**27,764**	**17,825.55**

यहाँ तक कि वर्ष 2013–14 के दौरान निर्गत किए गए 1,773 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में प्रथम उत्तर, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने के एक माह के अन्दर कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त होना अपेक्षित था, प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों की अप्राप्ति के

कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद् विलम्बन, यह संसूचित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी त्रुटियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा अवलोकनों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने हेतु सरकार एक प्रभावकारी प्रक्रिया की स्थापना के लिए उचित कदम उठा सकती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के त्वरित निष्पादन की प्रगति एवं अनुश्रवण करने के लिए सरकार लेखापरीक्षा समितियाँ गठित करती है। वर्ष 2013–14 के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग के साथ एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक भी कंडिका निष्पादित नहीं की जा सकी। पूरे वर्ष (2013–14) के दौरान सिर्फ एक लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित किया जाना, सरकार को ज्यादा संख्या में बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के निष्पादन के अवसर से वंचित कर दिया था, जैसाकि पूर्ववर्त्ती कंडिका में वर्णित है।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु सरकार नियमित अंतराल पर विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन हेतु उपयुक्त कदम उठा सकती है।

1.6.3 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

सामान्यतः लेखापरीक्षा के एक माह पूर्व ही स्थानीय लेखापरीक्षा के कार्यक्रम तैयार कर तथा कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों को, जहाँ तक संभव हो, इसकी अग्रिम सूचना भी भेजी जाती है ताकि वे लेखापरीक्षा की संवीक्षा के लिए प्रासंगिक अभिलेखों को तैयार रख सकें।

वर्ष 2013–14 के दौरान 587 कर निर्धारण संचिकाएँ, रिटर्न, वापसी, पंजियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इनमें से किसी भी मामले में सन्निहित राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका। इन मामलों का विवरण **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें लेखापरीक्षा किए गए	मामलों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई
राजस्व एवं भूमि सुधार	2013–14	500
वाणिज्य–कर	2013–14	34
परिवहन	2013–14	11
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेद्य (निबंधन)	2013–14	8
खान एवं भूतत्व	2013–14	34
कुल		**587**

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को, महालेखाकार संबंधित विभागों के प्रधान

सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रसारित करते हैं। विभागों/सरकार द्वारा अप्राप्त उत्तर को निश्चित रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं के अंत में संसूचित किया जाता है।

चौवालीस प्रारूप कंडिकाओं, जिसमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा एक दीर्घ कंडिका भी शामिल है, को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को जून और अगस्त 2014 के बीच अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से भेजा गया था। स्मार पत्रों (अगस्त 2014) के बाबजूद 10 प्रारूप कंडिकाओं के संबंध में संबंधित प्रधान सचिवों/सचिवों द्वारा कोई उत्तर नहीं दिए जाने के कारण उन कंडिकाओं को प्रतिवेदन में बिना विभाग के मंतव्य के ही शामिल किया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही–संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्य प्रणाली ने दिसम्बर 2002 में यह अधिसूचित किया कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद विभागों द्वारा प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई आरम्भ की जायेगी एवं कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणी, विधानसभा में प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के तीन माह के अंदर, लोक लेखा समिति के विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे। इन प्रावधानों के बाबजूद विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब किए गए। जुलाई 2010 से अगस्त 2013 के बीच 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012 एवं 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित बिहार सरकार के राजस्व प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जिसमें कुल 169 कंडिकाएं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थी, को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। 31 मार्च 2003–04 से 2012–13 से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 98 कंडिकाओं पर संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2014)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से चयनित कुल 169 कंडिकाओं पर चर्चा की तथा इनमें से तीन कंडिकाओं पर की गई अनुशंसाओं को लोक लेखा समिति के अनुशंसा प्रतिवेदन में शामिल कर वर्ष 2013–14 के दौरान विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए। हालाँकि लोक लेखा समिति की तीन अनुशंसाओं पर निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध तथा परिवहन विभागों से संबंधित कार्रवाई टिप्पणी अबतक अप्राप्त है।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दो से संबंधित क्रिया–विधि का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दो के निराकरण से संबंधित क्रिया–विधि के विश्लेषण के क्रम में एक विभाग से संबंधित पाँच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं एवं लेखापरीक्षा निष्पादन पर सरकार/विभागों द्वारा की गई कार्रवाईयों का मूल्यांकन किया गया तथा इसे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व शीर्ष ''0030 मुद्रांक एवं निबंधन फीस'' के तहत् निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग से संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में पाए गए मामलों के साथ विभाग की क्रिया–विधि एवं वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित मामलों की समीक्षा अनुवर्ती कंडिकाएँ 1.7.1 से 1.7.3 में उल्लिखित है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

31 मार्च 2014 तक विगत पाँच वर्षों के दौरान निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं इन प्रतिवेदनों में समाहित कंडिकाओं की सारांशित स्थिति **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका–1.11

निरिक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निष्पादन			अंत शेष		
		नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि	नि0 प्र0	कंडिका	राशि
1	2008–09	336	940	79.75	41	103	64.00	शून्य	शून्य	शून्य	377	1,043	143.75
2	2009–10	377	1,043	143.75	34	71	2.90	शून्य	शून्य	शून्य	411	1,114	146.65
3	2010–11	411	1,114	146.65	24	53	22.43	शून्य	शून्य	शून्य	435	1,167	169.09
4	2011–12	435	1,167	169.09	29	54	52.18	शून्य	3	0.005	464	1,218	221.26
5	2012–13	464	1,218	221.26	45	188	12.90	शून्य	4	0.20	505	1,402	233.96

सरकार पुराने कंडिकाओं के निष्पादन हेतु विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समितियों की तदर्थ बैठकें आयोजित करती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008–09 के प्रारम्भ में कुल 336 निरीक्षण प्रतिवेदनों के कुल 940 कंडिकाएँ लम्बित थी, जो वर्ष 2012–13 के अन्त में संचयित होकर कुल 505 निरिक्षण प्रतिवेदन तथा 1,402 कंडिकाएँ हो गई। यह इंगित करता है कि इस संबंध में विभाग के द्वारा कोई प्रर्याप्त कदम नहीं उठाया गया था जिसके फलस्वरूप बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का भारी संचयन हुआ।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाएँ एवं विभाग द्वारा स्वीकृत मामलें एवं उनमें की गई वसूली की स्थिति **तालिका 1.12** में वर्णित है।

तालिका–1.12

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं में सन्निहित राशि	स्वीकृत मामलों के वसूली की संचयी स्थिति
2008–09	4 (एक आई.टी. समीक्षा सहित)	1.09	4	1.09	0.67
2009–10	1 (समीक्षा)	1.48	1 (आंशिक)	0.34	0.11
2010–11	1	0.61	1 (आंशिक)	0.61	0.55
2011–12	2	0.68	2	0.68	0.52
2012–13	3	6.40	3	6.40	0.19

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि विगत पाँच वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों मे भी वसूली की स्थिति काफी धीमी रही। स्वीकृत मामलों की वसूली संबंधित पक्षों से वसूलनीय बकाये के रूप में माँग की जानी थी। विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत मामलों के निराकरण सें संबंधित कोई तंत्र नहीं बनाया गया था। पुनः स्वीकृत लेखापरीक्षा अवलोकनों सहित बकाये मामले निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। उचित तंत्र के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों की वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका।

विभाग स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित बकायों की शीघ्र वसूली हेतु अनुश्रवण के लिए कदम उठा सकती है।

1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई

महालेखाकार द्वारा किए गए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा को संबंधित विभाग/सरकार को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एक्जिट कन्फरेंस में भी विचार विमर्श किया जाता है और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रुप देने के समय विभाग/सरकार के मंतव्यों को समाहित किया जाता है।

विगत पाँच वर्षों में निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग की निम्न निष्पादन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गयी। अनुशंसाओं का विवरण एवं उनकी स्थिति **तालिका 1.13** में दिया गया है।

तालिका–1.13

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष/निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का विवरण	स्थिति
2009–10 मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण	6	बजट अनुमानों को तैयार करने में बिहार बजट कार्यप्रणाली के नियम 54 के प्रावधानों का आवश्यक रूप से अनुपालन किया जाना;	उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं
		आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने को सुनिश्चित किया जाना एवं इसकी प्रभावशीलता की आवधिक समीक्षा किया जाना;	
		सभी लोक कार्यालयों का निरीक्षण एवं इसके लिए नियत प्रतिवेदनों/रिटर्न तथा इसका आवधिक प्रस्तुतीकरण के लिए मानक तय करना;	
		राजस्व वसूली नीलामवाद एवं इसके अनुवर्त्ती अनुपालन के लिए एक समय नियत करना;	
		प्रेषित/जब्त मामलों को भेजने एवं इसके निराकरण के लिए समय निर्धारित किया जाना;	
		किसी निकाय/प्राधिकार/स्कोर की ओर से राजस्व के संग्रहण हेतु आकस्मिक व्यय का दर निर्धारित किया जाना।	

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के ईकाई कार्यालयों को उनके राजस्व की स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों के पूर्व की प्रवृति तथा अन्य मानकों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिमों की श्रेणी में बांटा जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को, सरकारी राजस्व के महत्वपूर्ण मामलों एवं कर प्रशासन जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर जारी श्वेत पत्र, वित्त आयोग (केन्द्र एवं राज्य) का प्रतिवेदन, करारोपण सुधार समिति की अनुशंसाओं, पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व उगाही की सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के तत्वों, पिछले पाँच वर्षों में लेखापरीक्षा आच्छादन एवं इसका प्रभाव आदि के जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 963 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयाँ थी, जिसमें 295 ईकाइयों को योजना में लिया गया तथा 286 ईकाइयों की लेखापरीक्षा की गई, जो कुल लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों का 29.70 प्रतिशत है। विवरण **परिशिष्ट–I** में दर्शाये गये हैं।

कर प्रशासन की प्रभावशीलता को जाँचने के लिए उपर वर्णित अनुपालन लेखापरीक्षा के अलावे एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गई।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013–14 के दौरान वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस, भू–राजस्व तथा खान एवं खनिजों से प्राप्तियाँ से संबंधित 286 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, जिनमें अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के कुल 3,357 मामलों, जिनमें कुल ₹ 2,310.97 करोड़ की राशि सन्निहित थी, परिलक्षित हुए। अप्रैल 2013 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान संबंधित विभागों ने ₹ 785.06 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे।

1.10 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में 'प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 44 कंडिकाऐं (उपरोक्त संदर्भित वर्ष एवं पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए लेखापरीक्षा परिणामों, जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में समाहित नहीं किए जा सके थे, से चयनित) हैं जिसमें ₹ 1,403.80 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

विभागों/सरकार ने कुल ₹ 841.24 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 16.53 करोड़ की वसूली की गई। शेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2014)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से VI में की गई है।

अध्याय-II
वाणिज्य-कर

अध्याय–II : वाणिज्य–कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य–कर[1] का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके तहत् बने नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित हैः

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011 एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007;

यह वाणिज्य–कर विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्य–कर आयुक्त होते हैं। उनके कार्य सम्पादन में मुख्यालय स्तर पर अन्वेषण ब्यूरो स्कंध सहित पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त, 10 वाणिज्य–कर उपायुक्त/वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्य–कर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्र स्तर पर राज्य को नौ[2] प्रशासनिक प्रमंडलों, सात[3] अपीलीय प्रमंडलों एवं चार[4] लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान, वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 49 अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके प्रधान वाणिज्य–कर उपायुक्त/वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता वाणिज्य–कर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग के कार्यकलाप का मूलभूत केन्द्र है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान वाणिज्य–कर से संबंधित 55 लेखा परीक्षा योग्य इकाईयों में से 40 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से हमने ₹ 2,025.73 करोड़ से सन्निहित 1,563 मामलों में करों का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि **तालिका 2.1** में वर्णित है।

1 वाणिज्य–कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

2 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ, सारण एवं तिरहुत।

3 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णियाँ एवं तिरहुत।

4 भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

तालिका–2.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
	क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
1.	आवर्त करों का छिपाव	152	276.00
2.	कटौती का गलत अनुमति	200	36.94
3.	कर का गलत दर लगाया जाना	118	33.36
4.	इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति	89	30.40
5.	मूल्यवर्द्धित कर/प्रवेश कर का गलत/अधिक प्रतिपूर्ति	86	28.59
6.	रिवर्स क्रेडिट का संगणना नहीं किया जाना	14	17.32
7.	ट्रांजिट बिक्री के मद में अनियमित कटौती	12	15.78
8.	कर का कम भुगतान तथा ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	106	9.65
9.	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	80	3.26
10.	क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना	10	0.77
11.	अन्य मामले	446	147.71
	कुल	**1,313**	**599.78**
	ख : प्रवेश कर		
1.	**'प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा'**	1	812.99
2.	आयातित मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	46	92.14
3.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	23	28.00
4.	अन्य मामले	156	48.40
	कुल	**226**	**981.53**
	ग : विद्युत शुल्क		
1.	विद्युत शुल्क का नहीं/कम आरोपण	2	20.73
2.	उर्जा की बिक्री के छिपाव के कारण विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया जाना	2	416.96
	कुल	**4**	**437.69**
	घ : मनोरंजन कर/विलासिता कर		
1.	मनोरंजन कर का नहीं/कम आरोपण	4	5.62
2.	विलासिता कर का नहीं/कम आरोपण	2	0.87
3.	अन्य मामले	14	0.24
	कुल	**20**	**6.73**
	कुल योग	**1,563**	**2,025.73**

वर्ष के दौरान विभाग ने 114 मामलों में ₹ 28.04 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिन्हें पूर्ववर्त्ती वर्षों में इंगित किए गए थे और 32 मामलों में ₹ 24.39 लाख की वसूली हुई थी, जो वर्ष 2009–10 तथा 2012–13 के बीच इंगित किए गए थे।

₹ 812.99 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से संबंधित **''प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण''** पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं दृष्टांतस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 548.61 करोड़ से सन्निहित कुछ लेखापरीक्षा अवलोकन अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित हैं।

2.3 ''प्रवेश कर के आरोपण एवं संग्रहण'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्याकर्षण

प्रवेश कर की दरों को चार से पाँच प्रतिशत बढाने हेतु अधिसूचना जारी करने के क्रम में मंत्रिमंडल के निर्णय से विचलन किया गया जिसमें ₹ 8.37 करोड़ का राजस्व प्रभाव निहित था।

(कंडिका 2.3.7.1)

मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम लागू होने के बाद बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 में संशोधन नहीं किये जाने के कारण विवरणी की संवीक्षा, ब्याज और दण्ड का आरोपण एवं टैक्स ऑडिट संबंधी प्रावधान प्रवेश कर अधिनियम में लागू नहीं थे।

(कंडिका 2.3.8.1)

बिहार ट्रेड डेवलपमेंट फण्ड के अंतर्गत संग्रहित कुल राशि ₹ 7,482.61 करोड़ का उपयोग प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत उल्लेखित उद्देश्यों एवं विहित तरीके से नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.9)

पन्द्रह अंचलों में, ₹ 37.88 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं के आयात करने के बावजूद 26 व्यवसायियों ने प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं कराया जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 4.24 करोड़ का प्रवेश कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

तेरह अंचलों में, वर्ष 2008–2009 से 2012–13 की अवधि में मात्र 12.57 से 17.48 प्रतिशत व्यवसायियों का कर निर्धारण किया गया था।

(कंडिका 2.3.13)

वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान ₹ 714.89 करोड़ मूल्य के आयात का छिपाव 14 अंचलों में 21 व्यवसायियों द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 223.29 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.14)

वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान नौ अंचलों के 22 व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर के गलत दर लगाये जाने के कारण आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 66.66 करोड़ का प्रवेश कर कम आरोपित हुआ।

(कंडिका 2.3.15)

लेन–देन की तिर्यक जाँच से वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान ₹ 1,416.22 करोड़ के आयात मूल्य का छिपाव एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 119.03 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण का पता चला।

(कंडिका 2.3.21.1 एवं 2.3.21.2)

बिहार के मार्ग से होते हुए पारगमन के लिए ₹ 5,402.37 करोड़ मूल्य के मालों के साथ 12,552 वाहनों ने दो चेक पोस्ट पर आउट टू आउट सुविधा का उपयोग किया। यद्यपि इन वाहनों का बिहार में प्रवेश हुआ परन्तु निकास नहीं हुआ, जिससे राजस्व का रिसाव हुआ।

(कंडिका 2.3.22)

2.3.1 परिचय

प्रवेश कर का निर्धारण तथा संग्रहण, ''बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग एवं बिक्री हेतु माल के प्रवेश पर कर (बिहार प्रवेश कर) अधिनियम 1993'' तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमावली/जारी किये गए अधिसूचनाओं द्वारा शासित होते है। उपभोग, उपयोग तथा बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्र[5] में अधिसूचित मालों के प्रवेश पर, राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास हेतु एक विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक आयात मूल्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर ऐसे दर, जो बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो, पर प्रवेश कर लगाया जाता है। बिहार सरकार के वाणिज्य–कर विभाग को बिहार में प्रवेश कर का आरोपण तथा संग्रहण का कार्य सौंपा गया है।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अधिसूचित वस्तुओं का आयातक, जिसकी अधिनियम के अंतर्गत कर देयता बनती है, आयातित अधिसूचित वस्तुओं की बिक्री या आयतित अधिसूचित मालों से तैयार किये गए वस्तुओं की बिक्री के फलस्वरूप बिहार मूल्यवर्द्धित अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अंतर्गत विहित दर से कर देयता स्वीकार करता है तो उसका बिहार मूल्यवर्द्धित अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कर दायित्व, बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत चुकाये गये कर की हद तक कम हो जायेगा।

2.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की गई कि:

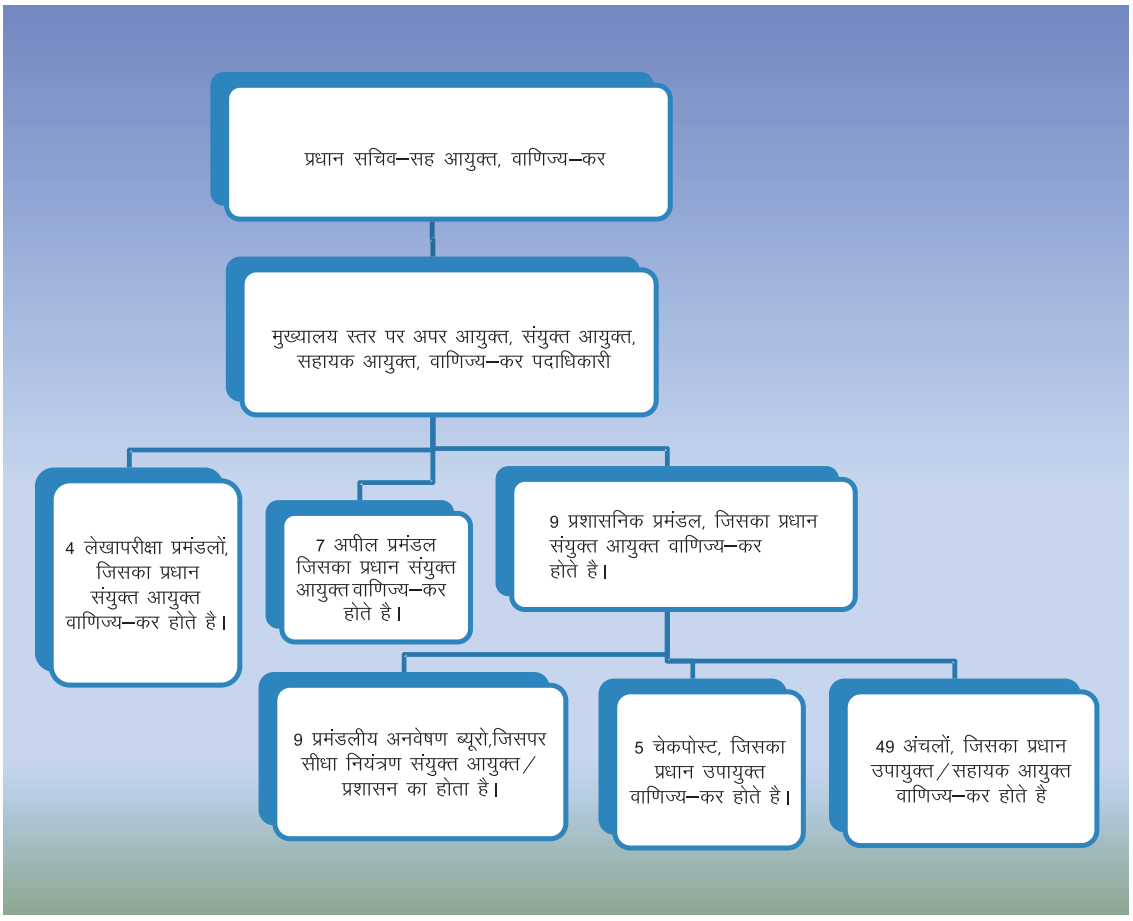
- प्रवेश कर प्रशासन हेतु अधिसूचनाएँ, परिपत्र तथा निदेश सक्षम प्राधिकार के तहत् विहित तरीके से जारी किये गये थे;
- प्रवेश कर का निर्धारण, आरोपण तथा संग्रहण पर, प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रावधान विद्यमान एवं पर्याप्त है;
- राज्य में प्रवेश कर का आरोपण तथा संग्रहण हेतु बनाये गये नियमावली एवं प्रक्रियाओं का समुचित पालन किया जा रहा है एवं बिहार मूल्यवर्द्धित कर की देयता में कमी बिहार प्रवेश कर अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत विहित तरीके से किया जा रहा है;
- अधिनियम के अंतर्गत उदग्रहित की गई कर को कर्णांकित कोष में विनियोजित किया गया है तथा उसका उपयोग अभिप्रायित उद्देश्य हेतु विशिष्ट रूप से किया गया है;
- प्रवेश कर का उचित वसूली के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान है।

[5] स्थानीय क्षेत्र का अर्थ है नगर निगम, नगर अधिसूचित क्षेत्र समिति, कैन्टोन्मेंट बोर्ड, नगर निकाय, खनन निकाय, नगरपालिका बोर्ड, ग्राम पंचायत तथा उस समय लागू किसी कानून के तहत् अन्य स्थानीय प्राधिकार।

2.3.3 संगठनात्मक ढाँचा

सर्वोच्च स्तर पर आयुक्त–सह–सचिव, वाणिज्य–कर विभाग में अधिनियमों तथा नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अपने कार्य का क्रियान्वयन में वाणिज्य–कर आयुक्त को मुख्यालय स्तर पर अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त वाणिज्य–कर, उपायुक्त वाणिज्य–कर, सहायक आयुक्त वाणिज्य–कर तथा वाणिज्य–कर पदाधिकारी सहित अन्वेषण व्यूरो स्कंध का सहयोग मिलता है। क्षेत्रीय स्तर पर राज्य को नौ प्रशासनिक प्रमंडलों[6], सात अपील प्रमंडलों[7] तथा चार लेखापरीक्षा प्रमंडलों[8] में विभाजित किया गया है प्रत्येक के प्रधान वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को 49 अंचलों में पुनः विभाजित किया गया है, जिसका प्रधान उपायुक्त/सहायक आयुक्त, वाणिज्य–कर होते हैं जिनकी सहायता वाणिज्य–कर पदाधिकारी करते है। राज्य के प्रमुख प्रवेश बिन्दु पर पाँच एकीकृत चेक पोस्ट[9] की स्थापना की गई है।

संगठनात्मक चार्ट



6 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णियाँ, सारण और तिरहुत।
7 भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णियाँ और तिरहुत।
8 भागलपुर, मगध, पटना और तिरहुत।
9 दालकोला, डोभी, जलालपुर, कर्मनाशा और रजौली।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न श्रोतों से ली गई हैः–

- उपभोग, उपयोग एवं बिक्री हेतु बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमावली, कार्यपालिका तथा विभागीय आदेशों एवं समय–समय पर जारी किये गये अनुदेशों तथा
- कार्यपालिका नियमावली, 1979।

2.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्य–पद्धति

वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल से जुलाई 2014 के बीच संपन्न किया गया। वाणिज्य–कर आयुक्त, बिहार का कार्यालय, अन्वेषण ब्यूरो मुख्यालय, तीन प्रमंडलीय अन्वेषण ब्यूरो (दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा पटना पूर्वी तथा पश्चिमी) तथा 49 में से 17 अंचलों[10] के अभिलेखों की जाँच की गई एवं प्रासंगिक सूचनाएँ प्राप्त की गई। उसके अलावे, पाँच चेक पोस्ट में से दो (डोभी तथा कर्मनाशा) के भी अभिलेखों की जाँच की गई। विभाग के कार्यकलाप का मूलभूत केन्द्र अंचल है, जहाँ व्यवसायी का पंजीकरण तथा व्यवसायी द्वारा विवरणी दाखिल किया जाता है एवं संवीक्षा/कर निर्धारण का कार्य उपायुक्त/सहायक उपायुक्त/ वाणिज्य–कर पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। अंचल का चुनाव करते समय, सात प्रमंडलों में प्रत्येक से दो सबसे अधिक राजस्व उदग्रहण करने वाले अंचलों तथा अन्य दो प्रमण्डलों में से सबसे अधिक राजस्व उदग्रहण करने वाले एक–एक अंचल का चयन, निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, दरभंगा अंचल जो प्रमंडलीय मुख्यालय भी था, (जो उपरोक्त तरीके से चयनित नहीं हुआ) का चयन किया गया ताकि अंचलों की संख्या 17 तक सीमित रहे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 की अवधि में किये गये अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण/स्व कर निर्धारण/संवीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों को भी निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

अप्रैल 2014 में प्रधान सचिव–सह–वाणिज्य–कर आयुक्त के साथ लेखापरीक्षा का उद्देश्य, क्षेत्र तथा कार्यपद्धति के संबंध में इंट्री कन्फ्रेंस में चर्चा की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा के अवलोकनों को जुलाई 2014 में विभाग को अग्रेषित किया गया था। जुलाई 2014 में आयोजित एक एक्जिट कन्फ्रेंस में सचिव सह–वाणिज्य–कर आयुक्त के साथ लेखापरीक्षा अवलोकनों पर चर्चा की गई। उनके विचार संबंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः शामिल किये गये है।

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध करने में वाणिज्य–कर विभाग के सहयोग हेतु आभारी है।

[10] औरंगाबाद, बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना विशेष, पटना दक्षिणी, पूर्णियाँ और समस्तीपुर।

2.3.6 राजस्व की प्रवृति

2.3.6.1 बजट अनुमान तथा वित्त लेखे के अनुसार प्राप्तियों के बीच भिन्नता

बिहार बजट प्रक्रिया के नियम 54 के अनुसार राजस्व और प्राप्तियों के आकलन में वर्ष के अंदर संभावित वसूली की राशि को दर्शाया जाना चाहिए। आने वाले वर्षों के लिये निश्चित राजस्व आकलन की गणना विगत वर्ष के कोई देय बकाया और वर्ष के दौरान उसकी वसूली की संभावना सहित वास्तविक माँग पर आधारित होनी चाहिए। बकाया एवं चालू माँग को अलग–अलग दर्शाया जाना चाहिए तथा अगर उनकी पूर्ण वसूली की संभावना नहीं हो तो कारण दिया जाना चाहिए। राजस्व के उतार–चढ़ाव के मामले में आकलन विगत तीन वर्षों के प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होनी चाहिए।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 के दौरान वित्त लेखों में दर्शायी गई प्रवेश कर प्राप्तियों एवं बजट आकलन के बीच भिन्नता के साथ–साथ उसी अवधि में कुल प्राप्तियाँ नीचे दिये **तालिका 2.2** में दर्शायी गई है।

तालिका–2.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वित्त लेखा के अनुसार प्राप्तियाँ	भिन्नता	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	प्रवेश कर प्राप्ति (कालम 3) बनाम कुल प्राप्तियाँ (कालम 6) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2009–10	1,270.00	1,613.16	(+) 343.16	(+) 27.02	8,089.67	19.94
2010–11	1,623.76	2,006.32	(+) 382.56	(+)23.56	9,869.85	20.33
2011–12	1,940.00	828.30	(–) 1,111.70	(–) 57.30	12,612.10	6.57
2012–13	2,800.00	1,932.12	(–) 867.88	(–)31.00	16,253.08	11.89
2013–14	1,192.75	4,349.00	(+) 3,156.25	(+)264.62	19,960.67	21.79

(श्रोत– राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत) वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान प्राप्तियों तथा बजट आकलन के बीच काफी अंतर था, जिसे विभाग द्वारा देखने की आवश्यकता है। वर्ष 2009–10 तथा 2013–14 के दौरान भिन्नता की प्रतिशतता (–) 57.30 प्रतिशत से (+) 264.62 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि देखा जा सकता है। कुल कर राजस्व के सापेक्ष प्रवेश कर प्राप्तियों की प्रतिशतता जो 2009–10 से 2010–11 के दौरान 20 प्रतिशत के आसपास थी, वर्ष 2011–12 में 6.57 प्रतिशत तक तथा वर्ष 2012–13 के दौरान 11.89 प्रतिशत तक कम हुआ लेकिन वर्ष 2013–14 में यह बढ़कर 21.79 प्रतिशत हो गया।

उपर्युक्त तालिका यह भी प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2013–14 का बजट आकलन अंतिम तीन वर्षों के प्रवेश कर के औसत प्राप्तियों से भी कम था। यह इंगित करता है कि वर्ष 2013–14 का बजट आकलन तैयार करते समय अंतिम तीन वर्षों के प्रवेश कर प्राप्तियों की तुलना नहीं की गई थी।

2.3.6.2 प्रवेश कर के विभागीय राजस्व आँकड़ों का मिलान वित्त लेखों के आँकड़ों से नहीं किया जाना

बिहार वित्त नियमावली के नियम 37 में यह प्रावधान किया गया है कि विभागीय पदाधिकारियों को यह देखने का दायित्व है कि सरकार को देय सभी राशियों का निर्धारण नियमित एवं तत्परता से किया गया है, वसूली की गई है और लोक लेखा में जमा किया गया है तथा यह देखने के लिये कि उद्ग्रहित किये गये राशि लोक लेखा में सही रूप से जमा हुये हैं, महालेखाकार (ले0ह0) के अभिलेखों से उसका मिलान करें।

विभाग के राजस्व प्राप्तियों, जैसा कि वैटमिस (बिहार मूल्यवर्द्धित कर व्यवस्थापन सूचना तंत्र) में दर्शाया गया था, तथा बिहार सरकार के वित्त लेखे में दर्शाये गये आँकड़ों से हमने मई 2014 में पाया कि वित्त लेखे में दर्शाये गये प्रवेश कर से प्राप्तियों तथा विभाग के प्राप्तियों के बीच अंतर था, जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वित्त लेखे के अनुसार प्राप्ति	वैटमिस के अनुसार प्राप्तियाँ	भिन्नता
2009–10	1,270.00	1,613.16	1,591.79	(–) 21.37
2010–11	1,623.76	2,006.32	2,004.65	(–) 1.67
2011–12	1,940.00	828.30	2,591.16	(+)1762.86
2012–13	2,800.00	1,932.12	3,267.09	(+)1334.97
2013–14	1,192.75	4,349.00	4,271.15	(–) 77.85

(श्रोत– राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्ति (विस्तृत), वित्त लेखे, बिहार सरकार)

जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, वर्ष 2009–10 से 2013–14 के बीच बिहार वित्त लेखे के अनुसार वास्तविक प्राप्तियों तथा विभागीय वैटमिस सॉफ्टवेयर से प्राप्त आँकड़ो मे (–) ₹ 77.85 करोड़ से (+) ₹ 1,762.86 करोड़ के बीच भिन्नता थी। यह अंतर विभाग द्वारा प्रवेश कर प्राप्तियों के आँकड़ो का मिलान नहीं किये जाने के कारण हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने जुलाई 2014 में हुए एक्जिट कन्फरेन्स में कहा कि इन वर्षों का वित्त लेखा पूर्ण हो चुका है इसलिये नियमित रूप से आँकड़ों का मिलान अब से किया जायेगा। जहाँ तक उपरोक्त वर्णित मामलों का सवाल है, उसकी जाँच की जायेगी।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.7 अधिसूचनाएँ जारी करने में विभागीय स्तर पर अनियमितताएँ

2.3.7.1 मंत्रीपरिषद् के निर्णय से विचलन

कार्यपालिका नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार जब कोई मामला मंत्रीपरिषद् के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया हो, तब मामले से संबंधित विभाग, मामले के मुख्य तथ्यों को पर्याप्त यथार्थता के साथ दर्शाते हुए एवं जिस विषय पर निर्णय लिया जाना है, उसके पक्ष एवं विपक्ष के मुख्य दलीलों को व्यक्त करते हुए, अंतिम अनुशंसित मत के अनुकूल लाभ को बढ़ा–चढ़ा कर अथवा हानि को घटाकर बताए बगैर एक संलेख तैयार करेगा।

हमने अधिसूचना (एस.ओ.–215 दिनांक 27 नवम्बर 2012) से संबंधित संचिका की जाँच के दौरान पाया कि वैसे सभी अधिसूचित वस्तुओं जिस पर प्रवेश कर की दर चार

प्रतिशत तथा मूल्यवर्द्धित कर की दर पाँच प्रतिशत थी, के प्रवेश कर के दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव संलेख में (कंडिका संख्या–5) मंत्रीपरिषद् के सामने रखा गया था। उस समय की अनुसूची में ऐसे 11 वस्तुऐं या वस्तुओं के समूह थे, जिनपर प्रवेश कर की दर चार प्रतिशत तथा मूल्यवर्द्धित कर का दर पाँच प्रतिशत थी। लेकिन अधिसूचना के प्रारुप एवं संलेख में वर्णित तालिका–1 में मात्र नौ वस्तुऐं/वस्तुओं का समूह को दर्ज किया गया था, जिसमें अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 8 ''सभी प्रकार के कागज, न्यूजप्रिंट को छोड़ कर.....'' तथा प्रविष्टि संख्या 26 ''पेट्रोलियम कोक तथा बिटुमिन'' को छोड़ दिया गया था। अन्य नौ वस्तुओं के प्रवेश कर की दरों को बढ़ाने हेतु अपनाये गये मानदण्ड (मूल्यवर्द्धित कर का दर पाँच प्रतिशत तथा प्रवेश कर का दर चार प्रतिशत) को पूरा करने के बावजूद इन दोनों वस्तुओं को छोड़े जाने का कोई भी कारण अभिलेखित नहीं था। मंत्रीपरिषद् द्वारा उसी संलेख प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किया गया एवं मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति के बावजूद उपरोक्त दोनों वस्तुओं का प्रवेश कर का दर नहीं बढाया जा सका। यह विभाग में अधिसूचना जारी करने में उचित नियंत्रण के साथ–साथ पूरी तैयारी के अभाव को इंगित करता है, जिसमें सिर्फ कागज पर ₹ 8.37 करोड़ का राजस्व प्रभाव निहित था, जिसकी गणना दिसम्बर 2012 से मार्च 2014 तक कागज पर संग्रहित किये गए प्रवेश कर के आधार पर किया गया था। पेट्रोलियम कोक तथा बिटुमिन के कारण हुये कर प्रभाव की गणना इन वस्तुओं के राजस्व आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका।

2.3.7.2 गलत आधार पर अधिसूचना निर्गत किया जाना

हमने अधिसूचना (एस0ओ0 191 दिनांक 17 अक्टूबर 2012) से संबंधित संचिका की जाँच के दौरान पाया गया कि प्लाई बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फ्लस–डोर एवं लॉग, प्लांक एवं विनियर तथा इनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले तथा गैर–साल लकड़ी पर प्रवेश कर का दर आठ प्रतिशत से घटाकर पाँच प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव था।

प्लाई बोर्ड तथा ब्लैक बोर्ड पर प्रवेश कर के दर को कम करने की स्वीकृति का मुख्य कारण इसपर ''मूल्यवर्द्धित कर तथा प्रवेश कर के दर में भिन्नता को समाप्त करना'' था। स्वीकृति प्रदान करते समय संचिका की टिप्पणी (पृष्ठ–4 एन) में प्लाई बोर्ड इत्यादि पर मूल्यवर्द्धित कर का दर चार/पाँच प्रतिशत तथा उसपर प्रवेश कर का दर आठ प्रतिशत दर्ज था। उन्हीं बिन्दुओं का उल्लेख संलेख के कंडिका 2.2(क) पर करते हुये मंत्रीपरिषद् के पास भेजा गया था।

हालाँकि प्रवेश कर की दर कम करने वाले स्वीकृति (17 जून 2012) के समय प्लाई बोर्ड पर वास्तविक मूल्यवर्द्धित कर का दर 13.5 प्रतिशत[11] था। प्लाई बोर्ड पर प्रवेश कर की दर को उसके मूल्यवर्द्धित कर की दर के बराबर करने का प्रस्ताव गलत तथ्यों पर आधारित था क्योंकि प्लाई बोर्ड पर मूल्यवर्द्धित कर का दर 13.5 प्रतिशत तथा प्रवेश कर की दर आठ प्रतिशत थी। इस प्रकार प्रवेश कर की दर मूल्यवर्द्धित कर के दर के बराबर करने हेतु प्रवेश कर के दर को कम किये जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। परिणामस्वरूप, मंत्रीपरिषद् को गुमराह कर प्रवेश कर के दर में कमी के प्रस्ताव को गलत आधार तथा तथ्य पर स्वीकृत कराया गया, जिसमें ₹ 5.41 करोड़ का राजस्व समाहित था।

[11] बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 (1)(घ) के अनुसार अनुसूची I, II, III तथा IV के किसी अनुसूची में सामान विनिर्दिष्ट नहीं होने से मूल्यवर्द्धित कर का दर 13.5 प्रतिशत था।

2.3.7.3 अनुसूची में शामिल किये बिना वस्तुओं पर कर के दर का अनियमित निर्धारण

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 (क) में प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम की अनुसूची में संशोधन या सुधार या किसी वस्तु को जोड़ सकता है।

हमने अधिसूचना (एस0ओ0 191 दिनांक 17 अक्टूबर 2012) से संबंधित संचिका की जाँच के दौरान पाया कि ''ब्लैक बोर्ड, फ्लस डोर, जिसमें प्लाई बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एवं फ्लस डोर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले लॉग प्लैंक तथा विनियर शामिल है,'' के प्रवेश कर की दर को बिहार प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची में शामिल किये बिना अधिसूचित कर दिया गया, जो अनियमित था।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में कहा कि आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अधिसूचनाएँ उचित सचेतना तथा विद्यमान कानूनों के अनुसार पूरी तरह संवीक्षा के पश्चात् जारी की गई है, उचित आंतरिक प्रणाली विहित करने पर विचार कर सकती है।

2.3.8 *प्रणालीगत त्रुटियाँ*

2.3.8.1 बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत ब्याज के आरोपण के प्रावधान की अनुपलब्धता

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि इस अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमावली के प्रावधानों के विषयाधीन कोई प्राधिकारी, जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम–5) के अंतर्गत कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, कर एवं अर्थदंड का संग्रहण एवं भुगतान करवा सके, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत भी कर निर्धारण पुनर्करनिर्धारण, संग्रहण तथा देय कर एवं दण्ड का भुगतान करवाने का अधिकार होगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने उस समय लागू नियमावली के अंतर्गत उन्हें प्रत्यायोजित सभी/कोई भी शक्ति का प्रयोग, जिसमे रिटर्न, कर–निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, छुटे हुये आवर्त का कर निर्धारण, कर वसूली, वसूली की विशेष रीति, अभिलेखों का रख–रखाव, निरीक्षण, खोज एवं जब्ती प्रतिनिधित्व चरित्र का दायित्व, कर वापसी, अपील, पुनर्रीक्षण तथा समीक्षा, उच्च न्यायालय के वादों का विवरण, गलती का दोहराव तथा अन्य विविध मामलों में, कर सकता है तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों सहित लागू कर सकता है।

हमने पाया कि कर निर्धारण प्राधिकारी अपनी शक्ति बिहार वित्त अधिनियम, 1981 से प्राप्त कर प्रवेश कर से संबंधित मामलों का निष्पादन करते हैं, क्योंकि बिहार प्रवेश कर अधिनियम में कर निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण इत्यादि से संबंधित अलग से कोई कानून नहीं था। यद्यपि बिहार वित्त अधिनियम, 1981, दिनांक 1 अप्रैल 2005 के प्रभाव से निरसित कर दिया गया था तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 द्वारा विस्थापित किया गया था लेकिन उपर्युक्त प्रावधान बिना संशोधन के यथावत रहे। इसके अतिरिक्त कई नई विशेषताएँ, जैसे ब्याज का आरोपण, रिटर्न की संवीक्षा एवं कर–लेखापरीक्षा इत्यादि से संबंधित प्रावधान को बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम लागू होने के बाद लाया गया परन्तु इन प्रावधानों को बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा–8 में समावेशित नहीं किया गया। ब्याज के प्रावधान की अनुपलब्धता के फलस्वरूप प्रवेश कर नहीं जमा करने अथवा बिलम्ब से जमा किये जाने पर ब्याज अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

पुनः माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी श्री शंकर आईस एवं कोल्ड स्टोरेज बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य (सी0डब्लयू0जे0सी0 संख्या 19512/2010) के मामले में फैसला दिया कि प्रवेश कर अधिनियम में ब्याज का प्रावधान न होने के कारण प्रवेश कर जमा नहीं करने पर, ब्याज आरोपित नहीं किया जा सकता है। अतः ब्याज हेतु प्रावधान की अनुपलब्धता से व्यवसायियों को प्रवेश कर के भुगतान के लिए कोई निवारक, उपाय नहीं था, यद्यपि मूल्यवर्द्धित कर लागू होने से पूर्व (1 अप्रैल 2005 से पहले) प्रवेश कर के भुगतान के लिए निवारक उपाय उपलब्ध था क्योंकि तत्कालीन बिहार वित्त अधिनियम, 1981 में इस प्रकार की गलती पर अर्थदण्ड के अधिरोपण का प्रावधान था और बिहार प्रवेश अधिनियम की धारा–8 इस प्रकार के अर्थदण्ड का आरोपण करने हेतु पर्याप्त था। लेकिन बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में कर का भुगतान नहीं करने पर अर्थदण्ड के स्थान पर ब्याज अधिरोपित करने का प्रावधान है, परन्तु तद्नुसार बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा–8 में ब्याज संबंधी प्रावधान के समावेश हेतु संशोधन नहीं किया गया। इस तरह बिहार प्रवेश कर अधिनियम में ब्याज के प्रावधान नहीं रहने के कारण प्रवेश कर का भुगतान नहीं/बिलम्ब से किये जाने की गलती पर कोई भी निवारक उपाय नहीं था।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने एक्जिट कन्फ्रेंस में जुलाई 2014 में जवाब दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

सरकार बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत शामिल किये गये ब्याज, अर्थदण्ड, संवीक्षा एवं कर–लेखापरीक्षा संबंधी नई विशेषताओं को बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत भी लागू करने हेतु आवश्यक संशोधन लाने पर विचार कर सकती है।

2.3.8.2 विवरणी का अपूर्ण फार्मेट

- हमने पाया कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यवसायी के कर दायित्व का निर्धारण का आधार आयातित अनुसूचित वस्तुओं तथा उस पर प्रवेश कर का दर होता है। लेकिन त्रैमासिक विवरणी तथा वार्षिक रिटर्न में ऐसा कोई कॉलम/जगह नहीं है, जिसमें वस्तु का नाम व्यवसायी द्वारा दर्ज किया जा सके ताकि उस पर आरोपित किये गये कर के दर का सत्यापन किया जा सके।

- बिहार प्रवेश कर नियमावली, 1993 के नियम 4 (क) के तीसरे परन्तुक में यह प्रावधान है कि मूल्यवर्द्धित कर का समायोजन प्रवेश कर से तभी अनुमत्त किया जायेगा जब कि व्यवसायी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 के अन्तर्गत दाखिल किये गये रिटर्न में, जमा किये गये प्रवेश कर, जिसका समायोजन के लिए दावा किया गया है, का चालान संख्या, दिनांक तथा राशि का विशिष्ट विवरण दिया गया हो।

हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत विहित रिटर्न का फार्मेट (त्रैमासिक तथा वार्षिक) में व्यवसायी द्वारा जमा किये गए प्रवेश कर की राशि, चालान संख्या, दिनांक के लिये जगह नहीं था।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने एक्जिट कन्फ्रेंस में जुलाई 2014 में जबाब दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

2.3.8.3 मासिक विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि निर्धारित नहीं किया जाना

बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 4 के उपनियम 1 में प्रावधान है कि प्रत्येक निबंधित व्यवसायी या अन्य व्यक्ति जो धारा 3 के उपधारा 2 के अंतर्गत कर का

भुगतान करने हेतु दायी हो तब वह आयात किये गये मालों के मासिक आयात का सार प्रपत्र ई.टी.–III में दाखिल करेगा।

हमने पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तिथि निर्धारित की गयी है तथा यही तिथि बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत त्रैमासिक तथा वार्षिक रिटर्न के दाखिल करने के लिये निर्धारित है। परन्तु बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2007 के प्रभाव से, मासिक रिटर्न के उन्मूलन के पश्चात् प्रपत्र ई.टी.–III में आयातित मालों का मासिक सार दाखिल करने हेतु कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गई थी, यद्यपि बिहार प्रवेश कर नियमावली के अंतर्गत उक्त मासिक विवरणी दाखिल करने का प्रावधान अभी भी विद्यमान है।

इसे इंगित करने पर विभाग ने एक्जिट कन्फ्रेंस में जुलाई 2014 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि प्रवेश कर के मासिक विवरणी (ई.टी.–III) संबंधी, अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों में असमानता को हटाया जायेगा।

2.3.8.4 स्थानीय वस्तुओं पर प्रवेश कर से छूट के दावा के समर्थन में साक्ष्य

बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक निबंधित व्यवसायी या आयातक कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष कर निर्धारण के समय स्थानीय वस्तुओं पर कर छूट से संबंधित दावों के समर्थन में प्रासंगिक कैश मेमो, बिल या बीजक, जिसमें आवश्यक प्रमाणपत्र हो, के साथ–साथ उक्त सभी कैश मेमो की विवरणी दाखिल करेगा ।

हमलोगों ने पाया कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम में नियमित कर निर्धारण के लिए कोई प्रावधान नहीं था एवं ऐसी स्थिति में स्थानीय विनिर्मित/उत्पादित वस्तुओं के आधार पर व्यवसायी द्वारा लिये गये छूट के दावों के मामलों का सत्यापन नहीं किया जा सकता था, क्योकि प्रवेश कर से छूट के दावों के समर्थन में उपरोक्त कागजातों को दाखिल करने का कोई अन्य वैकल्पिक प्रणाली भी नहीं थी। उक्त समर्थित कागजातों (कैश मेमों, बिल या बीजक) की अनुपस्थिति में स्थानीय वस्तुओं के नाम पर अनियमित छूट उपभोग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इसे इंगित किये जाने पर जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में सरकार द्वारा बताया गया कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 8 मे संवीक्षा के प्रावधान को जोड़ने संबंधी संशोधन का प्रस्ताव लाया जा रहा है ।

अनुपालन त्रुटियाँ

2.3.9 निधि का कम उपयोग किया जाना

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 4 उपबंधित करता है कि अधिनियम के तहत् उद्ग्रहित आय को बिहार ट्रेड डेवलपमेंट फण्ड (निधि) में विनियोजित किया जायेगा एवं उसका उपयोग विशिष्ट रूप से बिहार में, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा। (क) बाजार एवं आद्योगिक क्षेत्रों को अंतःक्षेत्रों से जोड़ने हेतु सड़क एवं पुलों के निर्माण, विकास एवं रख रखाव किया जाना, (ख) वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक, ईकाइयों को वित्त, सहायता अनुदान एवं आर्थिक सहायता दिया जाना, (ग) उद्योग, बाजार एवं अन्य वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स को विद्युत उर्जा एवं पानी की आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना एवं (घ) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, विकास एवं रख रखाव किया जाना।

तद्नुसार वित्त विभाग, बिहार सरकार ने उक्त निधि के सृजन के लिए एक अधिसूचना (अक्टूबर 2006) जारी किया। अधिसूचना के अनुसार मुख्य शीर्ष–0042 लघु शीर्ष–106 के तहत् जमा की गई प्रवेश कर की राशि, उक्त निधि के अन्तर्गत संग्रहित समझी जायेगी एवं राज्य के संचित निधि का भाग समझा जायेगा तथा निधि की राशि का व्यय उपरोक्त संदर्भित प्रयोजनों (क) से (घ) के लिए ही किया जायेगा। अधिसूचना पुनः प्रावधित करता है कि मुख्य शीर्ष 3054–सड़क एवं पुल, 5054–सड़क एवं पुल पर पूंजीगत व्यय, 2852–उद्योग, 2801–विद्युत, 2215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत एक उपशीर्ष खोला जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि के अन्तर्गत संचित संपूर्ण राशि का उपयोग किया गया अथवा नहीं।

हमलोगों ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के बिहार सरकार के विनियोजन लेखे से पाया कि बिहार सरकार द्वारा प्रवेश कर (मुख्य शीर्ष–0042, लघु शीर्ष–106) के तहत् संग्रहित ₹ 7,650.08 करोड़ में से केवल ₹ 172.35 करोड़ की राशि का आवंटन उपरोक्त प्रयोजनो के लिए किया गया था। पुनः हमलोगों ने यह भी पाया कि ₹ 172.35 करोड़ की राशि में से सिर्फ ₹ 167.47 करोड़ की राशि का व्यय वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि में किया गया एवं वर्ष 2008–09 से 2009–10 की अवधि के लिए कोई भी राशि का आवंटन नहीं पाया गया था। अतः यह स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार ने प्रवेश कर के अन्तर्गत संग्रहित ₹ 7,482.61 करोड़ की राशि का उपरोक्त प्रयोजनों हेतु विहित रीति से उपयोग नहीं किया। अतः निधि के सृजन से संबंधित वैधानिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी एवं आधारभूत संरचना से संबंधित राष्ट्रीय औसत के लक्ष्य तक पहुँचने का उद्देश्य बुरी तरह प्रभावित हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस मे सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा कहा कि विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निधि की राशि के उपयोग के लिए उचित कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

सरकार, निधि में संचित प्रवेश कर की राशि का आवंटन तथा उपयोग के नियत उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक अनुश्रवण प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकती है।

2.3.10 निबंधन एवं प्रतिभूति

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित वस्तुओं में संव्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यवसायी अधिनियम के अन्तर्गत विहित रीति से निबंधन लेगा। बिहार प्रवेश कर नियमावली का नियम 3 यह उपबंधित करता है कि अंचल के प्रभारी, निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत करने से पूर्व, सही कर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायी द्वारा, उस रीति से जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देना सुनिश्चित करेगें। लेकिन वह प्रतिभूति उस वर्ष के लिए अनुमानित कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

- हमने 14 अंचलों[12] में वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान मूल्यवर्द्धित कर के अन्तर्गत वस्तुवार कर भुगतान एवं बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायियों की संख्या (जैसाकि अंचलों द्वारा उपलब्ध कराया गया) के बीच तुलनात्मक अध्ययन करने पर पाया कि भारी संख्या में वैसे व्यवसायी, जो अधिसूचित वस्तुओं में संव्यवहार करते थे, बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित नहीं थे, जैसाकि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

[12] औरंगाबाद, बाढ़, बेगूसराय, भागलपुर, गया, हाजीपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिण, पूर्णियाँ, पाटलिपुत्र, पटना विशेष और समस्तीपुर।

तालिका–2.4

	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
अधिसूचित वस्तुओं में व्यवसायियों की वास्तविक संख्या	3,797	4,022	4,220	4,733	5,503
बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधित व्यवसायियों की संख्या	2,112	2,357	2,777	3,077	4,094
अधिसूचित वस्तुओं में संव्यवहार करने के बावजूद बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों की संख्या	1,685	1,665	1,443	1,656	1,409
अनिबंधित व्यवसायियों की प्रतिशतता	44.37	41.39	34.19	34.98	25.60

(श्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान अधिसूचित वस्तुओं में संव्यवहार करने वाले योग्य परन्तु अनिबंधित व्यवसायियों की प्रतिशतता 44.37 से गिरकर 25.60 हो गई। फिर भी बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायियों की काफी संख्या अभी भी अनिबंधित है। ये व्यवसायी बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 सह पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत कर के अलावे अर्थदण्ड के भी भागी थे। यह एक ही व्यवसायी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम तथा बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल रिटर्न में समाहित सूचनाओं के तिर्यक जाँच हेतु प्रणाली के अभाव को भी दर्शाता है ।

इसे इंगित किये जाने पर जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में विभाग द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण आपत्ति पूर्णतः सही है तथा आश्वासन दिया गया कि एक प्रणाली विकसित करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि योग्य व्यवसायी निबंधित हो सके और कर का दायरा बढ़ सके ।

सरकार, बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने के लिये व्यवसायियों द्वारा दाखिल किये गये मूल्यवर्द्धित कर के रिटर्न/विवरणी में दिये गये खरीद एवं बिक्री के आकड़ों का तिर्यक जाँच करने के लिये एक प्रणाली बनाये जाने पर विचार कर सकती है।

- नमूना जाँच किए गए 14 अंचलों द्वारा निबंधन एवं प्रतिभूति जमा करने से संबंधित स्थिति **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.5

वर्ष	निबंधन हेतु आवेदन दिये गये व्यवसायियों की संख्या	वर्ष के दौरान निबंधित व्यवसायियों की संख्या	बिना किसी प्रतिभूति के निबंधित व्यवसायियों की संख्या
2008–09	261	253	09
2009–10	248	237	08
2010–11	402	391	34
2011–12	340	328	47
2012–13	1,020	1,005	86
कुल	**2,271**	**2,214**	**184**

(श्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

गया अंचल में हमने पाया कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान 214 में से 184 व्यवसायियों को बिना कोई प्रतिभूति प्राप्त किये निबंधन प्रमाणपत्र दिया गया। अन्य नमूना जांचित अंचलों में बिना प्रतिभूति के निबंधित किये गये व्यवसायियों की संख्या के संबंध में जानकारी हमें नहीं दी गई । बिना प्रतिभूति के निबंधन के मामलों में राजस्व के बकायों की वसूली, यदि कोई हो, मुश्किल हो जाती है। हमने पुनः पाया कि व्यवसायियों से प्रतिभूति प्राप्त करना, अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निबंधन प्राधिकारी के विवेकाधीन था तथा विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग हेतु कोई मानदण्ड या दिशानिर्देश विहित नहीं था।

इसे इंगित किये जाने पर जुलाई 2014 में संपन्न एक्जिट कन्फ्रेंस में सरकार ने बताया कि प्रतिभूति प्राप्त करना सांविधिक रूप से अनिवार्य नहीं था। तथापि लेखापरीक्षा के सुझाव पर विचार किया जाएगा।

निबंधन प्राधिकारी के प्रतिभूति प्राप्त करने संबंधी विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग के संबंध में सरकार/विभाग को मानदण्ड या दिशानिर्देश विहित करने पर विचार करना चाहिए।

- बेगूसराय अंचल में हमने 10 व्यवसायियों के स्थायी निबंधन अभिलेख के नमूना जाँच के दौरान पाया कि पाँच व्यवसायियों का निबंधन, किसी प्रकार के प्रतिभूति प्रस्तुत किये बगैर ही किया गया था। पुनः हमने पाया कि पाँच मामलों में प्रपत्र ई.टी.–XII में दो जमानतदारों के साथ प्रतिभूति बंध प्रस्तुत किया गया था लेकिन निबंधन प्राधिकारी द्वारा जमानतदारों के हस्ताक्षर का सत्यापन नहीं किया गया था ।

मामले सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.3.11 बिहार प्रवेश अधिनियिम के अन्तर्गत निबंधन नहीं लिये जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नही किया जाना

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी, जो अधिसूचित वस्तुओं में संव्यवहार करता है, वह बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत विहित रीति से निबंधन लेगा। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत् यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई व्यवसायी कर का भुगतान करने हेतु दायी था और निबंधन के लिए आवेदन करने में जानबूझ कर विफल था, तब वह स्वविवेक से देय कर की राशि, अगर कोई हो, को निर्धारित करेगें एवं कर की राशि के अतिरिक्त प्रत्येक चूक दिवस के लिए एक सौ रूपये की राशि अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य, जो भी अधिक हो, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करने का निर्देश व्यवसायी को देगें।

- हमलोगों ने 15 अंचलों[13] में पाया कि 26 व्यवसायियों ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान ₹ 37.88 करोड़ के अधिसूचित वस्तुओं का आयात/क्रय किया, लेकिन उन्होनें बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन नहीं लिया। कर निर्धारण प्राधिकारी निबंधन नहीं कराये जाने के तथ्यों का पता नहीं लगा सके, जबकि निबंधन हेतु उनके दायित्व से संबंधित सूचना अंचल में संधारित मूल्यवर्द्धित कर/अन्य दस्तावेजों पर उपलब्ध था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.13 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 4.24 करोड़ के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ, जो **परिशिष्ट–II** में वर्णित है।

[13] बाढ़, भागलपुर, गया, हाजीपुर, जमुई, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिण, पटना पश्चिम, पूर्णियाँ, समस्तीपुर और सासाराम।

इसे इंगित किए जाने के बाद गया एवं पटना पश्चिमी अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने दो मामलों में जुलाई एवं अगस्त 2014 में ₹ 24.18 लाख का माँग सृजित किया। सरकार ने जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में बताया कि अवलोकन प्रशंसनीय था। यह विभाग के लिए भी चिंता का विषय था।

- हमलोगों ने छः अंचलों[14] में वैटमिस से प्राप्त जानकारी की संवीक्षा करने पर पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत 830 ईंट भट्ठे निबंधित थे। बिहार में ईंट के निर्माण हेतु मुख्य सामग्रियों में से एक कोयला है, जो कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत एक अधिसूचित वस्तु है। अधिसूचित वस्तुओं में कारोबार करने के बावजूद 830 में से सिर्फ 84 ईंट भट्ठे ही बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधित थे और इस तरह 746 ईंट भट्ठे बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनिबंधित थे। इसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड के अलावे प्रवेश कर के रूप में राजस्व की काफी हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में बताया कि हाल के वर्षो में कर दायरे को बढ़ाने के उद्देश्य से ईंट–भट्ठों को बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधित कराने के प्रयास किये गये हैं। जिससे सकारात्मक परिणाम पाये गये हैं। यह विभाग के लिए भी चिन्ता का विषय था और झारखण्ड से कोयला के आयात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी।

2.3.12 रिटर्न

2.3.12.1 रिटर्न दाखिल नहीं किया जाना

बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 4 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रत्येक निबंधित व्यवसायी अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, वह मासिक आयात का सार प्रपत्र ई.टी.–III में, प्रत्येक तिमाही के लिए एक सही और पूर्ण विवरणी प्रपत्र ई.टी.–IV में एवं प्रत्येक वर्ष के लिए प्रपत्र ई.टी.–V में एक वार्षिक रिटर्न भी दाखिल करेगा।

हमने पाया कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन की अनुश्रवण में कमी थी, क्योंकि 15 नमूना जाँचित अंचलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 17.08 से 28.12 प्रतिशत निबंधित व्यवसायियों ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान रिटर्न दाखिल नहीं किया था। विस्तृत विवरण **तालिका 2.6** में दिया गया है।

तालिका–2.6

वर्ष	अंचलों की संख्या	निबंधित व्यवसायियों की संख्या	ऐसे व्यवसायियों की संख्या जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया	रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले व्यवसायियों की प्रतिशतता
2008–09	13	1,767	497	28.12
2009–10	13	1,956	419	21.42
2010–11	14	2,465	668	27.09
2011–12	14	2,757	605	21.94
2012–13	14	3,571	610	17.08

(श्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

[14] औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया और समस्तीपुर।

उपर्युक्त अवलोकन रिटर्न दाखिल करने की अनुश्रवण प्रणाली के अभाव की ओर इंगित करता है।

इसे इंगित किये जाने के बाद सरकार ने जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया।

2.3.12.2 अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्यवसायी या आयातक इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह ₹ 1,000 से अनाधिक अर्थदण्ड का भागी होगा एवं उल्लंघन एक बार से अधिक किये जाने पर उल्लंघन के प्रत्येक दिनों के लिए अधिकतम पच्चीस रूपये प्रति दिन के अर्थदण्ड का भागी होगा।

- हमलोगों ने 11 अंचलों[15] में पाया कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की अवधि के लिये 96 व्यवसायियों ने प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई.टी.–V) दाखिल/प्रस्तुत नहीं किया था। लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 1.16 लाख का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

- हमलोगों ने छः अंचलों[16] में पाया कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की अवधि में 48 व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न (ई.टी.–v) का भाग–क दाखिल/प्रस्तुत नहीं किया गया था। परन्तु निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 48,000 का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था।

- हमलोगों ने 13 अंचलों[17] में पाया कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की अवधि के लिए 44 व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर का त्रैमासिक रिटर्न (ई.टी.–IV) दाखिल/प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 46,000 का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था।

- हमलोगों ने 15 अंचलों[18] में पाया कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की अवधि में 176 व्यवसायियों द्वारा प्रवेश कर का मासिक सार (ई.टी.–III) दाखिल/प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेकिन ₹ 1.97 लाख का अर्थदण्ड निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नहीं किया गया था।

उपर्युक्त निष्कर्ष, रिटर्न/सार के दाखिल करने हेतु अनुश्रवण प्रणाली के अभाव को दर्शाता है।

मामले सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

सरकार रिटर्न के दाखिल करने एवं उसके समुचित कर निर्धारण के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक प्रणाली विहित करने पर विचार कर सकती है।

15 औरंगाबाद, बाढ़, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना विशेष, पूर्णियाँ और समस्तीपुर।

16 औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी, और पटना विशेष।

17 औरंगाबाद, बाढ़, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पूर्णियाँ और समस्तीपुर।

18 औरंगाबाद, बाढ़, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पूर्णियाँ और समस्तीपुर।

2.3.13 कर निर्धारण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 27 (27 मई 2011 के प्रभाव से संशोधित) उपबंधित करता है कि यदि कोई निबंधित व्यवसायी धारा 24 के उपधारा 3 के अंतर्गत निर्धारित तिथि से पूर्व धारा 24 के उप धारा 3 में विनिर्दिष्ट रिटर्न दाखिल करने में असफल रहता है तो विहित प्राधिकारी, व्यवसायी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, अपने सर्वोत्तम विवेक के आधार पर व्यवसायी द्वारा देय कर एवं ब्याज का निर्धारण करेगा।

हमलोगों ने 13 नमूना जाँचित अंचलों[19] में पाया कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के बीच 1,767 से 3,571 व्यवसायी उन अंचलों में निबंधित थे। लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान सिर्फ 300 से 449 मामलों का कर निर्धारण किया गया था, जो **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.7

वर्ष	निबंधित व्यवसायियों की संख्या	ऐसे व्यवसायियों की संख्या जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया	कर निर्धारित व्यवसायियों की संख्या	विवरणी दाखिल नहीं करने वाले व्यवसायियों की प्रतिशतता
2008–09	1,767	497	309	17.48
2009–10	1,956	419	300	15.33
2010–11	2,465	668	322	13.06
2011–12	2,757	605	354	12.84
2012–13	3,571	610	449	12.57

(श्रोतः–विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि मात्र 12.57 प्रतिशत से 17.48 प्रतिशत तक मामलों का ही कर निर्धारण किया गया था, जबकि 419 से 668 व्यवसायियों का कर निर्धारण उपरोक्त अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से किया जाना था, क्योंकि इन व्यवसायियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया था, जो विभाग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है।

इसे इंगित किए जाने पर जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त किया।

2.3.14 आयात मूल्य का छिपाव

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण के संबंध में मालों की बिक्री अथवा क्रय पर कोई कर का अवनिर्धारण हुआ है अथवा कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब विहित प्राधिकारी व्यवसायी द्वारा देय कर का चार वर्षों के भीतर निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा। विक्रय अथवा क्रय अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी द्वारा जानबुझ कर गलती किये जाने की स्थिति में विहित प्राधिकारी भुगतेय ब्याज के अलावे कर की राशि का तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा। आरोपित अर्थदण्ड छूटे हुए आवर्त्त पर कर की राशि के अतिरिक्त होगा।

[19] औरंगाबाद, बाढ़, बेगुसराय, गया, हाजीपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पूर्णियाँ और समस्तीपुर।

हमलोगों ने पाया कि प्रवेश कर रिटर्न में दर्शाये गए आवर्त का सत्यापन, व्यवसायी के अन्य दस्तावेज यथा रोड परमिट एवं घोषणा प्रपत्र के खपत विवरणी, साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एवं मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न अथवा अन्य व्यवसायियों के खरीद और बिक्री से संबंधित सूचनाओं के साथ करने के लिये कोई प्रावधान नहीं था।

- हमलोगों ने 14 अंचलों[20] में 964 व्यवसायियों, जिनकी दस्तावेजों की नमूना जाँच की गई, में से 21 व्यवसायियों के घोषणा प्रपत्रों के खपत विवरणियों एवं दाखिल किये गये रिटर्न की तिर्यक जाँच में पाया कि उन्होंने अपने रिटर्न में आयातित अधिसूचित वस्तुओं का मूल्य ₹ 1,792.47 करोड़ के वास्तविक राशि, जो उनके प्रपत्र 'सी' एवं रोड परमिट के खपत विवरणी, खरीद विवरणी, मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि में प्रदर्शित था, के बदले ₹ 1,077.58 करोड़ दर्शाया था, इस तरह वर्ष 2009–10 से 2012–13 के बीच ₹ 714.89 करोड़ के अधिसूचित वस्तु के क्रय/आयात का छिपाव किया गया था। इस तरह की तिर्यक जाँच के प्रणाली के अभाव में ₹ 167.60 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 223.29 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जो **परिशिष्ट–III** में दर्शाया गयाै ह।

इसे इंगित किये जाने पर चार अंचलों[21] के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अप्रैल से अगस्त 2014 के बीच छः व्यवसायियों के विरूद्ध ₹ 3.99 करोड़ के माँग का सृजन किया।

- 13 अंचलों[22] में 964 व्यवसायियों, जिनके अभिलेखों की जाँच की गयी, में से 24 व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न के साथ घोषणा प्रपत्र ''सी'' एवं रोड परमिट की खपत विवरणी, क्रय विवरणी, बिहार मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इत्यादि के तिर्यक जाँच में हमने पाया कि इन व्यवसायियों ने वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान अपने रिटर्न में केवल ₹ 59.92 लाख के प्रवेश कर का दायित्व दर्शाया था, जबकि वास्तव में उनका दायित्व ₹ 52.92 करोड़ का था। इस तरह व्यवसायियों ने ₹ 52.32 करोड़ का कम कर दायित्व दिखाया था, जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी पता लगाने में असमर्थ रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 52.32 करोड़ के प्रवेश कर का नहीं/कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–IV** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर बेगूसराय एवं पटना विशेष अंचल के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने जुलाई और अगस्त 2014 में चार व्यवसायियों के मामले में ₹ 65.24 लाख के माँग का सृजन किया।

मामले सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किये गए थे; उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

2.3.15 प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा जो 20 प्रतिशत से अधिक न हो, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा। पुनः बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम

20 बाढ, बेगुसराय, भागलपुर, गया, हाजीपुर, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, शाहाबाद (आरा), समस्तीपुर एवं सासाराम।

21 पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं पटना पश्चिमी ।

22 बाढ, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, जमुई, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना उत्तरी एवं पटना विशेष।

की धारा 31 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत छुटे हुए कर निर्धारण की राशि का तिगुना अर्थदण्ड एवं अवनिर्धारित राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज भी आरोप्य है।

हमलोगों ने नौ अंचलों[23] के 964 व्यवसायियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि 22 व्यवसायियों ने वर्ष 2009–10 सें 2012–13 के दौरान ₹ 426.82 करोड़ के अधिसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं अपने रिटर्न में विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार करते हुये अपना कर निर्धारण किया। सही कर का दर लगाये जाने की सत्यापन से संबंधित अनुश्रवण प्रणाली के अभाव में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों का पता नही लगाया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 49.99 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 66.66 करोड़ के प्रवेश कर का कम अधिरोपण हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट–V** में दर्शाया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर मार्च एवं अगस्त 2014 के बीच चार अंचलों[24] के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने चार व्यवसायियों के मामलों में ₹ 6.39 करोड़ का माँग सृजित किया।

मामले सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किए गए थे; हमें अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। (अगस्त 2014)।

2.3.16 प्रवेश कर का भुगतान नहीं/कम किया जाना

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर अगले माह के 15 तारीख अथवा उससे पहले जमा करेगा।

हमलोगों ने नौ वाणिज्य–कर अंचलों[25] के 964 व्यवसायियों के अभिलेख की नमूना जाँच में पाया गया कि 19 व्यवसायियों ने वर्ष 2009–10 से 2012–13 के दौरान ₹ 707.06 करोड़ के प्रवेश कर की देयता अपने रिटर्न में स्वीकार किया था, लेकिन उन्होने वास्तव में केवल ₹ 571.46 करोड़ के प्रवेश कर का ही भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 135.60 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान नहीं/कम हुआ, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–VI** में वर्णित है।

मामले सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किये गए थे; हमें अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2014)।

2.3.17 मूल्यवर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के विरूद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, की धारा 3 (2) यह प्रावधित करता है कि कोई व्यवसायी, जो अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु दायी है, उसकी यदि आयातित अधिसूचित मालों की ब्रिकी अथवा ऐसे आयातित अधिसूचित मालों से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान की देयता बनती है तब बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

[23] औरंगाबाद, बाढ़, दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना विशेष, पटना पश्चिमी और सहरसा।

[24] मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना विशेष और पटना पश्चिमी।

[25] बेगुसराय, भागलपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष और समस्तीपुर।

बशर्ते विनिर्माता के मामले में सिर्फ लघु, मध्यम एवं रूग्न औद्योगिक इकाईयों को ही कर दायित्व में उपरोक्त कमी किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी।

बशर्ते कर में उपरोक्त कमी किसी विनिर्माता को तभी उपलब्ध होगा यदि आयातित अधिसूचित मालो के उपयोग अथवा खपत से विनिर्मित किसी वस्तु की बिक्री बिहार राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में अथवा भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात किया गया हो। आयातित अधिसूचित वस्तुओं से विनिर्मित वस्तुओं का सिर्फ आंशिक रूप से उपरोक्त तरीके से बिक्री के मामले में कर दायित्व को घटाने के दावे को समानुपातिक रूप से कम कर दिया जायेगा।

- हमलोगों ने नौ अंचलों[26] में 964 व्यवसायियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि 35 व्यवसायियों ने वर्ष 2009–10 से 2012–13 के मध्य ₹ 216.04 करोड मूल्यवर्द्धित कर के दायित्व को प्रवेश कर से समायोजित किया। हमलोगों की संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि व्यवसायी केवल ₹ 203.37 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन के ही हकदार थे, क्योंकि वे प्रवेश कर समायोजन के लिए विहित मानदण्ड[27] को पूरा नहीं कर रहे थे। कर निर्धारण प्राधिकारी भी गलत समायोजन का पता नही लगा सके, परिणामस्वरूप ₹ 12.67 करोड़ के प्रवेश कर का अधिक समायोजन भुगतेय मूल्यवर्द्धित कर के विरूद्ध किया गया। इसलिए, इन व्यवसायियों द्वारा ₹ 4.30 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 16.97 करोड़ का मूल्यवर्द्धित कर देय था, जैसा कि **परिशिष्ट–VII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर अगस्त 2013 एवं अगस्त 2014 के बीच चार अंचलों[28] के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने नौ व्यवसायियों के विरूद्ध ₹ 7.89 करोड़ का माँग सृजित किया। उनमें से दो अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना पश्चिमी) के दो मामलों में ₹ 28.99 लाख की वसूली की गयी।

- हमलोगों ने तीन अंचलों[29] में पाया कि तीन व्यवसायियों ने वर्ष 2010–11 से 2012–13 के बीच ₹ 2.66 करोड़ के प्रवेश कर का समायोजन उक्त अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्ध केन्द्रीय बिक्री कर के दायित्व से कर लिया। जिसका पता कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नही लगाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.66 करोड़ के प्रवेश कर का केन्द्रीय बिक्री कर से गलत समायोजन हुआ, अतएव ये व्यवसायी ₹ 85.21 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.51 करोड़ के केन्द्रीय बिक्री कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी थे, जैसाकि **परिशिष्ट–VIII** में वर्णित है।

मामले सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किए गए थे; हमें अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2014)।

2.3.18 करारोपण से छूट के दावे के समर्थन में साक्ष्य

बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 6 (1) में प्रावधान है कि वह व्यवसायी जो आयातित अधिसूचित वस्तुओं के आवर्त के किसी भाग पर इस आधार पर कि वस्तु पर प्रथम बिन्दु पर स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर का भुगतान कर दिया गया है, छूट का दावा करता है, तब उसे अपने दावे के समर्थन में कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष

26 भागलपुर, दानापुर, हाजीपुर, कटिहार, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष और पटना पश्चिमी।

27 आयात किए गए वस्तुओं का पुनः विक्रय नहीं किया जाना। मूल्यवर्द्धित कर की दर प्रवेश कर की दर से कम था। आयातित अनुसूची वस्तुये उपयोग में नहीं लाये गये या वस्तुओं के विनिर्माण में खपत नहीं किये गये।

28 दानापुर, पाटलिपुत्र, पटना विशेष और पटना पश्चिमी।

29 गया, पटना सिटी पूर्वी और समस्तीपुर।

प्रपत्र ई.टी.–IX में एक सत्य एंव पूर्ण घोषणा, विक्रेता व्यवसायी से प्राप्त कर, दाखिल करना होगा। इसके अलावा बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 4(4) में प्रावधान है कि वैसे व्यवसायी को रिटर्न के साथ प्रपत्र ई.टी.–XI में विवरण, जिसमें प्रत्येक निबंधित व्यवसायी से किये गये खरीद, जिन्होने प्रथम आयातक के तौर पर संबंधित अधिसूचित वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में प्रथम प्रवेश पर कर का भुगतान किया है, को पृथक रूप से दर्शाते हुए, समर्पित करना होगा।

हमने पाँच अंचलों[30] में पाया कि आठ व्यवसायियों ने ₹ 50.15 करोड़ के कर का छूट का दावा वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान, बिहार में अधिसूचित मालों के प्रवेश के प्रथम बिन्दु पर कर का भुगतान के आधार पर किया था। लेकिन इन व्यवसायियों द्वारा दावों के समर्थन में न तो प्रपत्र ई.टी.–IX में घोषणा पत्र और न ही प्रपत्र ई.टी.–XI में विवरण दाखिल किया गया था। निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सका जिसके कारण कर से छूट का अनियमित उपभोग किया गया।

हमनें यह भी पाया कि यद्यपि व्यवसायी द्वारा रिटर्न के साथ प्रपत्र ई.टी.–IX में घोषणा पत्र दाखिल करना अपेक्षित था, लेकिन वैटमिस में ऐसी किसी प्रकार की प्रणाली विहित नहीं की गयी थी, जिससे यह प्रपत्र रिटर्न दाखिल करते समय अपलोड किया जा सके।

मामला सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2014)।

2.3.19 प्रवेश कर के अन्तर्गत गलत ढंग से कटौती का लाभ लिये जाने के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 2 (1) (सी), दिनांक 29 अगस्त 2006 से यथा संशोधित, के प्रावधान के अनुसार सभी व्याकरणीय अंतरो एवं अन्य भाव के साथ ''मालों का प्रवेश'' से तात्पर्य है (i) ऐसे क्षेत्र के बाहर स्थित कोई स्थान से स्थानीय क्षेत्र में, (ii) राज्य के बाहर स्थित किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में, (iii) भारत के भू–भाग के बाहर स्थित किसी स्थान से स्थानीय क्षेत्र में उपयोग, उपभोग तथा बिक्री के लिए मालों का प्रवेश।

हमने मार्च 2014 में पटना विशेष अंचल में पाया कि एक व्यवसायी जो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी था, ने वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 27,092.67 करोड़ का कटौती का लाभ प्रवेश कर से इस आधार पर लिया था कि अधिसूचित माल, जिसका क्रय अथवा प्राप्ति की गई थी, उसका निर्माण अथवा उत्पादन स्थानीय क्षेत्र में हुआ था। परन्तु व्यवसायी, वास्तविक रूप से, उक्त पेट्रोलियम उत्पादों जिसका निर्माण अथवा उत्पादन बरौनी रिफाइनरी (अन्य स्थानीय क्षेत्र) में हुआ था तथा जो वर्ष 2011–12 की अवधि में मार्केटिंग डिविजन (विभिन्न मार्केटिंग टर्मिनलों पर) में बिक्री के लिए प्राप्त किया गया था, पर प्रवेश कर हेतु दायी था। पुनः हमने अवलोकन किया कि उक्त मालों में से व्यवसायी ने ₹ 1,939.65 करोड़ का पेट्रोल/डीजल मार्केटिंग डिविजन के पटना टर्मिनल में वर्ष 2011–12 की अवधि में, बरौनी रिफाइनरी से प्राप्त किया था, जिसपर उसका ₹ 310.34 करोड़ के प्रवेश कर की देयता बनती थी। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा गलत कटौती का पता नहीं लगाया जा सका, जिसके कारण ₹ 310.34 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ ।

इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं अगस्त 2014 में ₹ 310.34 करोड़ के माँग का सृजन किया।

[30] बाढ़, भागलपुर, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी एवं पटना विशेष।

2.3.20 कर दायित्व को अनियमित रूप से घटाया जाना

बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 8 में प्रावधान है कि निबंधित व्यवसायी द्वारा त्रैमासिक रिटर्न के साथ तीन प्रतियों में प्रपत्र ई.टी.–X जमा किये जाने पर उसके बिक्री कर के दायित्व में कमी का दावा स्वीकार्य होगा। प्रपत्र ई.टी.–X में दावा की प्राप्ति के पश्चात् कर निर्धारण के लिए विहित प्राधिकारी अगले त्रैमासिक रिटर्न के दाखिल करने की तिथि से पूर्व इसकी संवीक्षा करेगें तथा दावे की सत्यता के बारे में संतुष्ट होगें। बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 10 के प्रावधान के अनुसार, अगर कोई व्यवसायी या आयात करने वाला व्यक्ति इस नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन करता है तब वह एक हजार रूपये से अधिक नहीं, तक के अर्थदण्ड का भागी होगा, यदि उल्लंघन लगातार किया जा रहा हो तो ऐसे उल्लंघन के प्रत्येक दिन के लिये प्रति दिन पच्चीस रुपये से अनधिक अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

हमने 10 अंचलों[31] में पाया कि 82 व्यवसायियों ने भुगतेय मूल्यवर्द्धित कर दायित्व घटाने के दावा संबधी विवरणी (प्रपत्र ई.टी.–X) वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 की अवधि के लिए दाखिल नहीं किया था। इस प्रकार इन व्यवसायियों ने ₹ 27.98 करोड़ राशि का मूल्यवर्द्धित कर दायित्व के भुगतान से कटौती का लाभ़ बिना ई.टी.– X दाखिल किये हुए लिया। इस संबंध में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा न तो कोई संवीक्षा और न ही किसी प्रकार का पृष्ठांकन पाया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 83,000 का अर्थदंड भी उपरोक्त नियम का उल्लंघन के लिए आरोपित नहीं किया गया था जो कि विभाग में कमजोर नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने एक्जिट कन्फ्रेंस में जुलाई 2014 में बताया कि यह एक प्रक्रियात्मक त्रुटि था जिससे विभाग को कोई राजस्व की हानि नहीं हुई। तथापि सम्बन्धित अंचलों से वास्तविक तथ्य प्राप्त कर जवाब भेजा जायेगा।

2.3.21 तिर्यक जाँच

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी किसी श्रेणी के व्यवसायी द्वारा की गई बिक्री/क्रय संबंधी सूचना जुटा सकता है तथा खरीद एवं बिक्री के ऐसे लेन देन की तिर्यक जाँच करवा सकता है ।

उपलब्ध करायी गई सूचनाओं के अनुसार हमने यह पाया कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नमूना जाँचित किसी भी अंचलों में प्रवेश कर के अंतर्गत सूचनाओं की तिर्यक जाँच नहीं की गयी थी। हमलोगों ने पुनः पाया कि वैसे मामलों में भी, जहाँ वाणिज्य–कर आयुक्त के कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध कराये गये थे, की तिर्यक जाँच नहीं की गई थी। यह विभाग में व्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली में चूक की ओर इंगित करता है, जिसके कारण प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ ।

तथापि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई उन्हीं सूचनाओं के साथ–साथ निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कुछ अन्य मामलों में किये गये तिर्यक जाँच के दौरान निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुई :

[31] बेगुसराय, भागलपुर, गया, कटिहार, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पूर्णियाँ तथा समस्तीपुर।

2.3.21.1 अंतर्राज्यीय सूचनाओं की तिर्यक जाँच

सात अंचलों[32] में हमने पाया कि वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान 14 व्यवसायियों ने अपने रिटर्न में ₹ 18.14 करोड़ के सामान का आयात प्रदर्शित किया था। विभाग द्वारा राज्य के बाहर से कोयला एवं बिटूमिन के आंकड़े प्राप्त कर विभिन्न अंचलों को भेजे गये थे, जिसकी तिर्यक जाँच से हमने पाया कि वास्तव में इन व्यवसायियों द्वारा ₹ 50.17 करोड़ का सामान आयात किया गया था। अतः इन व्यवसायियों द्वारा ₹ 32.03 करोड़ मूल्य के आयात का छिपाव किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 6.22 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 8.29 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–IX** में दर्शाया गया है।

2.3.21.2 अन्य विभागों से प्राप्त सूचनाओं की तिर्यक जाँच

बेगूसराय अंचल में हमने पाया कि पेट्रोलियम उत्पादों के एक विनिर्माता ने अपने वार्षिक रिटर्न में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान क्रमशः ₹ 23,685.01 करोड़ तथा ₹ 29,020.71 करोड़ मूल्य के कच्चे तेल का आयात दर्शाया था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में दाखिल किए गए वार्षिक रिटर्न (ई. आर.–4) की सूचनाओं की तिर्यक जाँच पर हमने पाया कि वास्तव में व्यवसायी ने वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान क्रमशः ₹ 24,292.96 करोड़ तथा ₹ 29,796.95 करोड़ की राशि का कच्चा तेल राज्य के बाहर से आयात किया था और इस प्रकार ₹ 1,384.19 करोड़ के कच्चे तेल के आयात मूल्य का छिपाव किया गया था। इसके फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 110.74 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ ।

मामले सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2014)।

सरकार बिक्री तथा खरीद के लेन–देनों की आवधिक एवं लक्ष्य के साथ तिर्यक जाँच हेतु एक प्रणाली बनाने पर विचार कर सकती है।

2.3.22 चेक पोस्ट

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 यह प्रावधित करता है कि यदि कोई वस्तुओं का खेप, सड़क के माध्यम से बिहार के बाहर स्थित किसी स्थान से अन्य किसी ऐसे स्थान को राज्य के परिक्षेत्र से होकर परिवहित किया जाता है, तो चालक अथवा उस वाहन के प्रभारी व्यक्ति, राज्य में प्रवेश करने के बाद रास्ते में पड़ने वाले प्रथम चेक पोस्ट से विहित तरीके से पारगमन अनुमति प्राप्त करेगा एवं राज्य छोड़ने से पूर्व अंतिम चेक पोस्ट पर उसे अभ्यर्पित करेगा। प्रथम चेक पोस्ट छोड़ने से बहत्तर घंटे के भीतर यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो यह माना जायेगा कि परिवहित वस्तु बिहार राज्य के अंतर्गत बिक्री कर दी गई है। पुनः उपधारा (2) यह प्रावधित करता है कि ऐसा करने में विफल रहने पर प्रत्येक चूक दिवस के लिये प्रतिदिन पाँच सौ रुपये के दर से अथवा परिवहित की गई वस्तु के मूल्य पर संगणित कर के दुगने राशि में से जो ज्यादा हो, के अर्थदण्ड का भागी होगा ।

2.3.22.1 पारगमन में चूक

- डोभी चेक पोस्ट पर मई 2013, अगस्त 2013 एवं मार्च 2014 तथा कर्मनाशा चेक पोस्ट पर मई, जून, जुलाई, अगस्त एवं दिसम्बर 2013 के आउट टू आउट

[32] औरंगाबाद, भागलपुर, गया, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिमी और पूर्णियाँ।

सुविधा[33] के एप्लीकेशन स्टेटस रिपोर्ट के कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस की नमूना जाँच में हमने पाया कि क्रमशः ₹ 4,282.61 करोड़ एवं ₹ 1,119.76 करोड़ की कन्साईनमेंट मूल्य से संबंधित 5,997 एवं 6,555 गाड़ियाँ, जिन्होने आउट टू आउट इलेक्ट्रॉनिक सुविधा का उपयेाग किया था तथा जिसे डोभी एवं कर्मनाशा चेक पोस्ट द्वारा स्वीकृति दी गई थी तथा उनका निकास पाँच में से किसी एक समेकित चेक पोस्ट से प्रस्तावित था, उनके वास्तविक निकास का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

अतः इस बात का सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त माह में ₹ 5,402.37 करोड़ की कन्साईन्मेन्ट मूल्य के 12,552 चूककर्त्ता गाड़ियों के मालिक द्वारा इसे बिहार के अंतर्गत बेच दिया गया था तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत् गाडियों के मालिकों के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोप्य था। परन्तु उन चूककर्त्ता व्यक्तियों के विरूद्ध इस चूक के लिए कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

- डोभी एवं कर्मनाशा चेक पोस्ट की क्रमशः मई, अगस्त 2013 तथा मार्च 2014 एवं मई, जून, जुलाई, अगस्त तथा दिसम्बर 2013 महीनों की आउट टू आउट सुविधा एप्लीकेशन स्टेट्स रिपोर्ट की कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस की नमूना जाँच में हमने पाया कि क्रमशः ₹ 157.19 करोड़ एवं ₹ 55.94 करोड़ के कन्साईनमेंट मूल्य से संबंधित 1,515 एवं 465 गाडियाँ, जिन्होने इलेक्ट्रॉनिक आउट टू आउट सुविधा का उपयेाग किया था एवं जिन्हें डोभी एवं कर्मनाशा जाँच चौकी द्वारा स्वीकृति दी गई थी एवं जिनका निकास अम्बा, बाराहाट, सोहनीपटी (बक्सर) जोगबनी, पीरपैती एवं रक्सौल से प्रस्तावित था, की वास्तविक निकास की कोई सूचना नहीं थी। लेखापरीक्षा की तिथि तक इन जगहों पर कोई चेक पोस्ट अधिसूचित एवं क्रियाशील नहीं थे। निकास की सूचना नहीं रहने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ये कन्साईनमेंट/गाड़ियाँ वास्तव में अपने इच्छित निकास चेक पोस्ट से बाहर हुये या उन कन्साइनमेंट को बिहार के अंतर्गत ही उतार लिया गया था, जो कर अपवंचना का कारण हो सकता है।

अतः निकास बिन्दू के रूप में असंचालित चेक पोस्टों के लिए सुविधा नम्बर का जारी होना कर अपवंचना के जोखिम से भरा हुआ था, क्योंकि निकास बिन्दु पर कोई निवारक उपाय/जाँच उपलब्ध नहीं था जो अभेद्य प्रणाली, जैसा कि उपरोक्त अधिनियम में प्रावधित तथा उद्देशित था, के अभाव को इंगित करता है।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अधिक प्रभावी प्रणाली पर विचार किया जा रहा है ।

2.3.22.2 अनियमित छूट

अधिसूचना सं0 बिक्री कर/विविध/43–2011–1245 दिनांक 12 अप्रैल 2013 की कंडिका 3 की उपकंडिका (1) के परन्तुक में हमने पाया कि नेपाल, गढ़वा, लातेहार, पलामू, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, बलिया एवं रामगढ़ जाने वाले कन्साईन्मेंट को चेक पोस्ट से निकास की आवश्यकता को समाप्त किया जाना, अधिनियम अथवा नियमावली में ऐसे किसी प्राधिकार के बगैर अनिमित रूप से की गई थी, जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों से असंगत था।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 62 यह प्रावधित करता है कि सभी कन्साइनमेंट को बिहार के बाहर किसी स्थान से किसी अन्य ऐसे स्थान के लिये पारगमन हेतु प्रवेश एवं निकास के लिए चेक पोस्ट से गुजरना होगा। इस संबंध में न

[33] राज्य के बाहर किसी स्थान से अन्य किसी ऐसे स्थान को परिवहन अर्थात बिहार राज्य के रास्ते परिवहन हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक जनित 16 संख्या का युनिक ट्रांजिट पास (डी.–VII)।

तो अधिनियम के तहत् कोई भी अपवाद विहित है तथा न ही कोई ऐसा प्राधिकारी विहित किया गया है, जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 62 के प्रावधान को शिथिल कर सके। हमलोगों ने पुनः पाया कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 40 (2) (बी) भी आयुक्त को बिहार के बाहर के किसी स्थान से ऐसे ही किसी अन्य स्थान के लिए पारगमन हेतु किसी चेक पोस्ट से गुजरने की बाध्यता को शिथिल करने के लिए अधिकृत नहीं किया था।

मामला सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

सरकार उन निकास बिन्दुओं पर जिनके लिये सुविधा नंबर जनित होती है, चेक पोस्ट की स्थापना कर एवं अनियमित शिथिलता को वापस लेकर बिहार से होकर पारगमन करने वाले गाड़ियों के लिये एक पूर्ण रूप से अभेद्य तंत्र का विकास कर सकती है, जैसा उपरोक्त अधिसूचना द्वारा प्रावधित है।

2.3.23 राजस्व का बकाया

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 46 उपबंधित करता है कि कर/देय राशि की वसूली के उद्देश्य से विहित प्राधिकारी को वही शक्तियाँ होगी जो बिहार तथा उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नीलामवाद पदाधिकारी में निहित होती है।

नमूना जाँचित 14 अंचलों[34] की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 31 मार्च 2013 तक 153 मामलों में ₹ 65.85 करोड़ के राजस्व बकाये थे तथा विभाग के पदाधिकारियों में नीलामवाद पदाधिकारी की शक्तियाँ निहित होते हुए भी ₹ 16.90 लाख के सिर्फ एक मामले में नीलामवाद दायर किया गया था। संचयित बकाया एवं नीलामवाद की संख्या में कमी विभाग में कमजोर आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण की ओर इंगित करता है।

मामले सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किए गए थे, हमें अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (अगस्त 2014)।

2.3.24 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण, अधिनियमों, नियमावली एवं विभागीय निर्देशों के यथोचित क्रियान्वयन का उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु उद्देशित है। किसी भी विभाग को दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए मैन्युअल के साथ–साथ कम्प्युट्रीकृत परिवेश में एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आवश्यक है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई।

2.3.24.1 रिटर्न की पंजी का अभाव

हमलोगों ने पाया कि व्यवसायियों द्वारा रिटर्न के दाखिल करने पर नजर रखने एवं उसके अनुश्रवण तथा समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु ऐसे किसी रजिस्टर का प्रावधान नहीं था। जिसके फलस्चरूप काफी संख्या में व्यवसायियों द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किया जा रहा था, जो इस प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.3.12 में दर्शाया गया है।

[34] औरंगाबाद, बाढ़, बेगुसराय, भागलपुर, गया, हाजीपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलिपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पूर्णियाँ और समस्तीपुर।

2.3.24.2 डी.सी.बी.पंजी

हमलोगों ने पाया कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत माँग, वसूली एवं शेष (डी.सी.बी.) पंजी के संधारण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे नियंत्रण औजार के अभाव में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रावधानों के तहत् कर निर्धारण के बाद निर्गत माँग पत्र, राजस्व के बकायों की वसूली एवं जमा करने योग्य शेष राशि का अनुश्रवण एवं सत्यापन बहुत ही कठिन था।

2.3.24.3 निस्तारण पंजी का अभाव

हमलोगों ने पाया कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निस्तारण पंजी संधारित करने का प्रावधान नहीं था। ऐसे पंजी के अभाव में, बेहतर आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गए मामलों का पता लगाने के लिए तंत्र विहित नहीं था।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में कहा कि प्रवेश कर के अंतर्गत इन पंजियों के संधारण के लिये परिपत्र/निर्देश जारी किये जायेगें।

2.3.24.4 कर लेखापरीक्षा

किसी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध उसके आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अवयव होता है तथा विभाग को यह सुनिश्चित करने हेतु सक्षम बनाता है कि विहित तंत्र उचित रूप से क्रियान्वित हो रहे हैं। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 26 उपबंधित करता है कि विभाग का लेखापरीक्षा स्कंध विहित तरीके से एक चयन मॉडल के आधार पर चयनित किसी व्यवसायी का विस्तृत लेखापरीक्षा कर सकता है।

हमलोगों ने पाया कि इस तथ्य के बाबजूद कि बिहार मूल्यवर्द्धित कर एवं प्रवेश कर, कई तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, यथा व्यवसायी द्वारा जमा किए गए प्रवेश कर की सीमा तक मूल्यवर्द्धित कर के दायित्व में कमी, विभाग के लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा रिटर्न/अभिलेख की लेखापरीक्षा किए जाने हेतु बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्रावधान नहीं थे। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रणाली का अभाव था।

इसे इंगित किए जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा जुलाई 2014 में एक्जिट कन्फ्रेंस में कहा कि बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत लेखापरीक्षा के उपबंध जोड़ने हेतु संशोधन पर विचार किया जा रहा था।

विभाग के लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा प्रवेश कर के मामलों की भी कर लेखापरीक्षा हेतु प्रावधान विहित करने पर सरकार विचार कर सकती है।

2.3.25 निष्कर्ष

विभाग में नियंत्रण प्रणाली में कमी थी क्योंकि कर प्रशासन हेतु अधिसूचना जारी करने में अधिनियम/नियमावली/संविधि के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के लागू होने के बाद उसकी कई नयी विशेषताएँ, बिहार प्रवेश कर अधिनियम में संशोधन नही किए जाने के कारण लागू नहीं थे। आधारभूत ढाँचा के विकास के लिए सृजित बिहार ट्रेड डेवलपमेंट फंड में प्रवेश कर की जमा राशि का निहित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोग नही किया गया था। बिहार प्रवेश कर अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में कमी के कारण वृहत् रूप से अवनिर्धारण एवं प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ। काफी संख्या में योग्य व्यवसायी बिहार प्रवेश कर अधिनियम के तहत् निबंधित नहीं थे एवं इस अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण बहुत कम था। आउट–टू–आउट सुविधा की उत्पत्ति एवं उपयोग में पूर्ण रूप से अभेद्य प्रणाली का अभाव था, जिसके कारण राजस्व का रिसाव हुआ।

संवीक्षा, नियमित कर निर्धारण एवं कर लेखापरीक्षा के लिए प्रावधान का अभाव इस तथ्य का द्योतक था कि विभाग ने राजस्व की सुरक्षा के लिए उचित नियंत्रण एवं जाँच की प्रणाली स्थापित नहीं किया था।

2.3.26 अनुशंसाओं का सार

- **सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विहित करने पर विचार कर सकती है कि सभी अधिसूचनाएँ उचित सचेतना तथा विद्यमान कानूनों के अनुसार पूरी तरह संवीक्षा के बाद जारी हो।**
- **सरकार, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध ब्याज, अर्थदण्ड, संवीक्षा एवं कर लेखापरीक्षा से संबंधित नई विशेषताओं को बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत लागू करने के लिए यथोचित संशोधन करने पर विचार कर सकती है।**
- **बिहार ट्रेड डेवलपमेंट फंड में प्रवेश कर कि जमा राशि की निहित उदेश्य के लिए ही उपयोग हेतु सुनिश्चित करने के लिये एक अनुश्रवण प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकती है।**
- **सरकार, व्यवसायियों द्वारा दाखिल मूल्यवर्द्धित कर रिटर्न/विवरणी में क्रय–विक्रय के आँकड़ों का बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत अनिबंधित व्यवसायियों का पता लगाने हेतु एक तिर्यक जाँच की प्रक्रिया बनाने पर विचार कर सकती है।**
- **सरकार, रिटर्न दाखिल किये जाने का प्रभावी अनुश्रवण एवं उनके उचित कर निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली विहित करने पर विचार कर सकती है।**
- **सरकार, उन निकास बिन्दुओं पर राजस्व के रिसाव का रोकने हेतु जिनके लिये सुविधा नंबर जनित होती है, चेक पोस्ट की स्थापना कर बिहार से होकर पारगमन करने वाली गाड़ियों के लिये एक पूर्ण रूप से अभेद्य तंत्र का विकास कर सकती है।**

2.4 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के तहत् निम्न आरोपण एवं भुगतान आवश्यक है:

- *व्यवसायियों द्वारा उचित दरों पर बिक्री, व्यापार आदि पर कर, एवं विलासिता कर, विद्युत शुल्क इत्यादि;*
- *बिक्री/क्रय का छिपाव के मामले में छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर के तीन गुणा दर पर अर्थदण्ड; तथा*
- *कर के विलम्ब से भुगतान के लिए प्रत्येक कैलेण्डर माह अथवा उसके किसी भाग के लिये 1.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज।*

अधिनियमों/नियमावली/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 548.61 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, कर का अवनिर्धारण, गलत

छूट/कटौती इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिकायें 2.5 से 2.20 में वर्णित है, जो विभाग में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्द्धित कर

2.5 आवर्त का छिपाव

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31(2) के अंतर्गत यदि निर्धारण प्राधिकारी यह संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के तहत् कर योग्य कोई आवर्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अंदर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा तथा कर एवं ब्याज के अलावे वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी, समय के अन्दर तथा विहित तरीके से, धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के तहत् जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से करेगा कि (क) संगणना गणितीय रूप से सही है, (ख) आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, देय कर एवं ब्याज, अगर कोई हो, की संगणना सही एवं उचित रूप से की गई है, (ग) सही दर पर कर लगाया गया है, (घ) कर भुगतान एवं देय ब्याज, यदि कोई हो, से संबंधित विहित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा (ड़) दावा की गई कटौतियाँ, अधिनियम के तहत् अथवा उस समय लागू अन्य कानून के अंतर्गत विहित तरीके से साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

हमलोगों ने पाया कि संवीक्षा के प्रावधान में विशेष रूप से रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त की जाँच व्यवसायी के रिटर्न की संवीक्षा करते समय उसके अन्य अभिलेखों, जैसे कि रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों तथा साथ ही साथ टैक्स आडिट रिपोर्ट अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त बिक्री एवं क्रय से संबंधित सूचनाओं से करने का प्रावधान नहीं था।

हमलोगों ने अप्रैल 2012 एवं मार्च 2014 के बीच 11 वाणिज्य–कर अंचलों[35] में पाया कि 1,264 नमूना जांचित व्यवसायियों में से 15 व्यवसायियों (कर निर्धारितः 1, संवीक्षितः 1 तथा स्व–कर निर्धारितः 13) ने वर्ष 2009–10 एवं 2011–12 की बीच की अवधि के दौरान ₹ 1,596.75 करोड़ का माल क्रय/विक्रय किया, जैसाकि उनके रोड परमिट के उपयोगिता विवरणी (डी0–IX[36]), घोषणा प्रपत्रों की विवरणी, 'सी[37]' टैक्स ऑडिट रिपोर्ट,[38] स्रोत पर कर की कटौती प्रमाणपत्र (सी–II) एवं प्रवेश कर अधिनियम के तहत् दाखिल किये गये वार्षिक रिटर्न में दर्शाया गया था। हालाँकि उनलोगों ने अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 1,596.75 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 1,378.88 करोड़ ही लेखापित किए एवं इस प्रकार ₹ 217.87 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय/विक्रय का छिपाव किया। चूँकि विभाग ने सूचनाओं की तिर्यक जाँच हेतु कोई अनुदेश निर्गत नहीं किया था, निर्धारण प्राधिकारी आवर्त्त के छिपाव का पता नहीं लगा सके, यहाँ तक की उन मामलों में भी जहाँ अंकेक्षण आपत्ति कर निर्धारित/संवीक्षित रिटर्न पर आधारित था। इसके

35 दानापुर, हाजीपुर, गया, कदमकुआँ, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्रा, पटना विशेष और सासाराम।

36 डी0–IX – राज्य के बाहर से ₹ 10,000 अथवा अधिक के मूल्य के वस्तुओं के आयात/क्रय हेतु उपयोग में लाए गए रोड परमिट घोषणा। यह वस्तुओं के परिवहन के साथ रहता है।

37 प्रपत्र सी– अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में रियायती दर पर वस्तुओं के क्रय हेतु उपयोग में लाया जाता है।

38 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट– प्रत्येक व्यवसायी जिनका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक है, उन्हें नियत तिथि तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

परिणामस्वरूप ₹ 52.55 करोड़ के अर्थदण्ड तथा ₹ 6.20 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 76.27 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–X** में वर्णित है। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले **तालिका 2.8** में वर्णित हैं।

तालिका–2.8

(₹ लाख में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम व्यवसायियों की सं0	अवधि	वास्तविक क्रय लेखापित	वास्तविक बिक्री लेखापित	छिपाव की राशि	कर अर्थदण्ड	ब्याज	कुल
1	मुजफ्फरपुर पश्चिम 1	2010–11	–	11,646.97 3,649.11	7,997.86	372.13 1,116.37	128.38	1,616.88
2	पाटलीपुत्र 2	2010–11 एवं 2011–12	–	50,059.95 47,712.77	2,347.18	219.76 659.29	89.52	968.57
3	पटना विशेष 2	2010–11	70,384.62 62,539.42	–	7,845.20	980.65 2,941.95	331.82	4,254.42

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त ने जून 2013 एवं जुलाई 2014 के बीच सात अंचलों[39] के आठ व्यवसायियों से संबंधित अंकेक्षण अवलोकनों को स्वीकार किया एवं ₹ 58.57 करोड़ का मांग पत्र सृजित किया तथा एक मामला में ₹ 16.07 करोड़ की वसूली की। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतिक्षित हैं।

मामला सरकार को जुलाई 2013 एवं जुलाई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.6 अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि जब एक निबंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अन्दर किसी अन्य निबंधित व्यवसायी से अधिनियम की धारा 14 अथवा धारा 4 के तहत् कर का भुगतान करने के पश्चात् कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, अगर मालों की बिक्री राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गई हो अथवा राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री के लिए वस्तुओं (अनुसूची–IV के वस्तुओं के अलावे) के विनिर्माण में खपत की गई हो। पुनः अधिनियम की धारा 31 में इनपुट टैक्स क्रेडिट से अधिक/गलत दावों के लिए ब्याज की राशि के अलावे भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है।

हमलोगों ने चार वाणिज्य–कर अंचलों[40] में मार्च 2013 से मार्च 2014 के बीच 662 नमूना जांचित व्यवसायियों में से सात व्यवसायियों (कर निर्धारित : 2 एवं स्व–कर निर्धारित : 5) के वार्षिक रिटर्न एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आदि से पाया कि उन्होंने वर्ष 2010–11 से 2011–12 के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 88.42 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय पर ₹ 9.57 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी वस्तुओं के उस क्रय पर सिर्फ ₹ 1.79 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के ही हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायियों

[39] हाजीपुर, कदमकुआँ, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पश्चिम, पाटलीपुत्र, पटना विशेष एवं सासाराम।

[40] भागलपुर, गया, पटना विशेष एवं पटना पश्चिम।

ने ₹ 7.78 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया। इस अधिक दावे के लिए ₹ 23.34 करोड़ का अर्थदण्ड तथा ₹ 2.68 करोड़ का ब्याज संगणित किया गया है। व्यवसायियों के रिटर्न की संवीक्षा नहीं किए जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिये जाने का पता नहीं लगा सके। यह मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने की ओर इंगित करता है। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 33.80 करोड़ था, जैसा कि **परिशिष्ट–XI** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त ने अक्टूबर 2013 एवं अगस्त 2014 के बीच कहा कि दो अंचलों (भागलपुर एवं पटना विशेष) के तीन व्यवसायियों के मामले में ₹ 9.38 करोड़ का माँग सृजित किया एवं एक मामला में ₹ 69,864 की वसूली की गई। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार को जुलाई 2013 एवं जुलाई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.7 कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी करो का दर सही रूप से लगाये जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से संवीक्षा करेगा।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) एवं 39 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड एवं 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज आरोप्य है, यदि भुगतेय कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से बिक्री का पूर्ण एवं सही ब्यौरा देने में व्यवसायी विफल रहता है।

हमलोगों ने जून 2012 एवं मार्च 2014 के बीच आठ वाणिज्य–कर अंचलों[41] में पाया कि 1,265 नमूना जाँचित व्यवसायियों में से आठ व्यवसायियों (संवीक्षितः 1 एवं स्व–कर निर्धारित : 7) ने वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान ₹ 17.55 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर पाँच से 13.5 प्रतिशत की सही दर के बदले शून्य से पाँच प्रतिशत की कम दर पर कर निर्धारित किया। संवीक्षा नहीं/त्रुटिपूर्ण संवीक्षा किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 45.76 लाख के ब्याज एवं ₹ 3.15 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 4.66 करोड़ का कर कम आरोपित हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–XII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों ने जनवरी 2013 एवं अगस्त 2014 के बीच चार वाणिज्य–कर अंचलों[42] के चार व्यवसायियों के मामले को स्वीकार किया एवं ₹ 1.26 करोड़ का मांग सृजित किया। पटना सिटी पश्चिम अंचल के एक मामले में ₹ 2.89 लाख की वसूली की गई। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जनवरी 2013 एवं जुलाई 2014 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

41 हाजीपुर, मुंगेर, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पश्चिम, पटना विशेष, पूर्णियाँ, रक्सौल एवं सासाराम।

42 पाटलीपुत्र, पटना सिटी पश्चिम, रक्सौल एवं सासाराम।

2.8 कटौतियों की गलत अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के तहत् एक कार्य संवेदक, मजदूरी एवं किसी प्रकार के प्रभार, जैसे कि मजदूरी एवं सेवाओं के मद में उप संवेदक को किए गए भुगतान की राशि, योजना, रूपांकन एवं वास्तुकार फीस हेतु प्रभार, किराये पर प्राप्त किए गए मशीन एवं औजार के उपयोग हेतु प्रभार, उपभोज्य वस्तुओं की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्चे, संवेदक द्वारा मजदूरी की आपूर्ति एवं सेवाओं पर अर्जित लाभ तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के तहत् छूट प्राप्त मालों अथवा लेन–देनों पर, कटौती लिए जाने हेतु योग्य है।

हमलोगों ने 11 वाणिज्य–कर अंचलों[43] में मार्च 2012 और फरवरी 2014 के बीच 77 नमूना जाँचित कार्य संवेदकों में से 14 कार्य संवेदकों (कर निर्धारितः एक तथा स्व–कर निर्धारितः 13) के लाभ एवं हानि खाते/उनके द्वारा जमा किए रिटर्न से पाया कि 2009–10 तथा 2011–12 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 661.29 करोड़ की कटौती का लाभ लिया था, जबकि वे मात्र ₹ 585.63 करोड़ की ही कटौती के हकदार थे। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित मामले में भी अमान्य कटौतियों के दावे का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.41 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जिसकी संगणना ₹ 661.29 करोड़ की कटौती के उपरोक्त दावे की सामग्री एवं मजदूरी तथा सेवाओं के बीच समानुपातिक रूप से संगणित ₹ 75.66 करोड़ के सामग्री अवयव पर की गई थी, जैसा कि **परिशिष्ट–XIII** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त ने अक्टूबर 2012 एवं जुलाई 2014 के बीच चार अंचलों[44] के चार व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 2.82 करोड़ का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को अगस्त 2012 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.9 ट्रांजिट बिक्री के मद में अनियमित कटौती

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3 (बी) के प्रावधान के तहत् मालो की खरीद या बिक्री अन्तर्राज्यीय बिक्री या व्यापार के तहत् की गई तभी मानी जाएगी यदि वह खरीद या बिक्री, वस्तु के एक राज्य से दूसरे राज्य में पारगमन के दौरान वस्तु के स्वामित्व प्रलेख के हस्तातंरण के द्वारा की गई हो और यदि विक्रय अनुबंध वस्तु के एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने की प्रक्रिया से पूर्व किया गया हो, तो ऐसी बिक्री ट्रांजिट बिक्री नहीं मानी जा सकती है।

पुनः केन्द्रीय बिक्री कर नियमावली, 1957 के नियम 12 (1) तथा 12(4) के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6(2) प्रावधित करता है कि यदि कोई व्यवसायी एक निबंधित व्यवसायी को मार्गस्थ/उत्तरोत्तर बिक्री से संबंधित छूट का दावा करता है तो उसे प्रपत्र ई–।/ई–।। तथा प्रपत्र–सी में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पाटलीपुत्र वाणिज्य–कर अंचल में अभिलेखों/रिटर्न कि संवीक्षा के दौरान हमने जनवरी एवं फरवरी 2013 के बीच पाया कि नमूना जाँचित 190 व्यवसायियों में से दो व्यवसायियों ने वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 की अवधि के दौरान ₹ 44.03 करोड़ की

[43] जमुई, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना दक्षिण, पटना विशेष, पूर्णियाँ और सासाराम।

[44] मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र एवं पटना दक्षिण।

कटौती का लाभ लिया था। उसमें से ₹ 31.66 करोड़ की राशि की छूट ट्रांजिट बिक्री के मद में लिया गया था परन्तु वह बिक्री पूर्व निर्धारित थी, न की वस्तु के एक राज्य से दूसरे राज्य के पारगमन के दौरान वस्तु के स्वामित्व प्रलेख के हस्तांतरण के द्वारा की गई थी। अतः व्यवसायियों का ट्रांजिट बिक्री का संपूर्ण दावा, अस्वीकार करने योग्य था, जिसे निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाया गया और जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ ब्याज सहित ₹ 4.02 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद संबंधित संयुक्त आयुक्त/निर्धारण प्राधिकारी ने दोनों मामलों के तथ्यो को स्वीकार (मई एवं सितम्बर के बीच 2013) किया तथा ₹ 4.02 करोड़ का माँग सृजित किया। हम इन मामलो में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2013 एवं मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.10 मूल्यवर्द्धित कर/प्रवेश कर का गलत/अधिक प्रतिपूर्ति

बिहार औद्योगिक नीति, 2006 की कंडिका 2 (ix) के अनुसार, 1 अप्रैल 2006 के पूर्व से कार्यशील उद्योगों को सरकारी खाता में उनके द्वारा किये गये जमा मूल्यवर्द्धित कर का 25 प्रतिशत का प्रतिपूर्ति लेना था। पुनः औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 4 तथा उद्योग विभाग के पत्र (नवम्बर 2006) प्रावधित करता है कि उपरोक्त औद्योगिक ईकाईयाँ, जिसने विस्तारण/विशाखनन/आधुनिकीकरण किया हो, वे अपने बढ़े हुए उत्पादन पर उनके द्वारा सरकारी खाता में जमा किये गये मूल्यवर्द्धित कर का 80 प्रतिशत के दर पर, इस प्रकार के प्रतिपूर्ति लेने हेतु हकदार होंगे। पुनः कथित नीति का परिशिष्ट–1 का शर्त 8 उपबंधित करता है कि एक इकाई को विस्तारण/विशाखनन/आधुनिकीकरण के योग्य होने के लिए ऐसे विस्तारण/विशाखनन/आधुनिकीकरण योजना मे जाने से पूर्व संबंधित औद्योगिक विभाग एवं वाणिज्य–कर उपायुक्त को पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। केन्द्रीय बिक्री कर या प्रवेश कर जमा के विरूद्ध कोई प्रतिपूर्ति नहीं दिया जाना था।

पुनः बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 (जुलाई 2011 से प्रभावी) की कंडिका 9 के अनुसार किसी भी इकाई, नई अथवा कार्यरत, को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के प्रावधानों के तहत् देय प्रोत्साहन, तभी प्राप्त होगी जब उस इकाई द्वारा उक्त मद में देय प्रोत्साहन सरकार के किसी अन्य नीति के तहत् प्राप्त नहीं किया गया हो। इकाईयाँ प्रोत्साहन लेते समय इस आशय का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेगें। आउटपुट टैक्स के विरूद्ध प्रवेश कर का सामंजन लिये जाने की स्थिति में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के पश्चात् नई औद्योगिक इकाईयाँ द्वारा भुगतान की गई प्रवेश कर की राशि को प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से मूल्यवर्द्धित कर के 80 प्रतिशत राशि में शामिल किया जायेगा।

बिहार प्रवेश कर नियमावली, 1993 के नियम 4क के प्रावधान के तहत् जहाँ एक अधिसूचित मालों का आयातक इस अधिनियम के तहत् कर का भुगतान हेतु दायी है तथा ऐसे आयातित अधिसूचित मालों का बिक्री अथवा ऐसे आयातित वस्तुओं के खपत द्वारा विनिर्मित मालों की बिक्री के कारण बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् कर दायित्व बनता है, इस बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत् उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा। पुनः विनिर्माता के मामले में सिर्फ लघु, मध्यम एवं रूग्न औद्योगिक इकाईयों को ही कर दायित्व में कमी किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी।

2.10.1 हमलोगों ने चार वाणिज्य–कर अंचलों[45] में मई 2013 एवं दिसम्बर 2013 के बीच पाया कि 598 नमूना जाँचित व्यवसायियेां में से चार व्यवसायियों (निर्धारित) ने वर्ष 2011–12 से 2013–14 (प्रथम तिमाही) तक ₹ 6.02 करोड. की गलत प्रतिपूर्ति मूल्यवर्द्धित कर/प्रवेश कर के भुगतान के विरूद्व लिया। हमलोगों ने पुनः पाया कि दो व्यवसायियों ने पूर्व में ही बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अंतर्गत लाभ ले चुके थे, एक व्यवसायी ने बिहार औद्योगिक नीति, 2011 (जुलाई 2011) के लागू होने के तिथि से पूर्व की अवधि के लिए प्रवेश कर के भुगतान के विरूद्व प्रतिपूर्ति प्राप्त किया तथा एक व्यवसायी ने असामंजन योग्य प्रवेश कर कि प्रतिपूर्ति प्राप्त किया जबकि वे लघु, मध्यम तथा रूग्न उद्योग के अंतर्गत नहीं आते थे।

इसे इंगित किये जाने के बाद विभाग ने मई 2014 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा दानापुर अंचल के एक मामले में ₹ 3.82 करोड. का माँग सृजित किया तथा निर्धारण प्राधिकारी, हाजीपुर अंचल ने एक व्यवसायी के मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा सम्पूर्ण राशि ₹ 1.65 लाख की वसूली (दिसम्बर 2013) की। स्वीकृत मामलों में वसूली तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

2.10.2 हमलोगों ने अप्रैल 2012 में वाणिज्य–कर अंचल, हाजीपुर में एक व्यवसायी (संवीक्षित) के मामले में पाया कि उसने वर्ष 2009–10 में संबंधित वाणिज्य–कर उपायुक्त तथा उद्योग विभाग को पूर्व सूचना दिये बिना ₹ 75.59 लाख की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति, मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरूद्व लिया जबकि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 विस्तारण/विशाखनन/आधुनिकीकरण के मामलों में छूट लेने हेतु समूचित सूचना देने हेतु विहित करता है।

इसे इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (सितम्बर 2013) किया एवं ₹ 75.59 लाख का माँग सृजित किया। हम मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को नवम्बर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित गया था; हमे उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.11 कर का कम भुगतान एवं ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान के तहत् प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबधित भुगतेय कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी भुगतेय होने की तिथि तथा इसके भुगतान की नियत तिथि से देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधान के तहत् विहित प्राधिकारी, समय सीमा के भीतर (अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जिससे रिटर्न संबंधित है) तथा विहित तरीके से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के तहत् जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न का उसके साक्ष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवीक्षा करेगा, जैसा कि कर तथा भुगतेय ब्याज के भुगतान के संबंध में प्रस्तुत किया जाना विहित हो।

हमलोगों ने मार्च 2013 एवं मार्च 2014 के बीच सात वाणिज्य–कर अंचलों[46] में पाया कि 735 नमूना जाँचित व्यवसायियों में से 10 व्यवसायियों (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान ₹ 1.01 करोड़ से स्वीकृत कर का कम भुगतान किया था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी को रिटर्न की संवीक्षा करने तथा कर भुगतान के

[45] दानापुर, गाँधीमैदान, हाजीपुर और पटना उत्तरी।

[46] गाँधीमैदान, हाजीपुर, कदमकुआँ, पटना सिटी पश्चिम, पटना विशेष, शाहाबाद एवं सिवान।

साक्ष्य को देखने एवं तदनुसार व्यवसायी को नोटिस निर्गत करना अपेक्षित था, किन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक संवीक्षा नहीं की गई थी, जो विभाग में नियंत्रण में कमजोरी की ओर इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.50 लाख (1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर से संगणित) के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 1.32 करोड़ के स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं चल पाया, जैसा कि **परिशिष्ट–XIV** मे वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने के बाद संबंधित निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त ने कदमकुआँ और पटना सिटी पश्चिमी अंचल के तीन व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकनों को अप्रैल एवं जुलाई 2014 के बीच स्वीकार किया एवं ₹ 20.86 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार को दिसम्बर 2013 और जुलाई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.12 विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी भुगतेय होने की तिथि तथा इसके भुगतान की नियत तिथि से देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा। पुनः केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 39(4) यह प्रावधित करता है कि अगर विहित प्राधिकारी को यह पता चलता है कि कोई व्यवसायी किसी भी कार्यवाही के तहत् निर्धारित कर राशि के अतिरिक्त कर की राशि देय है तब भुगतेय होने कि तिथि से पूर्व में स्वीकृत राशि तथा अंतिम रूप से निर्धारित कर की अन्तर की राशि पर प्रत्येक कैलेन्डर माह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत के दर पर व्यवसायी साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत् विहित प्राधिकारी, समय सीमा के अन्दर (रिटर्न से संबंधित वर्ष के अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक) तथा विहित तरीके से भुगतेय कर एवं देय ब्याज से संबंधित उपलब्ध कराये गए साक्ष्य, जैसा विहित है, को सुनिश्चित करने हेतु धारा 24 के उपधारा (1) एवं (3) के तहत् दाखिल किये गये प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेगें।

हमलोगों ने जनवरी एवं मार्च 2014 के बीच दो वाणिज्य–कर अंचलों (सहरसा एवं पटना विशेष) में 303 नमूना जाँचित व्यवसायियों मे से चार व्यवसायियों (संविक्षितः 2 एवं स्व कर निर्धारितः 2) ने वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 के दौरान अपने स्वीकृत कर का भुगतान 12 दिनों से 34 महिनों के विलम्ब से किया। संविक्षित मामलों में भी कर निर्धारण प्राधिकारी ने विलम्बित भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 53.04 लाख (1.5 प्रतिशत प्रतिमाह दर से संगणित) ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल एवं जुलाई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.13 औषधि एवं दवाईयों की बोनस बिक्री पर कटौती की गलत अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15 (5) के अनुसार, अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से तथा ऐसी शर्तें एवं पाबंदियों के

तहत् एवं ऐसी सामग्रियों से संबंधी, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, निबंधित व्यवसायियों के किसी वर्ग को, चाहे वह आयातक अथवा विनिर्माता हो, उसके द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 मे विनिर्दिष्ट कर के दर पर भुगतेय कर के बदले, ऐसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर विहित तरीके से कर का भुगतान करने का अनुमति दे सकती है।

राज्य सरकार ने मई 2006 में एक अधिसूचना जारी किया एवं औषधि तथा दवाईयों के व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान की।

हमने पाया कि विभाग ने उन व्यवसायियों, जिन्होने वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया था, के मामले में भुगतान किये गये कर की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र नहीं बनाया था। हमने पुनः देखा कि दवाईयों की आपूर्ति पर कर से बचने के लिये व्यवसायियों ने बोनस बिक्री के रूप में दवाईयों को मुफ्त में दिये जाने का सहारा लिया। दृष्टांतस्वरूप एक मामला नीचे वर्णित है।

हमलोगों ने मार्च 2013 एवं अप्रैल 2014 के बीच दो वाणिज्य–कर अंचलों (पटना विशेष एवं पटना दक्षिण) में वार्षिक रिटर्न एवं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट–IV से पाया कि 209 नमूना जाँचित व्यवसायियों में से दो व्यवसायी (कर निर्धारित), जो वस्तुओं (दवाईयाँ, अधिकतम खुदरा मूल्य पर चार/पाँच प्रतिशत के दर पर करदेय) के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया था, ने वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान ₹ 6.51 करोड़ की दवाईयों का दावा कर मुक्त बोनस बिक्री के रूप में किया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने भी अक्टूबर 2012 एवं अगस्त 2013 के बीच मामले की संवीक्षा करते समय व्यवसायी के दावे की स्वीकृति दी। हालाँकि इस आशय का कोई ऐसा वर्णन उपलब्ध अभिलेख पर नहीं था कि इन दवाईयों को ग्राहकों को नहीं बेचा जाएगा। इस प्रकार की पाबंदियों अथवा कोई अन्य प्रणाली के अभाव में इन दवाईयों को बगैर कर आरोपित किये पुनः बिक्री की संभावना थी। इन मामलों में कर प्रभाव ₹ 47.64 लाख संगणित की गई।

इसे इंगित किये जाने के बाद, निर्धारण प्राधिकारी, पटना विशेष अंचल ने कहा (मार्च 2013) कि बोनस बिक्री इस अंचल से संबंधित नहीं था और हमारी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, हालाँकि मामले कि जाँच की जायेगी। यह देखा जा सकता है कि कंडिका में हमने बोनस बिक्री के रूप में राजस्व के रिसाव की संभावना को इंगित किया है, जो कि व्यापार छूट स्वीकृत किये जाने के व्यवसाय प्रथा से अलग है। यद्यपि उसी अंचल में निबंधित दूसरे व्यवसायी के मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने बोनस बिक्री पर कर आरोपित किया था।

मामला सरकार को मई एवं जुलाई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.14 स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) एवं (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य संविदा के कार्यान्वयन में निहित वस्तु के रूप में संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित भुगतेय मूल्यवान प्रतिफल के मद में किसी दायित्व के निष्पादन में किये गये भुगतान हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, कार्य संवेदको द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विपत्र से चार प्रतिशत की दर पर राशि की कटौती करेगा तथा जैसा कहा गया है कटौती किये बगैर कोई भुगतान नहीं करेगा। इसमें विफल रहने पर वैसे व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में

कटौती योग्य कर की राशि, जिसकी कटौती नहीं की गई थी, के दोगुना से अधिक नहीं अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने हेतु दायी होगें।

हमलोगों ने अप्रैल 2012 मे पाया कि वाणिज्य–कर अंचल मुजफ्फरपुर पश्चिमी के 107 नमूना जाँचित व्यवसायियों में से एक व्यवसायी (मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, टीन 10305404064 जो एक भारत सरकार का उपक्रम है) ने वर्ष 2008–09 में अपने उप संवेदक से ₹ 3.10 करोड़ के विपत्र के भुगतान से स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं किया जो टैक्स ऑडिट रिर्पाट में चार्टड एकाउंटेंट के अवलोकनों से स्पष्ट होता है। इसे निर्धारण प्राधिकारी पता नहीं लगा पाये और परिणामस्वरूप ₹ 24.79 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (दिसम्बर 2013) किया एवं ₹ 24.79 लाख का माँग पत्र सृजित किया। हम इस मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; हमे उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

2.15 क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक व्यवसायी जो वैसे मालों का क्रय करता है जिस पर कोई बिक्री कर भुगतेय नहीं है या ऐसे वस्तुओं के बिक्री मूल्य पर कर नहीं दिया गया है तथा बिक्री के लिए अन्य सामग्रियों के विनिर्माण में खपत करता है या अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री अथवा राज्य में बिक्री के अलावे अन्य तरीकों से उस माल का निपटारा करता है तो उस माल के क्रय मूल्य पर उस दर से कर देना होगा जिस दर पर उन मालों के विक्रय मूल्य पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत कर आरोप्य है।

हमलोगों ने दिसम्बर 2013 में पाया कि नमूना जाँचित 95 व्यवसायियों में से एक पॉल्ट्री फीड के विनिर्माता (स्व–कर निर्धारित) ने वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के दौरान राज्य के अन्दर अनिबंधित व्यवसायियों से ₹ 1.61 करोड़ का कर देय वस्तुओं (कच्चा राईस ब्रान एवं दवाइयाँ) की खरीद की और उसका उपयोग पॉल्ट्री फीड (एक कर मुक्त वस्तु) के विनिर्माण में किया। उपरोक्त प्रावधानों के तहत् इस पर क्रय कर की देयता बनती थी लेकिन व्यवसायी ने क्रय कर का भुगतान नहीं किया था। परिणामस्वरूप ₹ 2.53 लाख के ब्याज सहित ₹ 10.33 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं किया गया।

इसे इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकरी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (जुलाई 2014) किया तथा ₹ 10.33 लाख का मांग सृजित किया। इस मामले में हम वसूली की प्रतीक्षा में हैं।

मामला सरकार/विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अगस्त 2014)।

2.16 छूट का गलत/अधिक लाभ लिया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 (12) के प्रावधानों के तहत् एक निबंधित व्यवसायी, जिन्होने इस धारा के तहत् विनिर्दिष्ट देय तिथि के भीतर अपना रिटर्न प्रस्तुत किया है तथा इस धारा के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट तिथि से पहले पूर्ण राशि का भुगतान किया हो, तब उसे उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत रिटर्न में देय स्वीकृत कर का आधा प्रतिशत की दर पर, अधिकतम एक वर्ष में ₹ 50,000 तक छूट की अनुमति दी जायेगी।

हमलोगों ने मई 2013 एवं मार्च 2014 के बीच दो वाणिज्य–कर अंचलों (पटना दक्षिण एवं पूर्णिया) में पाया कि 198 नमूना जाँचित व्यवसायियों में से दो स्व–कर निर्धारित व्यवसायियों ने वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 7.14 लाख की छूट का लाभ लिया था। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24(12) के तहत् अधिकतम छूट सीमा ₹ 50,000 विहित थी। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 6.64 लाख की अधिक छूट का दावा किया जिसका कर निर्धारण प्राधिकारी पता नहीं लगा पाये और दोनों व्यवसायी ₹ 2.20 लाख के ब्याज (1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से संगणित) सहित ₹ 8.85 लाख के भुगतान हेतु दायी थे।

मामला सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

2.17 रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 14(1)(क) के तहत् एक व्यवसायी रिवर्स क्रेडिट करेगा जब वह वस्तुओं का राज्यांत्तर्गत स्थानांतरण करेगा, जिसका क्रय राज्य के अन्तर्गत कर का भुगतान कर किया गया हो और इस कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में व्यवसायी द्वारा लाभ लिया गया हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि जिसके लिए व्यवसायी हकदार है, की संगणना खरीदों पर भुगतान किये गए इनपुट टैक्स की राशि में से रिवर्स क्रेडिट की राशि को घटाने के बाद की जायेगी। पुनः मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि निर्धारण प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया गया है तब वे ब्याज के अलावे दावा किये गये अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के समतुल्य राशि का तीन गुणा अर्थदण्ड आरोपित करेंगे।

हमलोगों ने मई 2013 में वाणिज्य–कर अंचल, गया में 122 नमूना जाँचित मामलों में से एक व्यवसायी (स्व–कर निर्धारित) के रिटर्न से पाया कि उन्होने वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 15.25 लाख मूल्य के करदेय वस्तु का स्थानान्तरण राज्य के भीतर किया था, इन वस्तुओं का इनपुट राज्य के अन्दर कर का भुगतान करने के पश्चात् खरीदा गया था। जिसके लिए ₹ 6.13 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ व्यवसायी द्वारा लिया गया था। यद्यपि व्यवसायी को रिवर्स क्रेडिट की गणना करना चाहिए था तथा कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से इस राशि को घटाना चाहिए थी, लेकिन व्यवसायी द्वारा ₹ 1.91 लाख की रिवर्स क्रेडिट की गणना नहीं की गई। उक्त मामला अंसंवीक्षित रह गया, जो विभाग में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण को संसूचित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.72 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 69,000 के ब्याज सहित ₹ 8.31 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

मामला सरकार /विभाग को फरवरी 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

ख : विद्युत शुल्क

2.18 उर्जा की बिक्री पर विद्युत शुल्क नहीं लगाया जाना

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) उपबंधित करता है कि इकाईयों या बिक्री की गई या खपत की गई उर्जा के मूल्य पर, संचरन एवं रूपान्तरन में उर्जा के ह्रास को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर अथवा दरो पर एक शुल्क आरोपित करेगा और राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 प्रावधित करता है कि प्रत्येक लाईसेंसी या लाईसेंसी के अलावे कोई व्यक्ति जो शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी है, वह उसके द्वारा बेची गई या खपत की गई उर्जा की इकाई पर धारा 3 के तहत् भुगतेय उचित शुल्क राज्य सरकार को प्रत्येक माह भुगतान करने हेतु दायी होगा। पुनः अधिनियम की धारा 4क प्रावधित करता है कि बिहार राज्य के अन्तर्गत उर्जा की बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर अधिनियम के तहत् शुल्क आरोपित किया जायेगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 6(ग) प्रावधित करता है कि यदि विहित प्राधिकारी किसी सूचना अथवा अन्य तरह से संतुष्ट हो जाते हैं कि किसी निर्धारिती का कोई इकाई कर निर्धारण से वंचित रह गया है अथवा उर्जा की कोई इकाई कर निर्धारण से छूट गया है तब विहित प्राधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उर्जा की वंचित इकाईयों हेतु निर्धारिती का पुनर्करनिर्धारण करेंगें तथा निर्धारिती को शुल्क की राशि, जो उर्जा की वंचित इकाईयों पर कर निर्धारित अथवा निर्धारित किये जाने वाले हैं, के तीन गुना से अधिक नहीं परन्तु उस राशि के कम नही के समतुल्य अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने हेतु निर्देश देंगे।

हमलोगों ने मार्च 2014 में वाणिज्य–कर अंचल, भागलपुर में एक करदाता (मेसर्स एन. टी.पी.सी. लिमिटेड कहलगाँव, रजिस्ट्रेशन नं. ई.डी.6) द्वारा जमा किये गये वार्षिक रिटर्न, निर्धारण आदेश तथा अन्य प्रासंगिक विवरणों की जाँच से पाया कि उसने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष 2005–06 से 2011–12 के बीच की गई ऊर्जा की बिक्री को प्रकट नहीं किया था। लेकिन लेखापरीक्षा को उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने वार्षिक लेखा में एन.टी.पी.सी., कलहगाँव से उसी अवधि में 13,636.93 मिलियन किलो वाट उर्जा की खरीद दिखाई। अतः यह स्पष्ट होता है कि निर्धारिती ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 13,636.93 मिलियन किलो वाट उर्जा की बिक्री को नहीं दर्शाया, जिस पर बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3 एवं 4 के तहत् शुल्क आरोप्य था। वर्ष 2005–06 से 2009–10 के निर्धारित मामलों में भी निर्धारण प्राधिकारी, अप्रैल 2011 में निर्धारण करते समय, विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं किया। अतः निर्धारिती ₹ 208.48 करोड़ के न्यूनतम आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 416.96 करोड़ के शुल्क की राशि भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है।

इसे इंगित किये जाने के बाद संयुक्त आयुक्त ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (जुलाई 2014) किया तथा ₹ 416.96 करोड़ का माँग सृजित किया। हम इस मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार/विभाग को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

ग : मनोरंजन कर

2.19 मनोरंजन कर का कम आरोपण किया जाना

बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–बी के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रोपराईटर उस अवधि के शुरू होने के पूर्व जिसके लिए वह एकमुश्त कर का भुगतान करना चाहता हो, एकमुश्त मनोरंजन कर भुगतान करने से संबंधित आवेदन देने हेतु उत्तरदायी है एवं विहित प्राधिकारी इससे संबंधित अनुमति प्रपत्र 'ग' में निर्गत करेगें। उक्त अधिनियम की धारा 3–बी की उप–धारा (4) के प्रावधानों के अंतर्गत एकमुश्त कर का भुगतान करने का विकल्प संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जारी रहेगा, जिसमें विकल्प की अनुमति दी गई है। पुनः एकमुश्त कर भुगतान योजना की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रोपराईटर को कुल संग्रहण क्षमता के आधार पर अनुमति के प्रारंभ से कर भुगतान करना होगा।

हमलोगों ने नवम्बर 2013 में पटना, उत्तरी अंचल में पाया की एक सिनेमा घर (दो नमूना जाँचित मे से) के प्रोपराईटर ने वर्ष 2011–12 के दौरान बिहार मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3–बी के अन्तर्गत एकमुश्त कर का भुगतान कर रहा था लेकिन न ही उसके द्वारा एकमुश्त कर देने हेतु अवेदन दिया गया था और न ही विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 'ग' में मनोरंजन कर का एकमुश्त दर से भुगतान हेतु अनुमति दी गयी थी। पुनः हमलोगों ने देखा कि उस वर्ष के दौरान प्रोपराईटर द्वारा प्रवेश दर को परिवर्तित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष एकमुश्त भुगतेय कर की राशि में परिवर्तन हो गया था। अतः उन्होने उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया। अभिलेख में प्रवेश दर के परिवर्तन हेतु आयुक्त द्वारा दिया कोई पूर्वानुमति नहीं पाया गया। इसलिए, प्रोपराईटर का कर निर्धारण धारा 3–बी के प्रावधानों एवं शर्तो का उल्लंघन करने के लिए बिहार मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3(1) के तहत् कुल संग्रहण क्षमता के आधार पर की जानी चाहिए थी और इस प्रकार ₹ 2.86 करोड़ के मनोरंजन कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे।

मामला सरकार को मई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; हमे उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अगस्त 2014)।

घ : विलासिता कर

2.20 निबंधन नही कराये जाने हेतु विलासिता कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988 (विलासिता कर अधिनियम) की धारा 3 उपबंधित करता है कि कोई कमरा या सुईट जिसका किराया प्रतिदिन ₹ 500 या उससे ज्यादा हो पर पाँच प्रतिशत की दर से एवं ₹ 1000 या उससे ज्यादा प्रतिदिन हो, पर 10 प्रतिशत की दर से विलासिता कर का आरोपण किया जायेगा एवं इसका भुगतान प्रोपराईटर द्वारा किया जायेगा। बिहार विलासिता कर अधिनियम की धारा 5 उपबंधित करता है कि प्रत्येक प्रोपराईटर, जो धारा 3 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, इस अधिनियम के प्रभावी होने के एक माह के अन्दर या होटल में विलासिता सहित कमरा उपलब्ध कराना शुरू करने की तिथि से एक माह के अन्दर विहित तरीके से निबंधन हेतु आवेदन करेगा। पुनः अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार यदि विहित प्राधिकारी किसी प्राप्त सुचना के आधार पर यह संतुष्ट हो जाता है कि किसी भी अवधि जिसके लिए प्रोपराईटर कर का भुगतान हेतु उत्तरदायी है, और धारा 5 के तहत् निबंधन हेतु आवेदन करने में असफल रहा या आवेदन करने के बाद भी निबंधन से संबंधित औपचारिकताओं को प्रर्याप्त समय के अन्दर पूरा नहीं

कर सकने के परिणामस्वरूप उनका निबंधन का आवेदन रद्द कर दिया गया है, तब वह विहित प्राधिकारी प्रोपराईटर को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद उस अवधि के लिए अपने सर्वोत्तम विवेक के आधार पर कर की राशि का निर्धारण करेगा एवं कर की राशि के समतुल्य अर्थदण्ड भी अधिरोपित करेगा।

हमलोगों ने अप्रैल 2013 एवं दिसम्बर 2013 के बीच पाया कि दो वाणिज्य–कर अंचल (मुजफ्फरपुर पश्चिम एवं गाँधी मैदान, पटना) के दो व्यवसायियों (स्व कर निर्धारित) ने वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान ₹ 4.74 करोड़ का किराया स्वीकार किया, लेकिन दोनों व्यवसायियों ने न ही विलासिता कर अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्राप्त किया और न ही विलासिता कर का भुगतान किया। परिणामस्वरूप अनिबंधित रहने हेतु ₹ 47.40 लाख आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 94.80 लाख विलासिता कर का आरोपण नहीं हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद, निर्धारण प्राधिकारी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल ने मामले का निर्धारण (मार्च 2014) किया और ₹ 38.47 लाख का माँग पत्र सृजित किया एवं निर्धारण प्राधिकारी गाँधी मैदान ने दिसम्बर 2013 में बताया कि मामले की जाँच की जायेगी। हम स्वीकार किये गए मामले में वसूली तथा शेष मामले में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2013 एवं मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था, हमें उनका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अगस्त 2014)।

2.21 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2013–14 के दौरान वाणिज्य–कर विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। वाणिज्य–कर विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल है, जो वाणिज्य–कर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखाओं के सही होने का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2013–14 में विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए किसी भी ईकाई का चयन नहीं किया।

अध्याय-III
राज्य उत्पाद

अध्याय–III : राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद राजस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों और बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब दूकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, 2007 के द्वारा राज्य में शासित होते हैं। सरकार स्तर पर सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग द्वारा तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के शीर्ष स्तर पर आयुक्त उत्पाद द्वारा शासित है। बिहार मोलासेस नियंत्रण अधिनियम तथा नियमों के शासन एवं क्रियान्वयन के लिए आयुक्त, उत्पाद पदेन मोलासेस नियंत्रक भी हैं। मुख्यालय स्तर पर एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, एक उपायुक्त उत्पाद तथा एक सहायक आयुक्त उत्पाद, आयुक्त उत्पाद के कार्य सम्पादन में सहयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, चार[1] प्रमंडलीय मुख्यालयों में से प्रत्येक में एक उपायुक्त उत्पाद होते हैं। जिला स्तर पर उत्पाद प्रशासन के प्रभारी जिला समाहर्त्ता होते हैं, जिनकी सहायता एक सहायक आयुक्त उत्पाद या एक अधीक्षक उत्पाद करते हैं।

राज्य में उत्पाद दूकानों के खुदरा बिक्रेताओं को सभी प्रकार के शराबों की आपूर्ति के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा शासित बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड का गठन अक्टूबर 2006 में किया गया था, जो एकमात्र थोक बिक्री डिपो के रूप में काम करता है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य उत्पाद राजस्व से संबंधित 50 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों में से 39 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 82.00 करोड़ से सन्निहित 274 मामलों में राजस्व का नहीं/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताएं पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि **तालिका 3.1** में वर्णित है।

तालिका–3.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद दूकानों का नहीं/विलम्ब से बंदोबस्त किया जाना	47	37.44
2.	सरकारी राजस्व का गबन	1	7.69
3.	अनुज्ञा शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	15	5.98
4.	न्यूनतम गांरटी मात्रा का नहीं/कम उठाव के कारण हानि	19	0.98
5.	अन्य मामलें	192	29.91
कुल		**274**	**82.00**

वर्ष 2013–14 के दौरान विभाग ने 40 मामलों में सन्निहित ₹ 3.87 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जिसमें से ₹ 1.12 लाख से सन्निहित एक मामला वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्व वर्षों में इंगित किए गए थे। पुनः विभाग ने नौ मामलों में ₹ 5.67 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया जो वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान इंगित किए गए थे।

[1] भागलपुर–सह–मुंगेर, दरभंगा–सह–कोशी–सह–पूर्णिया, पटना–सह–मगध तथा तिरहुत–सह–सारण।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 14.14 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3.3 अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 14.14 करोड़ के अनुज्ञा शुल्क का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिकायें 3.4 से 3.8 में वर्णित है। सरकार को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसी चूकों को रोका जा सके।

3.4 शराब के उत्पाद अनुज्ञप्तियों का आवंटन

3.4.1 परिचय

किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में देशी/मशालेदार देशी शराब के निर्माण तथा/या आपूर्ति का विशेषाधिकार राज्य सरकार प्रदत्त कर सकती है। निर्माताओं को शराब की आपूर्ति बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड को करना है। बिहार राज्य बिवरेज निगम लिमिटेड एकमात्र थोक बिक्री डिपो है, जो राज्य के उत्पाद दुकानों के खुदरा बिक्रेताओं को सभी प्रकार के शराबों की आपूर्ति करता है।

देशी शराब के निर्माण एवं थोक आपूर्ति की अनुज्ञप्ति के आवंटन के जाँच के उद्देश्य से आयुक्त उत्पाद, बिहार के कार्यालय के वर्ष 2012–14 की अवधि से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच अप्रैल और जुलाई 2014 के बीच की गई। इसके अलावा, आठ उत्पाद जिलों[2] में खुदरा अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती से सम्बंधित संचिकाओं की नमूना जाँच की गई। सात जिला उत्पाद कार्यालयों का चयन प्रतिस्थापन सहित समग्र अनुपात प्रतिचयन विधि के माध्यम से सांख्यिकी प्रतिचयन पर आधारित था तथा एक उत्पाद जिला, पटना अधिकतम बंदोवस्त उत्पाद दुकानों की संख्या के आधार पर चयनित की गयी थी।

अप्रैल 2014 से मार्च 2019 की अवधि के लिए पोलीथीन टेरेफ्यलेट (पेट) बोतल में देशी शराब की आपूर्ति के ठेके की निविदा संचिकाओं तथा अन्य सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की गई तथा यह पाया कि ठेके के अन्तर्गत आपूर्ति अबतक शूरू नहीं हुई है, क्योंकि निविदादाताओं द्वारा पेट बौटलिंग प्लांट का स्थापना नहीं किया गया है। इस बीच, देशी शराब की आपूर्ति के लिए अल्प अवधि का ठेका प्रदान किया गया और इन ठेकों के अन्तर्गत पेट बोतलों के स्थान पर सैशे में आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, चयनित जिला उत्पाद कार्यालयों में बंदोवस्ती संचिका/पंजी, माँग, वसूली एवं शेष पंजी, जमानत पंजी, पारक पंजी इत्यादि की भी जाँच की गई। जाँच के क्रम में पाये गए लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है।

लेखापरीक्षा परिणामों को जुलाई 2014 में सरकार को उनकी प्रतिक्रिया हेतु अग्रसारित किया गया था। अगस्त 2014 में सरकार के सचिव के साथ लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विचार–विमर्श एवं सरकार का मंतव्य प्राप्त करने हेतु एक एक्जिट कन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। सरकार/विभाग के उत्तर को सम्बंधित कंडिकाओं में अनुकूलतः सम्मिलित कर लिया गया है। लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनाऐं एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में विभाग के सहयोग को हम स्वीकार करते हैं।

[2] पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), कटिहार, किशनगंज, पटना, पूर्णियाँ, सारण, सुपौल एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.4.2 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 की अवधि में पेट बोतल में देशी शराब के निर्माण एवं थोक आपूर्ति हेतु ठेका

विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 की अवधि में पेट बोतल में देशी शराब के निर्माण तथा थोक आपूर्ति बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड को करने के लिए 31 जनवरी 2014 को निविदा आमंत्रित की गई।

3.4.2.1 शराब की आपूर्ति हेतु न्यूनतम दर को नहीं अपनाये जाने के कारण वर्ष 2014–19 के दौरान ₹ 341.32 करोड़ के राजस्व की हानि

बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम 131 आर (xiv) प्रावधित करता है कि साधारणतः न्यूनतम मूल्यांकित निविदाकर्त्ता (एल–1) को ठेका प्रदत्त किया जाना चाहिए। लेकिन यदि न्यूनतम स्वीकार्य निविदाकर्त्ता आवश्यक पूर्ण मात्रा की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो तो जहाँ तक सम्भव हो, शेष मात्रा की आपूर्ति हेतु अगले उच्चतर निविदाकर्त्ता को न्यूनतम उत्तरदायी निविदाकर्त्ता के दर पर आदेश दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) का निर्देश (मार्च 1999) स्पष्ट करता है कि कई बार आदेशित मात्रा की आपूर्ति अकेले एल–1 की क्षमता से बहुत अधिक होता है। ऐसे मामलों में, आदेशित मात्रा को इस प्रकार वितरित किया जा सकता है कि क्रय साफ, पारदर्शी तथा उचित तरीके से हो सके।

हमने पेट बोतलों में देशी शराब के आपूर्ति के निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों की संवीक्षा की तथा पाया कि निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त संख्या 2(ix) प्रावधित करता था कि सम्पूर्ण राज्य को 17 आपूर्ति प्रक्षेत्रों में विभाजित किया जाये। पुनः, निविदा आमंत्रण सूचना की शर्त संख्या 3 के अनुसार न्यूनतम निविदाकर्त्ता (एल–1) को उसके सर्वोच्च प्राथमिकता का एक प्रक्षेत्र आवंटित किया जाएगा तथा इसके बाद बाकी निविदादाताओं को उनके निविदित दर के आधार पर उनके प्राथमिकता का एक आपूर्ति प्रक्षेत्र आवंटित किया जाएगा और यह प्रक्रिया तबतक जारी रहेगी जबतक सभी आपूर्ति प्रक्षेत्रों का आवंटन न हो जाए। शर्त्त संख्या 3 पुनः प्रावधित करता था कि प्रत्येक निविदादाता को बेस रेट (₹ 5.78 तथा ₹ 9.76 क्रमशः 200 मि0ली0 तथा 400 मि0ली0 पैक साइज के लिए) तथा निविदित दर का अन्तर राशि जमा करना था। बेस रेट तथा निविदित दर के अन्तर राशि जमा करने के प्रावधान का अर्थ था कि विभिन्न प्रक्षेत्रों में देशी शराब की आपूर्ति विभिन्न दरों पर करने की अनुमति दी जाएगी।

सतरह विभिन्न निविदादाताओं को अलग–अलग दर पर 17 आपूर्ति प्रक्षेत्रों के आवंटन का प्रावधान बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 तथा सी.वी.सी के निर्देश के प्रतिकूल था, क्योंकि (i) अगले उच्चत्तर दर पर सहमत निविदादाता को आपूर्ति देने के पहले एल–1 की क्षमता को समाप्त नहीं किया गया था, (ii) ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अन्य आपूर्तिकर्त्ता को एल–1 द्वारा निविदित दर पर शराब की आपूर्ति करनी होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005–08, 2009–12 तथा 2012–14 की अवधि के पिछले निविदाओं में अपनाए गए स्थापित प्रक्रिया से यह विचलन था, जिसमें विभाग ने पूरे राज्य में शराब की आपूर्ति का समान दर निर्धारित किया था।

विभाग ने 17 आपूर्ति प्रक्षेत्रों में विभिन्न दरों पर शराब की आपूर्ति के लिए 17 निविदादाताओं का चयन किया (फरवरी 2014) तथा निविदादाताओं को अन्तर राशि जमा करनी थी। इस प्रकार, एल–1 के दर के बदले निविदित दर के आधार पर अन्तर राशि के भुगतान की अनुमति के कारण, विभाग वर्ष 2014–15 से 2018–19 के बीच ₹ 341.32 करोड़ (₹ 68.26 करोड़ प्रति वर्ष) से वंचित रहेगा, जिसकी गणना वर्ष

2013–14 के लिए देशी शराब के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर की गई है जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में विवर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि यह एक नीतिगत निर्णय था तथा मंत्रीपरिषद् द्वारा अनुमोदित था। विभाग ने पुनः बताया कि संविधान द्वारा नीति निर्धारण का कार्य सरकार में निहित है।

एक्जिट कॉन्फ्रेन्स के दौरान सरकार द्वारा बताया गया (अगस्त 2014) कि निविदा प्रक्रिया में बेस रेट का सोच पहली बार लाया गया था। इसलिए, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया कि आपूर्ति श्रृंखला के बाधाओं तथा शराब व्यापारियों के कार्टेल को तोड़ने के लिए सम्पूर्ण राज्य को 17 विभिन्न प्रक्षेत्रों में बाँटा जाये। पुनः ठेका प्रदत्त करने के निर्णय लेने में प्रक्षेत्र का चुनाव केन्द्र बिन्दु बन गया। निविदा आमंत्रण सूचना में यह उल्लेखित है कि एल–1 से एल–17, जो भी प्रस्ताव हो, को शुरू में न्यूनतम निविदित दर के आधार पर इनके रूचि के प्रक्षेत्र के चयन का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम प्रक्षेत्र का आवंटन न हो जाए। अतः, किसी क्षेत्र के विभिन्न न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/मानव संसाधनों की उपलब्धता/क्षेत्र का पहुँच/तथा क्षेत्र के अन्य विशेष स्थानीय घटक के आलोक में निविदा आमंत्रण सूचना में एल–1 को आधार नहीं माना गया था। इसलिए, चयन की स्वतंत्रता मुख्य आधार रहा और अंततः एक निविदादाता को केवल एक प्रक्षेत्र आवंटित किया जाना था। यदि एल–1 को आधार बनाया गया होता तो वह सभी 17 प्रक्षेत्रों को हासिल करने का दावा करता, यदि एक निविदादाता को केवल एक प्रक्षेत्र आवंटित करने का आन्तरिक प्रतिबंध नहीं होता।

सरकार का उत्तर तथ्यों के अनुरूप नहीं था क्योंकि मंत्रीपरिषद् को समर्पित ज्ञापन में बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम 131 आर (xiv) को शिथिल करने के कारणों का उल्लेख नहीं था। पुनः, बिहार सरकार का कार्यपालिका नियमावली की नियम 18 (1) यह उपबंधित करता है कि मामले के मुख्य तथ्यों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है और निर्णय लेने हेतु पक्ष एवं विपक्ष के मुख्य दलीलों को व्यक्त करते हुए मंत्रीपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। यह नहीं किया गया क्योंकि एल–1 के दर से अधिक दर पर निविदादाताओं को आपूर्ति प्रक्षेत्र आवंटित किये जाने के प्रावधान के फलस्वरूप सरकार को होने वाले हानि को ज्ञापन में नहीं रखा गया था। इसके कारण अब वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि में ₹ 341.32 करोड़ की हानि होगी।

पुनः, एल–1 द्वारा सभी 17 प्रक्षेत्रों को हड़पने की आशंका भी सही नहीं है क्योंकि पिछले निविदा में स्वयं सरकार ने 17 विभिन्न निविदादाताओं द्वारा 17 विभिन्न आपूर्ति प्रक्षेत्रों में शराब की आपूर्ति के लिए न्यूनत्तम निविदादाता (एल–1) की दर को अनुमोदित किया था, किन्तु, इस मामले में सरकार/विभाग ने 17 सफल निविदादाताओं को उन्हें आवंटित प्रक्षेत्रों में शराब की आपूर्ति उनके द्वारा निविदित दर पर करने की अनुमति दी न कि न्यूनत्तम निवेदित दर (एल–1) पर।

यद्यपि तथ्य यह है कि विभाग के कार्टेलाइजेशन को तोड़ने का कथित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि तीन सफल निविदादाताओं द्वारा 200 मि0लि0 पैक साइज के लिए समान दर ₹ 3.91 निविदित किया गया था तथा तीन अन्य निविदादाताओं द्वारा 200 मि0लि0 पैक साइज के लिए समान दर ₹ 4.66 निविदित किया गया था। इसके अलावा ठेके का क्रियान्वयन होना बाकी है क्योंकि पेट बौटलिंग प्लांट की स्थापना में विलम्ब के कारण निविदादाता पेट बोतल में आपूर्ति की स्थिति में नही है और परिणामस्वरूप, देशी शराब की आपूर्ति सैशे में होना जारी है जिसे खत्म करने का उद्देश्य था, क्योंकि इससे अवैध शराब की आपूर्ति हो सकती थी। निविदा प्रदान करने

की इस प्रक्रिया को अपनाये जाने के कारण वर्ष 2014–19 के दौरान दावा किये गये लाभ प्रदान किये बिना ₹ 341.32 करोड़ तक के राजस्व की क्षति होगी।

3.4.2.2 पेट बोतलों में शराब की आपूर्ति प्रारम्भ नहीं होना

विभागीय संकल्प (अक्टूबर 2013) के अनुसार देशी शराब के निर्माण तथा बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड को पेट बोतलों में थोक आपूर्ति 1 अप्रैल 2014 से शूरू होना था तथा इसके पूर्व निविदा प्रक्रिया आरम्भ की जानी थी।

निविदा संचिका तथा अन्य अभिलेखों की जाँच के क्रम में हमने पाया कि पेट बोतल में शराब की आपूर्ति अबतक शुरू (जुलाई 2014) नहीं हुई है, जबकि इसे 1 अप्रैल 2014 से प्रारम्भ होना था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पेट बोतल का निर्माण एक लम्बी प्रक्रिया है और इसके लिए अनेक मशीनो तथा भवन के निर्माण की आवश्यकता है और इसके आरम्भ होने में समय लगेगा।

विभाग का उत्तर तथ्य के अनुरूप नहीं है कि विगत दो निविदाओं (वर्ष 2009–12 तथा 2012–14) की निविदा प्रक्रिया पेट बोतलों में शराब की आपूर्ति के नीति निर्णय के आधार पर अत्यधिक विलंबित हुई थी तथा विद्यमान अनुज्ञप्तिधारियों को सैशे में शराब की आपूर्ति के लिए अवधि विस्तार दिया गया था। यद्यपि विभाग इस बात से अवगत था कि पेट बोतलों का निर्माण एक लम्बी प्रक्रिया है तथा इसमें काफी समय लगेगा, विभाग द्वारा पेट बोतलों में शराब की आपूर्ति के लिए निविदा प्रक्रिया ससमय आरम्भ नहीं की गई। इस प्रकार, पेट बोतलों में देशी शराब की आपूर्ति के ठेके के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण विभाग विगत छः वर्षो से अधिकृत श्रोतों से बेहतर गुणवत्ता वाले शराब की आपूर्ति की बढ़ोतरी के उद्धेश्य को पूरा नहीं कर सका।

3.4.2.3 आपूर्ति प्रक्षेत्रों के आवंटन में अपारदर्शिता

निविदा आमंत्रण सूचना के शर्त 3 (vi) (ii) के अनुसार न्यूनतम दर समर्पित करने वाले निविदादाताओं के प्राथमिकताओं के आधार पर प्रक्षेत्रों का आवंटन किया जाना था। प्रथम चरण मे तकनीकी निविदा में सफल प्रत्येक 17 निविदादाताओं को एक प्रक्षेत्र आवंटित किया जाना था।

हमने निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों की समीक्षा की और पाया कि समान वित्तीय निविदा की स्थिति में इसके निष्पादन के लिए कोई विशिष्ट मानदंड नहीं था। इस प्रकार, तीन निविदादाता, जिन्होंने 200 मि0लि0 पैक साइज के लिए समान दर ₹ 3.91 तथा तीन अन्य निविदादाताओं, जिन्होंने 200 मि0लि0 पैक साइज के लिए समान दर ₹ 4.66 निविदित किया था, को प्रक्षेत्रों का आवंटन तदर्थ तथा अपारदर्शी तरीके से किया गया था।

यद्यपि समान परिस्थिति दिसम्बर 2012 से मार्च 2014 के अवधि के लिए हुए पूर्व निविदा में उत्पन्न हुआ था तथापि समान निविदा की स्थिति में आवंटन हेतु प्रक्रिया बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (अगस्त 2014) कि समान दरों वाले निविदादाताओं के बीच प्रक्षेत्रों का आवंटन विहित तरीके से किया गया है। यद्यपि समान निविदाओं के मामलों में प्रक्षेत्रों के आवंटन के लिए अपनाए गए मानदण्ड विभाग द्वारा नहीं बताया गया।

3.4.3 अवमानक शराब की आपूर्ति

अनुज्ञप्ति (प्रपत्र 27) के शर्तों के अनुसार, बिक्री की गई शराब अच्छी गुणवत्ता और आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होनी चाहिए। गोदाम में बिक्री के लिए रखे शराब का आवधिक विश्लेषण होना चाहिए तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसका सुधार करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी बाध्य होगा।

- रसायन परीक्षक, पटना कार्यालय के वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि से सम्बंधित सैम्पल जाँच प्रतिवेदन की हमने संवीक्षा की तथा पाया कि रासायनिक जाँच किये गए देशी शराब के 1,940 नमूनों में से 224 नमूने मानक के अनुरूप नहीं थे तथा तीन जिलों[3] में 89 नमूनों में से 24 नमूनों में सेडिमेंट पाए गए। सेडिमेंट युक्त नमूनों वाले थोक से खुदरा दुकानों में निर्गत होने सम्बंधी जाँच के उद्देश्य से हमने दो उत्पाद जिलों[4] के अभिलेखों की जाँच की तथा पाया कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की अवधि में उन थोकों से सम्बंधित 3.39 लाख एल.पी.एल. देशी शराब बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड को खुदरा व्यापारियों को बिक्री हेतु निर्गत किए गए थे।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि अवमानक शराब विनिष्ट किए जा चुके हैं तथा आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। यह उत्तर सम्बंधित अधीक्षक उत्पाद के उत्तर के प्रतिकूल था जिन्होंने यह कहा था (जुलाई 2014) कि सैम्पल जाँच प्रतिवेदनों के विलम्ब से/नहीं मिलने के कारण ससमय कार्रवाई नहीं की जा सकी।

- हमने पुनः पाया कि दिसम्बर 2012 में निर्मित 400 मि0ली0 पैक साइज के देशी शराब के 17,600 सैशे अवमानक थे तथा लेखापरीक्षा की तिथि (जुलाई 2014) तक बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड, किशनगंज के गोदाम में विनष्टीकरण के लिए पड़े हुए थे।

इसे इंगित किए जाने पर अधीक्षक उत्पाद, किशनगंज ने कहा (जुलाई 2014) कि 17,600 सैशे के विनष्टीकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय को पत्र लिखा (अप्रैल तथा नवम्बर 2013) गया था।

एक्जिट कन्फ्रेंस में सरकार ने पुनः बताया (अगस्त 2014) कि आठ नए प्रयोगशालाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा बिहार राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड को निर्देशित किया जाएगा कि डिपो में रैन्डम आधार पर शराब के जाँच की प्रक्रिया शुरू की जाए।

3.4.4 खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती

जून 2007 तक खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु अनुज्ञप्तियों की वार्षिक बंदोवस्ती लोक नीलामी के आधार पर की जाती थी तथा इसके बाद बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजीट शराब की खुदरा दुकानों की बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती) नियमावली, 2007 (1 जुलाई 2007 से प्रभावी) के प्रावधानों के अनुसार खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की जानी थी।

उपरोक्त नियमावली के नियम 7 के अनुसार बंदोवस्ती प्रारम्भ होने के निर्धारित तिथि से साधारणतः 15 दिनों पूर्व राजस्व पर्षद् के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त उत्पाद प्रपत्र–127 मे एक बिक्री अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, जिसमें बंदोवस्ती के साधारण शर्तों का उल्लेख होगा।

[3] बेगूसराय, किशनगंज और सुपौल।

[4] किशनगंज और सुपौल।

3.4.4.1 उत्पाद दुकानों के लिए शराब की न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा का अनुचित निर्धारण

बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली का नियम 5 प्रावधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी प्रत्येक दुकान अर्थात् देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब/बीयर एवं मदिरा सहित कम्पोजिट शराब की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा निर्धारित करने में सक्षम होंगे, परन्तु एक जिला के सभी दुकानों का ऐसी न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा उस जिला के लिए उत्पाद आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा से कम नहीं होगा। उत्पाद आयुक्त सभी अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को दिशानिर्देश जारी करेंगे तथा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उत्पाद आयुक्त के दिशानिर्देश का अनुसरण करने के लिए बाध्य होंगे।

पुनः, उपरोक्त नियमावली का नियम 20 (ii) उपबंधित करता है कि निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा से 15 प्रतिशत तक के अतिरिक्त उठाव के लिए अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा, परन्तु 15 प्रतिशत से अधिक के अतिरिक्त उठाव के लिए अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के 50 प्रतिशत की दर से देय होगा।

नौ जिला उत्पाद कार्यालयों[5] से संबंधित बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े एवं परमिट पंजियों की नमूना जाँच के दौरान हमने अक्टूबर 2013 एवं जुलाई 2014 के बीच पाया कि 922 में से 92 उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों ने वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि के दौरान भारत निर्मित विदेशी शराब/देशी/मसालेदार देशी शराब/बियर का उठाव अपने निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा से अधिक किया था, जैसाकि **परिशिष्ट–XVI** में वर्णित है।

यह इंगित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उत्पाद दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा का निर्धारण वास्तविक उठाव के आलोक में नहीं किया, यद्यपि उपरोक्त अवधि में आँकड़े, अतिरिक्त उठाव की प्रवृति दर्शाते थे। उत्पाद आयुक्त ने भी अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों को उनके जिलों के उत्पाद दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा निर्धारित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया था। इस प्रकार, ऐसे दिशानिर्देश के अभाव में एवं बिना उनके क्षमता पर विचार किये उत्पाद दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा के निर्धारण के कारण न केवल अनुज्ञप्तिधारियों को न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा के 15 प्रतिशत की छूट एवं उन्हें निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभुत मात्रा के अतिरिक्त उठाव के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क के भुगतान के छूट द्वारा वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया बल्कि वर्ष 2012–13 के दौरान सरकार ₹ 3.04 करोड़ के राजस्व से भी वंचित रहा, जैसाकि **परिशिष्ट - XVI** में वर्णित हैं।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2014) एवं मामले की जाँच करने पर सहमत हुए।

3.4.4.2 संपन्नता शर्त्त का प्रावधान नहीं किया जाना

हमने वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 से संबंधित सभी नमूना जाँचित जिला उत्पाद कार्यालयों की बंदोबस्ती पंजी/संचिका, लॉटरी पंजी एवं आवेदन संचिका की संवीक्षा की एवं पाया (मई एवं जुलाई 2014 के बीच) कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 की बिक्री अधिसूचना में अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्पन्नता प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण का शर्त शामिल नहीं किया गया था, यद्यपि बिहार उत्पाद नियमावली, 2007 के नियम 9 के

[5] पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), किशनगंज, एवं सुपौल (चयनित जिले), औरंगाबाद, बेगुसराय, बक्सर, कैमूर (भभूआ), मधुबनी, एवं नालन्दा (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

अंतर्गत वांछित था। परिणाास्वरूप, किसी भी अनुज्ञाधारियों ने उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती से पूर्व उपरोक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, पूर्वी चम्पारण में हमने पाया (जून 2014) कि उत्पाद दुकानों के आठ समूहों के प्रथम लॉटरी विजेता, दुकानों की बंदोबस्ती के लिए उपस्थित नहीं हुए। पुनः सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय, पटना में हमने पाया (सितम्बर 2013) कि उत्पाद दुकानों के 26 समूहों की बंदोबस्ती प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं किए जाने के आधार पर मई 2012 एवं जुलाई 2013 के दौरान रद्द किया गया था। उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तियों के निरस्तीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप चूककर्त्ता अनुज्ञाधारियों के विरूद्व ₹ 4.17 करोड़ के प्रतिभूति राशि एवं अनुज्ञा शुल्क बकाया रह गया, जो **परिशिष्ट - XVII** में वर्णित है। पुनः हमने पाया कि ₹ 1.15 करोड़ की माँग सिर्फ 15 चूककर्त्ता अनुज्ञाधारियों के विरूद्व सृजित किया गया था। इस प्रकार उत्पाद दुकानों की लॉटरी के लिए आवेदकों हेतु सम्पन्ता निश्चित करने का तंत्र के अभाव के कारण, अरूचिकर आवेदकों ने लॉटरी प्रक्रिया में भाग लिया, जो उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती के पश्चात् उपस्थित नहीं हुए।

इसे इंगित किए जाने पर सरकार ने एक्जिट कन्फ्रेंस (अगस्त 2014) के दौरान लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं मामले की जाँच करने के लिए सहमत हुए।

3.4.4.3 उत्पाद दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के बदले अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति राशि का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए बिक्री अधिसूचना की शर्त्त 14 (क) प्रावधित करता है कि उत्पाद दुकान के बंदोबस्तदार[6], बंदोबस्ती के पश्चात् तुरंत वार्षिक अनुज्ञा शुल्क के बारहवें भाग के समतुल्य प्रतिभूति राशि जमा करेगा।

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए अधीक्षक उत्पाद कार्यालय, पश्चिमी चम्पारण की बंदोवस्ती संचिका/पंजी एवं प्रतिभूति जमा पंजी की हमने संवीक्षा की एवं पाया कि उत्पाद दुकानों के 82 समूहों के मामले में प्रतिभूति जमा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों के बदले अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा अग्रेतर विश्लेषण से प्रकट हुआ कि उपरोक्त 82 उत्पाद दुकानों के समूह में से 33 समूहों के लिए प्रतिभूति जमा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों के लिए तीन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया जो बिक्री अधिसूचना के शर्त के प्रतिकूल था।

इसे इंगित किए जाने पर सरकार ने एक्जिट कन्फ्रेंस (अगस्त 2014) के दौरान लेखापरीक्षा दावा को स्वीकार किया एवं मामले की जाँच करने के लिए सहमत हुए।

3.5 उत्पाद राजस्व के गबन के मामले

उत्पाद दुकानों के लिए वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक की बिक्री अधिसूचना की शर्त 14 उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट तथा सरकार द्वारा निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का मासिक किस्त माह की पहली तारीख तक जिला के सरकारी कोषागार में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में माह के 20वें दिन तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी एवं दुकान अगले आवेदक को बन्दोबस्त कर दी जाएगी।

[6] बन्दोवस्तदार वह व्यक्ति है जिसके साथ लॉटरी के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकान की बन्दोवस्ती की जाती है।

बिहार वित्तीय नियमावली, भाग–I के नियम 37 के साथ पठित नियम 7 के अनुसार यह विभागीय प्राधिकारी की जिम्मेवारी है कि वे देखें कि सरकार को देय सभी राशि नियमित रूप से तथा शीघ्र निर्धारित किये गये हैं, वसूले गये हैं तथा बिना किसी विलम्ब के उचित शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी लेखे में जमा किये गये हैं।

बिहार उत्पाद कानून, भाग–II के अध्याय XIV (परिशिष्ट–I) की कंडिका 485 की उपकंडिका 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक उत्पाद कार्यालय प्रपत्र–106 में एक चालान पंजी संधारित करेगा तथा उत्पाद भुगतानों हेतु प्रस्तुत प्रत्येक चालान को, इसमें की गई प्रविष्टि की सत्यता से संतुष्ट होने के पश्चात् पंजी में दर्ज करेगा। पंजी को कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हेतु प्रत्येक दिन के अंत में कोषागार भेजा जाएगा। अन्य पंजियों में की गई भुगतानों की प्रविष्टियाँ भुगतानों के चालान की प्रस्तुति पर चालान पंजी में की गयी प्रविष्टियों से यथोचित तुलना एवं विसंगतियों का समाधान करने के पश्चात् होना चाहिए।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 45 के अनुसार उत्पाद विभाग में कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्त्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि सरकारी राजस्व की हानि नहीं हो रही है। यदि चालान सभी तरह से सही हो, तो विभागीय पदाधिकारी बैंक को राशि प्राप्त करने तथा रसीद स्वीकृत करने के लिहाज से एक आदेश के साथ मुखांकित करेगें।

3.5.1 फरवरी एवं जुलाई 2014 के बीच जिला उत्पाद कार्यालय, मुंगेर के माँग, संग्रहण एवं शेष पंजियों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि अप्रैल 2012 एवं फरवरी 2014 की अवधि में 16 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा ₹ 7.77 करोड़ का अनुज्ञा शुल्क शीर्ष '0039–राज्य उत्पाद' के अन्तर्गत कोषागार अनुसूची में जमा नहीं पाया गया। इस प्रकार जाली एवं फर्जी भुगतान के विरूद्ध परमिट जारी किया गया था। जैसाकि चालान पंजी संधारित नहीं किया गया था, जिला उत्पाद पदाधिकारी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत चालान की वास्तविकता को कोषागार अभिलेखों से सत्यापित नहीं कर सके।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2014) कि कार्यालयाध्यक्ष के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई विचाराधीन है। बिहार उत्पाद नियमावली को नजरअंदाज करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई को मामले की जाँच करने का अनुरोध किया गया है और जिन लिपिकों ने चालानों के सत्यापन के बिना पारक निर्गत किये थे, वे न्यायिक हिरासत में हैं। समाहर्त्ता, मुगेंर द्वारा 2012 से पूर्व के चालानों का सत्यापन कराया जा रहा है।

3.5.2 सहायक उत्पाद आयुक्त, पटना के वर्ष 2008–09 से 2009–10 की अवधि के माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013) कि माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी में अक्टूबर 2008 एवं फरवरी 2010 की अवधि के दौरान छः अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दर्शाया गया ₹ 35.99 लाख के अनुज्ञा शुल्क की राशि कोषागार अनुसूची में जमा नहीं पाया गया।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना ने कहा (मई 2014) कि उक्त राशि सरकारी कोषाकार में जमा नहीं हुआ प्रतीत होता है तथा सभी संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह पाया गया कि चूककर्त्ता अनुज्ञाप्तिधारियों के विरूद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत नीलामवाद दायर किया गया था।

3.5.3 मार्च 2013 में जिला उत्पाद कार्यालय, बाँका के माँग, संग्रहण एवं शेष पंजी की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि अप्रैल 2009 एवं फरवरी 2011 की अवधि में दो अनुज्ञप्तिधारियों[7] द्वारा जमा ₹ 2.13 लाख का अनुज्ञा शुल्क शीर्ष '0039–राज्य उत्पाद' के अन्तर्गत कोषागार अनुसूची में जमा नहीं पाया गया था। भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा ने भी प्रमाणित किया (3 जुलाई 2013) कि उक्त राशि बैंक में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार जाली एवं फर्जी भुगतान के विरूद्ध परमिट जारी किया गया था। जैसाकि, कार्यालय में चालान पंजी उचित रूप से संधारित नहीं किया गया था, जिला उत्पाद पदाधिकारी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत चालान की वास्तविकता को कोषागार अभिलेखों से सत्यापित नहीं कर सके।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (15 मार्च 2013) पर, अधीक्षक उत्पाद बांका ने कहा (18 मार्च 2013) कि लेखापरीक्षा के आलोक में एक अनुज्ञप्तिधारी[8] से सम्पूर्ण राशि की वसूली की जा चुकी है तथा कोषागार में जमा (18 मार्च 2013) कर दिया गया है तथा दूसरे मामले में जाँचोपरांत प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को भेजा जाएगा।

एक्जिट कन्फ्रेंस में सरकार ने कहा (अगस्त 2014) कि ऑनलाईन भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जा रही है तथा सभी जिला उत्पाद कार्यालयों को इन मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निर्देश निर्गत किया गया है।

समान मामले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) 2011–12 एवं 2012–13 की कंडिका 3.2.3 एवं 3.8 में क्रमशः इंगित किए गए थे। कंडिका 3.2.3 के उत्तर में सरकार ने कहा था कि मुजफ्फरपुर में राशि की वसूली की जा चुकी थी, पटना में चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की पहल की जा चुकी थी। चूक की प्रकृति अभी भी जारी थी, जो राजस्व के लगातार रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा कोषागार के अभिलेखों से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा राशि का सत्यापन नहीं किये जाने के साथ–साथ बिक्री अधिसूचना के शर्त का पालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 8.15 करोड़ के सरकारी राजस्व का गबन 24 अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा किया गया। उत्पाद विभाग तंत्र में अपक्रिया के क्षेत्रों की जाँच सुनिश्चित नहीं किया तथा उचित सुधारात्मक कदम नहीं उठा सका, जो आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अनुपालन नहीं करना दर्शाता था।

3.6 उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के बाद अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

बिहार उत्पाद अधिनियम, के तहत् बने बिहार उत्पाद (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर एवं कम्पोजिट शराब की दुकानों की खुदरा बिक्री हेतु अनुज्ञप्तियों की बंदोबस्ती) नियमावली, का नियम 15 उपबंधित करता है कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती की स्वीकृति के बाद वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जमानत राशि के रूप में बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा तथा

7 श्री दीपक कुमार भगतः समूह सं0 13 (2009–10) एवं श्री श्रवण कुमार चौधरीः समूह सं0 4 (2010–11)।

8 श्री दीपक कुमार भगतः समूह सं0 13 (2009–10): ₹ 1,65,000 चलाना संख्या 55 दिनांक 18.03.2013 द्वारा।

अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के रूप में समतुल्य राशि बंदोबस्तधारी द्वारा जमा किया जाएगा, जिसे उत्पाद वर्ष के अंतिम माह में समायोजित किया जाएगा।

पुनः उत्पाद दुकानों की बिक्री अधिसूचना की शर्त 14 के साथ पठित, उपरोक्त नियमावली के नियम 17 (2) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक दुकान के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क का बारहवाँ भाग जिला के कोषागार में माह की पहली तारीख को जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में संबंधित माह के 20 तारीख तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

हमने छः जिला उत्पाद कार्यालयों[9] की बंदोबस्ती संचिका, माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी की जाँच की तथा अवलोकन किया (जनवरी 2013 एवं जनवरी 2014 के बीच) कि उत्पाद दुकानों के 31 समूहों की अनुज्ञप्तियाँ मासिक अनुज्ञा शुल्क भुगतान नहीं किये जाने के कारण दिसम्बर 2010 एवं अगस्त 2013 के बीच की अवधि में निरस्त किये गये थे। पुनः, हमने पाया कि दुकानें एक से पाँच माह के विलम्ब से निरस्त की गई थी, जबकि इसे चूक के माह के 20 तारीख के बाद निरस्त किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार, दुकानों के निरस्तरीकरण में विलम्ब के कारण लेखापरीक्षा की तिथि तक ₹ 1.83 करोड़ की राशि अवसूलित रह गई। उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा ₹ 1.83 करोड़ की वसूली हेतु कार्रवाई करने/प्रारंभ करने संबंधी कोई अभिलेख नहीं पाए गए/उपलब्ध नहीं कराए गए।

इसे इंगित किए जाने पर एक्जिट कन्फ्रेंस (अगस्त 2014) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा दावों को स्वीकार किया तथा कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.7 जमानत राशि के गलत समायोजन के कारण अनुज्ञप्तिधारियों को अदेय सहायता

कंडिका 3.6 के वर्णित नियम 15 के साथ पठित नियम 17 (2) के अनुसार महिने के 20 तारीख तक अनुज्ञा शुल्क जमा करने में विफल रहने की स्थिति में अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

चार जिला उत्पाद कार्यालयों[10] की बंदोबस्ती संचिका, माँग, संग्रहण तथा शेष पंजी की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (फरवरी एवं दिसम्बर 2013 के बीच) कि उत्पाद दुकानों के 16 समूहों की अनुज्ञप्तियाँ, मासिक अनुज्ञा शुल्क भुगतान नहीं किये जाने के कारण, मार्च 2011 एवं जुलाई 2013 के बीच की अवधि में निरस्त किये गये थे। पुनः, हमने पाया कि बकाये का समायोजन उनके जमा जमानत राशि से की गई थी। बकाये राशि के विरूद्ध ₹ 1.14 करोड़ की जमानत राशि का समायोजन उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल था, जो उत्पाद दुकानों के निरस्तीकरण के मामले में जमानत राशि को जब्त करना उपबंधित करता है। यह ₹ 1.14 करोड़ के राजस्व की कम वसूली का कारण बना तथा इससे अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित सहायता मिली।

इसे इंगित किये जाने पर एक्जिट कन्फ्रेंस (अगस्त 2014) में सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा कहा कि अनुकूल कार्रवाई की जाएगी।

3.8 अनुज्ञा शुल्क के विलम्ब से जमा किये जाने पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

उत्पाद दुकानों की बिक्री अधिसूचना की शर्त 14 प्रावधित करता है कि अनुज्ञा शुल्क का मासिक किस्त माह की पहली तारीख तक जिला के सरकारी कोषागार में

9 बाँका, बेगुसराय, बक्सर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), नवादा एवं पटना।

10 भागलपुर, मुंगेर, पटना एवं रोहतास (सासाराम)।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की जाएगी, जो किसी भी स्थिति में माह के 20 तारीख तक अवश्य जमा होनी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा सभी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी एवं दुकान अगले आवेदक को बन्दोबस्त कर दी जाएगी।

बिहार उत्पाद अधिनियम, की धारा 42 (ख) प्रावधित करता है कि यदि धारक द्वारा भुगतेय किसी शुल्क या फीस का भुगतान नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति निरस्त, निलंबित अथवा अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

पुनः, उपरोक्त अधिनियम की धारा 68 उपबंधित करता है कि यदि किसी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति, परमिट या पास धारा 42 के शर्त (ए), (बी), (डी), (ई), (एफ), (जी) तथा (एच) के अन्तर्गत आर्थिक अपराध के कारण निरस्त, निलंबित या दण्ड आरोपित होने योग्य है तो इस निरस्तीकरण, निलंबन या ऐसे अपराध के लिए कम्पोजीसन के रूप में, जो भी मामला हो, उत्पाद अधिकारी न्यूनतम एक हजार तथा अधिकतम एक लाख रुपये की राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है।

चार जिला उत्पाद कार्यालयों[11] की माँग, संग्रहण तथा शेष पंजियों की नमूना जाँच के दौरान हमने जून 2013 एवं फरवरी 2014 के बीच पाया कि शराब दुकानों के 97 अनुज्ञाधारियों ने जून 2012 एवं नवम्बर 2013 की अवधि के बीच ₹ 9.04 करोड़ का अनुज्ञा शुल्क चार से 60 दिनों के विलंब के उपरांत जमा किया था। हालाँकि, बिक्री अधिसूचना की शर्त के अनुसार उन्हें अपना मासिक अनुज्ञा शुल्क प्रत्येक माह के अधिकतम 20 तारीख तक जमा करना था। लेकिन अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों ने न तो अनुज्ञप्ति को निरस्त/निलंबित किया और न ही चूककर्त्ता अनुज्ञप्तिधारियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया। बल्कि उन्होंने अर्थदण्ड के रूप में राशि वसूल किये बिना अनुज्ञा शुल्क की राशि स्वीकार कर ली। वस्तुतः, अन्य अनुज्ञप्तिधाारियों को राजस्व के भुगतान में चूक में प्रोत्साहन से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा प्रतिकारक के रूप में कम से कम अर्थदण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था।

इसे इंगित किए जाने पर एक्जिट कन्फ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2014) तथा कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2013–14 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद) विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

[11] बक्सर, कैमूर (भभुआ), नालन्दा एवं नवादा।

अध्याय-IV
वाहनों पर कर

अध्याय–IV : वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 तथा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ[1] क्षेत्रों एवं 38 जिलों में बाँटा गया है जिन पर क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013–14 में हमने वाहनों पर कर से संबंधित 49 लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों में से 35 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 19.90 करोड़ से सन्निहित 252 मामलों में राजस्व का कम आरोपण/आरोपण नहीं किया जाना, कम वसूली/वसूली नहीं किया जाना तथा अन्य त्रुटियों का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि **तालिका 4.1** में वर्णित है।

तालिका–4.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	32	5.97
2	व्यापार प्रमाणपत्र का नवीकरण नहीं किया जाना	21	4.82
3	ट्रैक्टरों तथा ट्रेलरों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	41	2.63
4	बगैर अस्थाई निबंधन के वाहनों को सौंपे जाना	6	1.90
5	तिपहिया वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	23	1.32
6	व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना	19	0.41
7	अन्य मामले	110	2.85
कुल		**252**	**19.90**

वर्ष 2013–14 के दौरान, विभाग ने 53 मामलों में अंतर्निहित ₹ 5.63 करोड़ के आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 28.23 लाख़ से सन्निहित 12 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

[1] भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 16.28 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

4.3 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियमों/नियमावली एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्त्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

4.4 मोटर वाहनों पर करों की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है। आवास/व्यवसाय में परिवर्तन के मामले में वाहन मालिक पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः करारोपण पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छूट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तो को पूरा कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित, उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कर का भुगतान 90 दिनों से भी अधिक समय तक नहीं किए जाने पर बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड का विधान है। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत यदि कर या अर्थदण्ड अथवा दोनों का भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है तो पदाधिकारी, जो मोटर वाहन निरीक्षक से नीचे के स्तर का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, मोटर वाहन को जब्त कर सकता है तथा करों के भुगतान होने तक इसे रोक कर रख सकता है।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया था तथा चूककर्त्ता वाहन मालिकों को माँग पत्र निर्गत करने हेतु समय सीमा भी विहित नहीं किया था।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012–13 की अवधि के करारोपण पंजी और वाहन डाटाबेस की संवीक्षा की तथा पाया (मई 2013 से जनवरी 2014 के बीच) कि 28 जिला परिवहन कार्यालयों[2] में 8,571 नमूना जाँचित परिवहन वाहनों (निबंधित परिवहन मोटर वाहनों की कुल संख्या 1,74,348) में से 1,608 वाहन के मालिकों ने अप्रैल 2008 से मार्च 2014 की अवधि का ₹ 2.09 करोड़ के कर का भुगतान नियत तिथि के दौरान

[2] अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्परण (मोतीहारी), गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) और पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

नहीं किया था तथा संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो उन वाहनों को जब्त किया और न चूककर्त्ता वाहन मालिकों के विरूद्ध बकाया की वसूली हेतु मांग पत्र निर्गत किया था। किसी भी मामले में वाहन मालिक के पते में परिवर्तन अथवा कर के भुगतान से छूट पाने के लिए दस्तावेजों का अभ्यर्पण किया जाना, अभिलेख पर नहीं पाया गया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.75 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 5.84 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई। यह जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वाहन डाटाबेस के कार्यान्वयन में सुस्ती के साथ–साथ उच्चतर पदाधिकारियों के कमजोर नियंत्रण तंत्र को प्रदर्शित करता है यद्यपि पूर्व वर्षो में हमने बार–बार इंगित किया था।

मई 2013 से जनवरी 2014 के बीच इंगित किए जाने पर सरकार ने चार जिला परिवहन पदाधिकारियों[3] का उत्तर प्रस्तुत किया (जुलाई 2014) और कहा कि तीन जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर, जहानाबाद और सीतामढ़ी) में 136 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 35.72 लाख का मांग पत्र निर्गत किया गया है, तीन जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी) में 15 वाहन मालिकों से ₹ 8.88 लाख की राशि वसूली गई है तथा जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में नौ वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 4.75 लाख हेतु राजस्व वसूली हेतु नीलाम–पत्र वाद दायर किया है। सरकार ने शेष जिला परिवहन कार्यालयों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

4.5 व्यापार प्रमाणपत्र शुल्क की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 प्रावधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर वाहन नहीं चला सकेगा जब तक कि वाहन निबंधित ना हो। पुनः केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 की धारा 33 प्रावधित करता है कि धारा 39 के परन्तुक के प्रयोजन हेतु, व्यवसायी के स्वामित्व में किसी मोटर वाहन को निबंधन की आवश्यकता से छूट प्रदान की जाएगी बशर्ते कि वह उस निबंधन पदाधिकारी से व्यापार प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस व्यवसायी के व्यवसाय का स्थान हो। नियम 34 के अन्तर्गत व्यापार प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा पुनर्नवीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र–16 में किया जायेगा तथा उपयुक्त शुल्क (मोटर साईकिल/अशक्त वाहनः पचास रूपये प्रत्येक वाहन के लिए, अन्यः दो सौ रूपये प्रत्येक वाहन के लिए) भी साथ में जमा किया जाएगा, जैसा कि नियम 81 में उल्लेखित है।

पुनः नियम 37 के अधीन, व्यापार प्रमाणपत्र, उसके निर्गत या नवीकरण की तिथि से 12 माह तक प्रभावी होगा तथा उपरोक्त नियमावली के नियम 41 के अधीन उल्लेखित उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होगा।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012–13 के व्यापार कर पंजी तथा संचिकाओं की संवीक्षा की तथा पाया (अगस्त 2013 से जनवरी 2014 के बीच) कि 12 जिला परिवहन कार्यालयों[4] में नमूना जांच किए गए 93 वाहन व्यवसायियों (517 व्यवसायियों में से) को जनवरी 2009 और नवम्बर 2013 के बीच 1,185 व्यापार प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था जबकि इन व्यवसायियों ने इस अवधि में 5,28,538 वाहन प्राप्त किया था, जैसा कि उनके द्वारा प्रपत्र बी–2 में प्रस्तुत घोषणा से सुस्पष्ट है। यद्यपि निबंधन प्राधिकारी को उनके अधिकार में वाहनों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध थी, उन्होंने शेष 5,27,353 वाहनों हेतु चूककर्त्ता व्यवसायियों से व्यापार प्रमाणपत्र शुल्क हेतु मांग पत्र निर्गत करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया था, जैसा कि

3 भागलपुर, दरभंगा, जहानाबाद और सीतामढ़ी।

4 औरंगाबाद, बेगुसराय, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गया, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), और सीवान।

उपरोक्त नियमावली के तहत् अपेक्षित है। अतः इस चूक के कारण व्यापार प्रमाणपत्र शुल्क के रूप में ₹ 4.90 करोड़ की कम वसूली हुई।

मामले सरकार/विभाग को दिसम्बर 2013 से मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

4.6 माल वाहक वाहनों से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अनुसुची–I के भाग 'ग' के क्रम संख्या–2 के प्रावधानों, जैसाकि वित्त अधिनियम, 2011 (1 अप्रैल 2011 से प्रभावी) के द्वारा संशोधित है, के अन्तर्गत, ट्रेलर को छोड़कर 1,000 कि0ग्रा0 तक निबंधित लदान भार क्षमता वाले माल वाहक वाहनों पर एकमुश्त कर ₹ 7,700 और 1,000 कि0ग्रा0 से ऊपर अथवा उसके किसी भाग के लिये परन्तु 3,000 कि0ग्रा0 से अधिक नहीं, तक निबंधित लदान भार क्षमता पर ₹ 5,500 प्रति टन, ऐसे वाहनों का प्रथम निबंधन तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए, निबंधन के समय आरोपित किया जाएगा और पहले से निबंधित वाहनों के मामलों में देय अन्तर कर की राशि की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद की जायेगी।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत भुगतान में 15 दिनों से अधिक विलम्ब के मामले में, बकाये करों के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोप्य है।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012–13 की अवधि के कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेन्स टेबल की संवीक्षा की तथा पाया (जून और दिसम्बर 2013 के बीच) कि 19 जिला परिवहन कार्यालयों[5] में 3,083 नमूना जाँचित मालवाहक वाहनों में से 740 वाहनों, जिनका निबंधन मार्च 2005 और अक्टूबर 2012 के बीच हुआ था, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था अथवा एकमुश्त कर का कम भुगतान किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया और ₹ 1.47 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 2.12 करोड़ की एकमुश्त कर की वसूली नहीं हुई।

जून 2013 से दिसम्बर 2013 के बीच इंगित किए जाने पर जुलाई 2014 में सरकार ने कहा कि दो जिला परिवहन कार्यालयों (भागलपुर और जहानाबाद) में 43 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 15.79 लाख की मांग पत्र निर्गत की गई थी और जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर में छः वाहन मालिकों से ₹ 1.94 लाख की राशि वसूल की गई थी। सरकार ने शेष जिला परिवहन कार्यालयों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

4.7 तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7, जैसा कि 2010 के वित्त अधिनियम 8 (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के अधीन निबंधन के समय एक वर्ष से कम आयु के सात एवं चार सीटों वाली तिपहिया वाहनों (चालक को छोड़ कर) पर राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से दस वर्ष की अवधि हेतु एकमुश्त कर क्रमशः ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000 देय होगा। पूर्व से निबंधित तिपहिया वाहनों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाकर की जाएगी तथा यदि कर का भुगतान क्रमशः ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000 से अधिक, जैसा भी मामला

[5] औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, सारण (छपरा), सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिमी चम्मपारण (बेतिया)।

हो, का भुगतान पूर्व में कर दिया गया है तब एकमुश्त कर का भुगतान नहीं करना होगा। पुनः बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (1 अप्रैल 2013 से प्रभावी) के अनुसार (क) चार सीटों से अधिक नहीं तिपहिया वाहनों (चालक को छोड़कर)– नये निबंधित वाहन पर 15 वर्षों के लिए एकमुश्त कर ₹ 9,000 आरोपित होगी या राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए सभी एक वर्ष तक के तिपहियों वाहनों पर एकमुश्त कर ₹ 6,000 आरोपित होगी। (ख) 7 सीटों से अनधिक तिपहिया (चालक को छोड़कर)–नये निबंधित वाहन से 15 वर्षों के लिए ₹ 13,500 देय होगी या राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षो की अवधि के लिए सभी एक वर्ष तक के तिपहियों से एकमुश्त कर ₹ 9,000 देय होगी।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार 90 दिनों से अधिक तक कर का भुगतान नहीं किए जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत अर्थदण्ड का विधान है।

4.7.1 तिपहिया वाहनों से एकमुश्त कर और अर्थदण्ड की कम वसूली

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012–13 की अवधि के कराधान पंजी/वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेन्स टेबल की संवीक्षा की तथा पाया (जून और दिसम्बर 2013 के बीच) कि 13 जिला परिवहन कार्यालयों[6] में 2,859 नमूना जाँचित तिपहिया वाहनों (निबंधित तिपहियों की कुल संख्या 39,606) में से 584 वाहनों, जो मई 2007 और अक्टूबर 2013 के बीच निबंधित हुए थे, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2010 और 2013 के प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 76.31 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 1.05 करोड़ के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

जून 2013 से दिसम्बर 2013 के बीच इंगित किए जाने पर सरकार ने जुलाई 2014 में कहा कि जिला परिवहन कार्यालय, जहानाबाद में 30 वाहन मालिकों के विरूद्ध ₹ 4.52 लाख का मांग पत्र निर्गत किया गया था तथा एक वाहन मालिक से ₹ 14,280 की वसूली हुई थी। सरकार ने शेष जिला परिवहन कार्यालयों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

4.7.2 व्यवसाय नियमों का गलत निरुपण

जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर में तिपहिया वाहनों से संबंधित डाटाबेस के टैक्स क्लियरेन्स टेबल की संवीक्षा में हमने पाया (दिसम्बर 2013) कि जनवरी 2010 और जून 2010 के बीच 578 तिपहिया वाहन निबंधित किए गए थे। उनमें से 130 तिपहियों के मालिकों ने सितम्बर 2010 से नवम्बर 2010 के दौरान एकमुश्त कर का भुगतान किया था और जिला परिवहन पदाधिकारी ने निबंधन की वैधता, उपरोक्त बिहार वित्त अधिनियम (वर्ष 2010 का 8) के तहत् प्रावधान किए गए 10 वर्षों के बदले निबंधन की तिथि से 15 वर्ष 3 माह से 15 वर्ष 9 माह की अवधि हेतु प्रदान किया। यह वाहन डाटाबेस में व्यवसायिक नियमों के गलत निरूपण के कारण घटित हुआ। व्यवसायिक नियमों के गलत निरूपण को विभाग ने बाद में सही कर लिया था परन्तु विभाग ने उपरोक्त मामलों में निबंधन अवधि की गलत वैधता को सही करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने दिसम्बर 2013 में कहा था कि सूचना निर्गत की जाएगी। हम अग्रेत्तर उत्तर की प्रतीक्षा में हैं (अगस्त 2014)।

[6] बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, सारण (छपरा), सुपौल और वैशाली (हाजीपुर)।

मामला सरकार/विभाग को अप्रैल और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

4.8 ट्रेलरों से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7 जैसा कि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम, 8, (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) से संशोधित है, गैर कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त या रखे गए 3,000 किलोग्राम लदान क्षमता तक के ट्रेलरों द्वारा ₹ 4,000 तथा 3,000 किलोग्राम से अधिक लदान क्षमता वाले ट्रेलरों द्वारा ₹ 6,000 एकमुश्त कर भुगतेय होगा। पूर्व से निबंधित ट्रेलरों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाकर की जाएगी। पुनः बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (वर्ष 2013 का बिहार अधिनियम 3, 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी) के तहत् सभी लदान क्षमता के ट्रेलरों के पूर्ण जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर ₹ 10,000 आरोपित होगा।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर देय कर भुगतान नहीं करने पर बकाया करों का 25 से 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड का विधान है।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012–13 की अवधि का कराधान पंजी/वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेन्स टेबल की संवीक्षा की तथा पाया (मई और दिसम्बर 2013 के बीच) कि 12 जिला परिवहन कार्यालयों[7] में 2,777 नमूना जाँचित ट्रेलरों (निबंधित ट्रेलरों की कुल संख्या 33,705) में से 575 ट्रेलरों, जो नवंबर 2006 से अप्रैल 2013 के बीच निबंधित हुए थे, के मालिकों ने वर्ष 2010 तथा 2013 के बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत् एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन जिला परिवहन पदाधिकारियों ने सुनिश्चित नहीं किया था। इसके फलस्वरूप ₹ 60.44 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 82.39 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई ने जून 2013 में कहा कि निदेशानुसार अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार ने अगस्त 2013 में कहा कि मामले में मुख्यालय से निर्देश वांछित है और जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा ने जुलाई 2013 में कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा (मई और दिसम्बर 2013 के बीच) कि मांग पत्र निर्गत की जाएगी। हम अग्रेतर उत्तर हेतु प्रतिक्षित हैं (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

4.9 ट्रैक्टर से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की नहीं/कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 (8), जैसाकि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के अंतर्गत कृषि संबंधी कार्य के अलावे उपयोग में लाये गए अथवा उपयोग में लाने हेतु रखे गये ट्रैक्टरों पर वाहन के संपूर्ण जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर, मूल्यवर्द्धित कर को छोड़कर, वाहन के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से आरोपित किया जाएगा, जबकि पहले से ही निबंधित ट्रैक्टरों के द्वारा एकमुश्त कर की गणना, पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद की जाएगी। पूर्व में ट्रैक्टर पर कर ₹ 100 प्रति वर्ष

[7] बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), जमुई, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, नालंदा, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर)।

था। पुनः बिहार वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का बिहार अधिनियम 3, 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी) के अनुसार गैर कृषि कार्यो में प्रयुक्त या रखे गए ट्रैक्टरों से मूल्यवर्द्धित कर को छोड़कर वाहन के लागत के दो प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर संपूर्ण जीवनकाल के लिए देय होगी।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार निर्धारित तिथि के अंदर कर का भुगतान नहीं करने पर बकाए देय कर का 25 और 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012–13 के कराधान पंजी तथा वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा की और मई और दिसम्बर 2013 के बीच पाया कि नौ जिला परिवहन कार्यालयों[8] में नमूना जाँचित 3,994 ट्रैक्टरों (निबंधित ट्रैक्टरों की कुल संख्याः 64,931) में से 850 ट्रैक्टरों, जो नवंबर 2009 और अप्रैल 2013 के बीच निबंधित हुए थे, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने चूककर्त्ता वाहन मालिकों के विरूद्व देय कर हेतु मांगपत्र का सृजन नहीं किया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61.18 लाख के आरोप्य अर्थदंड सहित ₹ 78.64 लाख के एकमुश्त कर की कम/नहीं वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई ने जून 2013 में कहा कि अर्थदण्ड की राशि वसूली जाएगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने दिसम्बर 2013 में कहा कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार ने अगस्त 2013 में कहा कि इस मामले में मुख्यालय से निर्देश अपेक्षित है, जबकि शेष जिला परिवहन पदाधिकारियों ने (जून और दिसम्बर 2013 के बीच) कहा कि मांग पत्र निर्गत की जाएगी। हम आगे के उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

4.10 टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 11 एवं 12 तथा उसके तहत् बने नियमों के अर्न्तगत करारोपण पदाधिकारी प्रत्येक व्यक्ति का जो वाहनों के लिए निर्धारित कर का भुगतान करता है, को एक पावती तथा विहित प्रपत्र में टैक्स टोकन निर्गत करेगा। पुनः करारोपण पदाधिकारी चालू अवधि के लिए मोटर वाहनों के संबंध में कर अथवा अर्थदण्ड, यदि कोई हो, को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि बकाए कर एवं अर्थदण्ड का भुगतान पूरी तरह नहीं कर दिया गया हो। कर की पावती तथा टैक्स टोकन निर्गत किए जाने से पहले करारोपण पदाधिकारी स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि कर के भुगतान के रूप में जमा किया गया राशि विनिर्दिष्ट दर पर भुगतेय कर के बराबर है।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत कर का भुगतान 90 दिनों से भी अधिक समय तक नहीं किए जाने पर बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड का विधान है।

[8] पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), गया, जमुई, कटिहार, लखीसराय, नवादा, पटना, रोहतास, (सासाराम) और शेखपुरा।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों[9] में कराधान पंजी तथा वाहन डाटावेस के टैक्स क्लियरेन्स टेबल की तिर्यक जांच में हमने नवम्बर और दिसम्बर 2013 के बीच पाया कि करारोपण पदाधिकारी ने 79 परिवहन वाहनों को अप्रैल 2008 और सितम्बर 2013 के बीच की अवधि के लिए बकाये कर की वसूली सुनिश्चित किए बिना टैक्स टोकन निर्गत किया। यद्यपि जिला परिवहन पदाधिकारियों को इन मामलों में डाटावेस से टैक्स टोकन निर्गत करने से पहले कराधान पंजी से पूर्व में किए गए कर भुगतान को सुनिश्चित कर लेना चाहिए था। बकाए करों की वसूली किए बिना टैक्स टोकन का निर्गमन उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल था, जिसके फलस्वरूप ₹ 22.73 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 34.09 लाख की वसूली नहीं हुई। जैसा कि **तालिका 4.2** में वर्णित है।

तालिकाः–4.2

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जिला परिवहन कार्यालय	वाहनों की संख्या, जिसे अनियमित रूप से टैक्स टोकन निर्गत किया गया	अवधि, जिसका कर बकाया था	कर भुगतान नहीं किये जाने की अवधि	देय कर	अर्थ दण्ड	कुल
1	भोजपुर (आरा)	22	अगस्त 2010 और सितम्बर 2013 के बीच	1 से 36 माह	1,46,581	2,93,162	4,39,743
2	पूर्वी चम्पारण मोतिहारी	26	अगस्त 2010 और जुलाई 2013 के बीच	3 से 45 माह	6,16,756	12,33,512	18,50,268
3	रोहतास	31	अप्रैल 2008 और जून 2013 के बीच	3 से 57 माह	3,73,020	7,46,040	11,19,060
कुल		**79**			**11,36,357**	**22,72,714**	**34,09,071**

इसे इंगित किये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास ने दिसम्बर 2013 में कहा कि मांग पत्र निर्गत की जाएगी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण ने दिसम्बर 2013 में कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर ने दिसम्बर 2013 में कहा कि कर की मैन्युअल वसूली रोक दी गई थी किन्तु बकाया कर की वसूली किये बिना कर टैक्स टोकन निर्गत करने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया। मामले में आगे की कार्यवाई प्रतीक्षित है (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को अप्रैल और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

4.11 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत मोटर वाहन के निर्माता अथवा व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गए मोटर वाहनों के लिए निर्माता/व्यवसायी के रूप में विहित वार्षिक दर पर करों का भुगतान करना होगा।

[9] भोजपुर (आरा), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), और रोहतास।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23, के अनुसार निर्धारित तिथि के भीतर देय कर का भुगतान नहीं करने पर कर के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है। पुनः राज्य परिवहन आयुक्त ने सितम्बर 2007 में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को कर की वसूली तथा व्यापार प्रमाणपत्र नवीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012–13 की अवधि में मोटर वाहनों के निर्माताओं/व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उनके अधिकार में रखे गए मोटर वाहनों से संबंधित घोषणा और निबंधन पंजियों की संवीक्षा की तथा पाया (जुलाई और नवम्बर 2013 के बीच) कि सात जिला परिवहन कार्यालयों[10] में 19 मोटर वाहन व्यवसायियों ने अप्रैल 2007 और अक्टूबर 2013 के बीच की अवधि में अपने अधिकार में रखे गए 34,441 वाहनों (25,753 दो पहियों और 8,688 तीन/चार पहियों) हेतु विहित दर से व्यवसाय कर या तो जमा नहीं किया था अथवा कम जमा किया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने व्यवसायियों द्वारा समर्पित घोषणा के अनुसार व्यापार कर के भुगतान की सत्यता की जांच नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 24.64 लाख के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने जुलाई और नवंबर 2013 के बीच कहा कि माँग पत्र निर्गत की जाएगी। हम अगले उत्तर हेतु प्रतिक्षित हैं (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को दिसम्बर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किए गए थे; हमें उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

4.12 चालक अनुज्ञप्ति का प्रपत्र–7 में नवीकरण नहीं किया जाना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 16 के अनुसार, जहाँ अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास लेमिनेटेड/स्मार्ट कार्ड के रूप में चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध है, तब इसे प्रपत्र–7[11] में निर्गत किया जाएगा। पुनः उपरोक्त नियमावली के नियम 16 (3) के अनुसार इस उप नियम के लागू की तिथि (31 मई 2002) या उसके बाद अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा सभी चालक अनुज्ञप्ति 'प्रपत्र–7' में निर्गत अथवा नवीकरण किया जाएगा। राज्य परिवहन आयुक्त ने भी स्मार्ट कार्ड में चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निर्देशित (फरवरी 2009) किया था।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों[12] में जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत गैर–व्यवसायिक चालक अनुज्ञप्ति के नवीकरण संबंधी विवरणी तथा सारथी[13] सॉफ्टवेयर के आंकड़ों की नमूना जांच में हमने जून और सितम्बर 2013 के बीच पाया कि अप्रैल 2011 से मार्च 2013 के बीच नवीकरण किये गए 5,560 गैर व्यवसायिक चालक अनुज्ञप्तियों में से 5,309 चालक अनुज्ञप्ति प्रपत्र–6[14] में नवीकृत किए गए थे यद्यपि सभी जिला परिवहन कार्यालयों में प्रपत्र–7 में अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध था। इस प्रकार, उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण चालक अनुज्ञप्ति के राष्ट्रीय पंजी बनाने तथा केन्द्रीय एवं राज्य सुरक्षा एजेंसियों को बहुमूल्य आंकड़ा मुहैया कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तथा

10 बेगुसराय, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, और सीवान।

11 प्रपत्र–7: मोटर वाहन चलाने हेतु लैमिनेटेड/स्मार्ट कार्ड में ड्राईविंग लाइसेंस।

12 बांका, किशनगंज, और नालंदा।

13 विभिन्न अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने हेतु विकसित एक एप्लीकेशन।

14 प्रपत्र–6 मोटर वाहन चलाने हेतु पुस्तिका के प्रपत्र में मुद्रित चालक अनुज्ञप्ति।

परिणामस्वरूप ₹ 8.89 लाख की राजकोषीय हानि भी हुई जैसा कि **तालिका 4.3** में उल्लेखित है।

तालिकाः– 4.3

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	अवधि	गैर व्यावसायिक चालक अनुज्ञप्ति की संख्या	स्मार्ट कार्ड (प्रपत्र–7 में नवीकृत चालक अनुज्ञप्ति की संख्या	पुस्तिका में नवीकृत चालक अनुज्ञप्ति की संख्या	₹ 200 प्रति चालक अनुज्ञप्ति के दर पर वसूलनीय राशि	₹ 32.50 प्रति चालक अनुज्ञप्ति की दर से एजेन्सी को स्मार्ट कार्ड की कीमत का घटाव	हानि
1	बांका	अप्रैल 2011 से मार्च 2013	1,514	52	1,462	2,92,400	47,515	2,44,885
2	किशनगंज	अप्रैल 2011 से मार्च 2013	1,530	129	1,401	2,80,200	45,533	2,34,667
3	नालंदा	अप्रैल 2011 से मार्च 2013	2,516	70	2,446	4,89,200	79,495	4,09,705
कुल			**5,560**	**251**	**5,309**	**10,61,800**	**1,72,543**	**8,89,257**

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किये गए थे; हमें अभी तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2014)।

4.13 अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों की सुपुर्दगी के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 के अनुसार, व्यापार प्रमाणपत्र धारक, बिना स्थायी या अस्थायी निबंधन के मोटर वाहनों को खरीददार को नहीं सौपेंगे। पुनः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अनुसार, धारा 40 में धारित किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन के मालिक निबंधन प्राधिकारी को अथवा दूसरे विहित प्राधिकारी को विहित तरीके से वाहन का अस्थायी निबंधन प्रमाणप्रत्र एवं अस्थायी निबंधन चिन्ह निर्गत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या 3,415 दिनांक 28 जुलाई 2009 से भी यह स्पष्ट कर दिया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार निबंधन प्राधिकारी व्यवसायी एजेंसियों को उनके मांग पर अस्थायी निबंधन संख्या का ब्लॉक उपलब्ध कराएँगे।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2012–13 अवधि के वाहन डाटावेस के ऑनर टेबल तथा निबंधन पंजियों की संवीक्षा की तथा छः जिला परिवहन कार्यालयों[15] में पाया (जून और दिसम्बर 2013 के बीच) कि व्यापार प्रमाण पत्र धारकों ने अप्रैल 2011 और मई 2013 के बीच की अवधि के दौरान, क्रेताओं को 8,947 वाहन (हल्के मोटर वाहनः 509 तथा दो पहियाः 8,438) बिना अस्थायी निबंधन चिन्ह आबंटित किये सौंप दिया था। निबंधन प्राधिकारियों (जिला परिवहन पदाधिकारियों) ने अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय, आदेश का उल्लंघन करते हुए उन वाहनों का स्थायी निबंधन कर दिया जिन्हें अस्थायी निबंधन के बिना क्रेताओं को सौंप दिया गया था। जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा इन मामलों में वाहनों का निबंधन

[15] औरंगाबाद, भोजपुर (आरा) नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा।

सुपुर्दगी की तिथि से 2,191 दिनों तक के विलंब से किया गया था। इसके परिणास्वरूप ₹ 8.31 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) 2012–13 की कंडिका 4.16 में सदृश मामला इंगित किया गया था। चूक/अनियमितताओं की प्रकृति का लगातार बना रहना राजस्व के लगातार रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

मामला सरकार/विभाग को अक्टूबर 2013 और मई 2014 के बीच प्रतिवेदित किया गया था। हमें अभी तक उनके उत्तर अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

4.14 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2013–14 के दौरान परिवहन विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।

अध्याय-V
अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय–V: अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 कर प्रशासन

राज्य में भू–राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण अधिनियमों एवं नियमावली[1] के तहत् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शासित होता है। शीर्ष स्तर पर प्रधान–सचिव–सह आयुक्त शासकीय प्रधान होते हैं और प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, उप समाहर्त्ता और अंचलाधिकारी क्षेत्र स्तर पर उनको सहायता प्रदान करते हैं। अंचल कार्यालय प्राथमिक ईकाई है जो भू–राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण के लिये उत्तरदायी है।

राज्य में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण, भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899; निबंधन अधिनियम 1908; बिहार मुद्रांक नियमावली 1991 तथा बिहार मुद्रांक (लिखितों के अवमूल्यन का निवारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग के द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख निबंधन महानिरीक्षक होते हैं। निबंधन विभाग के सचिव, जो मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन विभाग कार्य करता है। मुख्यालय स्तर पर निबंधन महानिरीक्षक की सहायता के लिए एक अतिरिक्त सचिव, दो उप महानिरीक्षक और चार सहायक महानिरीक्षक होते हैं। पुनः प्रमंडलीय स्तर पर नौ निबंधन कार्यालयों के सहायक महानिरीक्षक होते हैं। 38 जिला निबंधक, 38 जिला अवर निबंधक, 83 अवर निबंधक और 26 संयुक्त अवर निबंधक, जिला/प्राथमिक ईकाई स्तर पर मुद्रांक और निबंधन फीस के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान भू–राजस्व के 612 लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों में से 101 ईकाईयों तथा मुद्रांक एवं निबंधन फीस के 140 लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों में से 38 ईकाईयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने ₹ 51.81 करोड़ से सन्निहित 1,018 मामलों में राजस्व का नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएँ पाई जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि **तालिका 5.1** में वर्णित है।

तालिका 5.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की सं0	राशि
क: भू–राजस्व			
1.	सैरात के बंदोबस्ती से मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का नहीं/कम वसूली किया जाना	23	0.33
2.	खास महाल नीति, 2011 के अंतर्गत नये पट्टे के कार्यान्वयन नहीं किये जाने के कारण राजस्व का आरोपण नहीं किया जाना	8	0.06
3.	अन्य मामले	841	40.14
कुल		**872**	**40.53**

[1] बिहार टीनेनसी अधिनियम, 1908; बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956; बिहार सरकार एस्टेट (खास महाल) हस्तक, 1953।

खः मुद्रांक और निबंधन फीस			
1.	प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध पड़ा रहना	32	4.98
2.	पट्टे के दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	7	2.07
3.	अंतिम रूप से प्रेषित मामलों में सरकारी राजस्व का आरोपण नहीं किया जाना	16	1.25
4.	भूमि के प्रकार का गलत वर्गीकरण	1	0.03
5.	अन्य मामले	90	2.95
कुल		**146**	**11.28**
कुल योग		**1,018**	**51.81**

(क) वर्ष 2013–14 के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 53 मामलों में सन्निहित ₹ 1.33 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से ₹ 48.57 लाख से सन्निहित 16 मामले वर्ष के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे।

(ख) वर्ष 2013–14 के दौरान निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग ने 16 मामलों में सन्निहित ₹ 2.91 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान इंगित किए गए थे। एक मामले में ₹ 0.18 लाख की वसूली की गई थी जिसकी लेखापरीक्षा वर्ष 2012–13 में की गई थी।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्त्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

5.3 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

अपर/उप समाहर्त्ता भू–राजस्व एवं जिला निबंधक/अवर निबंधक के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियमों/नियमावली एवं विभागीय आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसाकि इस अध्याय के अनुवर्त्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। विभागीय पदाधिकारियों द्वारा हुए इन चूकों को प्रत्येक वर्ष हमलोगों द्वारा इंगित किए जाते रहे हैं, परन्तु अनियमितताएँ न केवल निरन्तर होती रही बल्कि लेखापरीक्षा किए जाने तक इसका पता नहीं लगाया गया। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

कः भू–राजस्व

5.4 सैरात के बंदोबस्ती पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की वसूली नहीं/कम होना

सैरात[2] की बंदोबस्ती हेतु आमंत्रित सूचनाओं के अनुसार निष्पादित डीड को निबंधित कराना होगा तथा बंदोबस्त सैरात के मूल्य पर तीन प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क एवं चार प्रतिशत की दर से निबंधन फीस (15 फरवरी 2013 के प्रभाव से पाँच प्रतिशत)

[2] सैरात का अर्थ है मत्सयपालन, हाट, मेला, तोड़ी, महाल तथा नौकायन को पट्टे पर दिए जाने से प्राप्त आय।

बंदोबस्तधारियों पर आरोपण एवं संग्रहण करना होगा। पुनः बंदोबस्ती के लिए आमंत्रित सूचनाओं की शर्तों के अनुसार परवाना जारी करने से पहले उच्चतम डाककर्त्ता को अपने खर्च पर एकरारनामा को निबंधित कराना होगा।

तीन अंचल कार्यालयों[3] एवं अपर समाहर्त्ता कार्यालय, किशनगंज के वर्ष 2010–11 से 2013–14 के सैरात पंजी एवं संबंधित संचिकाओं की संवीक्षा से हमने अगस्त 2013 और फरवरी 2014 के बीच पाया कि वर्ष 2010–11 से 2013–14 हेतु सैरात ₹ 2.27 करोड़ में बंदोबस्त किए गए थे। लेकिन बंदोबस्तधारी एवं संबंधित अंचल अधिकारी के बीच सैरात के बंदोबस्ती के संबंध में एकरारनामा नहीं किया गया था। बंदोबस्ती के लिए आमंत्रित सूचना में विहित प्रावधान के अनुसार डाककर्त्ता को परवाना जारी करने से पहले एकरारनामा निष्पादित करने एवं इसे निबंधित कराने में संबंधित प्राधिकारी की विफलता के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में ₹ 11.13 लाख की सरकारी राजस्व की वसूली नहीं/कम हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद संबंधित प्राधिकारी ने तथ्यों को स्वीकार किया और अगस्त 2013 एवं मार्च 2014 के बीच कहा कि सरकारी राजस्व की वसूली के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

खः मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

5.5 प्रेषित मामलों का निपटारा नहीं किए जाने के कारण सरकारी राजस्व का अवरूद्ध होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47 (क) के तहत् जब निबंधन प्राधिकारी को यह विश्वास होता है कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य की घोषणा दस्तावेज में सही नहीं की गई है तब उसे बाजार मूल्य निर्धारण हेतु समाहर्त्ता के पास प्रेषित कर सकता है। पुनः आयुक्त–सह–सचिव एवं निबंधन विभाग के महानिरीक्षक, बिहार सरकार ने सभी समाहर्त्ताओं को धारा 47 (क) के तहत् प्रेषित मामलों को 90 दिनों में त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित निबंधन कार्यालय के निरीक्षकों, वर्त्तमान में सहायक निबंधन महानिरीक्षक के रूप में पुनः नामित, को हस्तांतरित करने का निर्देश (मई 2006) दिया।

चार निबंधन प्राधिकारियों[4] (जिला अवर निबन्धक/अवर निबन्धक) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों की पंजी की अक्टूबर 2013 एवं फरवरी 2014 के बीच संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 47 (क) के तहत् वर्ष 2008–09 एवं 2013–14 के लिए अगस्त 2008 तथा मई 2013 के दौरान सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु 238 मामले निबंधन कार्यालय के निरीक्षकों/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना को प्रेषित किए गए थे। जिसमें से 170 मामलों को निष्पादित किया गया था एवं शेष 68 मामलों में जहाँ दस्तावेजों में दर्शायी गई ₹ 1.88 करोड़ मूल्य के विरूद्ध जिला अवर निबंधक द्वारा सम्पति का मूल्य ₹ 6.36 करोड़ निर्धारित किया गया था, निपटारा हेतु अब तक लंबित थे। इस प्रकार मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 29.19 लाख का सरकारी राजस्व अवरूद्ध रहा।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि संबंधित सहायक निबंधन महानिरीक्षक को प्रेषित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है, जिसकी सचिव स्तर पर मासिक समीक्षा बैठकों में अनुश्रवण किया जाएगा।

[3] दाउदनगर (औरंगाबाद), कदवा (कटिहार), एवं पातेपुर (वैशाली)।

[4] जिला अवर निबंधक, जमुई, शिवहर एवं सीतामढ़ी; अवर निबंधक; परिहार (सीतामढ़ी)।

5.6 निष्पादित प्रेषित मामलों से सरकारी राजस्व की वसूली नहीं होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 48 प्रावधित करता है कि सभी शुल्क, अर्थदण्ड तथा अधिनियम के तहत् भुगतेय अन्य राशि की वसूली समाहर्त्ता द्वारा कुर्की से अथवा उस व्यक्ति के चल सम्पत्ति की बिक्री से, जिस पर यह बकाया है अथवा उस समय भू–राजस्व के बकाये की वसूली हेतु लागू किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा हो सकती है।

पुनः सचिव–सह–निबंधन महानिरीक्षक ने समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/निबंधन कार्यालय के निरीक्षक/जिला अवर निबंधक को यह निर्देश जारी (जनवरी 2007) किया कि यदि संबंधित व्यक्ति अंतिम रूप से निष्पादित प्रेषित मामलों में मुद्रांक शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो एक सूचना जारी किया जा सकता है और मुद्रांक एवं निबंधन फीस की वसूली हेतु स्थानीय समाचार पत्र में उसका नाम प्रकाशित करने के 30 दिनों के बाद लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत उसके विरूद्ध मामला दर्ज किया जाएगा।

दो निबंधन प्राधिकारियों (जिला अवर निबंधक, पटना एवं सीवान) द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं प्रेषित मामलों की पंजी की अक्टूबर 2013 एवं फरवरी 2014 के बीच संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि धारा 47 (क) के तहत् सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु निबंधन कार्यालय के निरीक्षक को प्रेषित 73 मामलों को अक्टूबर 2011 एवं सितम्बर 2013 के बीच निष्पादित किया गया था तथा कमी मुद्रांक शुल्क के रूप में ₹ 51.28 लाख वसूल किया जाना था। पुनः हमने पाया कि मई 2012 एवं दिसम्बर 2013 के बीच 24 मामलों में मांगपत्र भेजी गयी थी, परन्तु उपरोक्त प्रावधान के अनुसार बकाये की वसूली हेतु किसी प्रकार की अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं की गई थी। इस चूक के कारण लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत् राजस्व वसूली नीलामवाद की शुरूआत नहीं की गई तथा मुद्रांक शुल्क के रूप में सरकारी बकाया राशि ₹ 51.28 लाख[5] की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग द्वारा बतलाया गया (अगस्त 2014) कि लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत् अनेक मामलों में राजस्व वसूली नीलामवाद दायर किया गया था।

[5] संगणनाः

क्रम सं॰	जिला अवर निबंधन	अवधि	निष्पादित मामलों की संख्या	अवधि, जिसमें मामले निष्पादित किये गये	कम मुद्रांक शुल्क की राशि (राशि ₹ में)
1.	पटना	2011–12	4	दिसम्बर 2012 एवं अगस्त 2013 के बीच	10,34,550
		2012–13	41	जनवरी 2013 एवं सितम्बर 2013 के बीच	15,96,530
2.	सीवान	2010	3	दिसम्बर 2012	36,060
		2011	9	अक्टूबर 2011 एवं दिसम्बर 2012 के बीच	3,40,490
		2012	16	अक्टूबर 2012 एवं जनवरी 2013 के बीच	21,20,120
कुल			**73**		**51,27,750**

5.7 मोबाईल कम्पनियों तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया जाना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 73 के तहत् प्रत्येक लोक पदाधिकारी, जिनके अधीन कोई पंजी, पुस्त, अभिलेख, कागजात अथवा कार्यवाही, जिसके निरीक्षण से किसी शुल्क को सुरक्षित रखा जा सके अथवा किसी शुल्क से संबंधित कपट या चूक उजागर किये जाने को इंगित करता है अथवा साबित करता है, समय रहते इस प्रयोजन हेतु पंजी, पुस्त, कागजातों तथा कार्यवाही को निरीक्षण हेतु समाहर्त्ता द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अनुमति दे सकता है।

मोबाइल टावरों के अधिस्थापन हेतु एकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान की जाँच हेतु निरीक्षण पदाधिकारी को नामित करने के लिए सचिव, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग ने सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधकों को निर्देशित (सितम्बर 2012) किया। पुनः सहायक निबंधन महानिरीक्षक के द्वारा सभी जिला अवर निबंधकों एवं अवर निबंधकों को निरीक्षण पदाधिकारी के रूप में नामित करने हेतु स्मारित (दिसम्बर 2012) किया गया था।

चार जिला अवर निबंधकों[6] के अभिलेखों, एवं सम्बंधित नगर निगम/परिषद् के कार्यकारी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं की जनवरी और मार्च 2014 के बीच संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2004 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान मोबाइल टावरों के अधिस्थापन हेतु मोबाईल टावर कम्पनियों एवं भू–स्वामियों के बीच कुल 115 एकरारनामें 9 से 21 वर्षों के लीज अवधि के लिये किया गया था। चूँकि एकरारनामा एक से अधिक वर्ष के लीज अवधि के लिए किया गया था, अतः ये एकरारनामें लीज दस्तावेज के श्रेणी में आते थे और इन पर मुद्रांक शुल्क अपेक्षित था। परन्तु हमलोगों ने पाया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी राजस्व की वसूली हेतु निरीक्षण पदाधिकारी को नामित करने के लिए विभाग के सचिव द्वारा निर्देश दिये जाने के बावजूद इनमें से किसी भी मामले में मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.34 लाख[7] मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा कि (अगस्त 2014) लोक पदाधिकारी के पास दस्तावेज उपस्थापित करने के बाद ही निबंधन शुल्क वसूलनीय था जबकि उपरोक्त मामलों को संबंधित निबंधन पदाधिकारियों के पास उपस्थापित नहीं किया गया था। उत्तर मोबाइल टावरों के अधिस्थापन के एकरारनामों पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान के सत्यापन हेतु सचिव के निर्देश (सितम्बर 2012) के अनुरूप नहीं था।

5.8 भूमि के प्रकार का गलत वर्गीकरण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 47 (क) (1) के अन्तर्गत जहाँ निबंधन प्राधिकारी को यह विश्वास हो कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य की घोषणा दस्वावेज में सही नहीं की गई है तब वे उसे बाजार मूल्य निर्धारण हेतु समाहर्त्ता के पास प्रेषित कर सकते हैं और समाहर्त्ता उपरोक्त अधिनियम की धारा 47 (क) (2) के उपबन्धों के अन्तर्गत सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण हेतु जाँच गठित करेंगे।

सहायक निबंधन महानिरीक्षक पटना द्वारा निष्पादित प्रेषित मामलों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया (दिसम्बर 2013) कि सासाराम जिलान्तर्गत चेनारी अंचल में भूमि के अवमुल्यांकन के एक मामले को जिला अवर निबंधक सासाराम के द्वारा बाजार मूल्य निर्धारण हेतु सहायक निबंधन महानिरीक्षक पटना को प्रेषित किया (दिसम्बर 2012) गया

[6] कटिहार, मधेपुरा, सीवान एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।

[7] 10 वर्षों से अधिक अवधि के लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो तक के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर।

था। पुनः हमने यह पाया कि जिला अवर निबंधक सासाराम के कर्मी द्वारा किये गये स्थल जाँच के आधार पर सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने मामले को ''सिंचित'' भूमि के रूप में निष्पादित (मार्च 2013) किया तथा भूमि का बाजार मूल्य ₹ 10.85 लाख निर्धारित किया एवं तद्नुसार मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के रूप में ₹ 86,800 की वसूली की गई थी। हालाँकि, जिला अवर निबंधक कार्यालय, सासाराम के अन्य कर्मचारी द्वारा किये गये स्थल जाँच प्रतिवेदन में उक्त भूमि को ''आवासीय'' दर्शाया गया था। चूँकि भूमि के प्रकार से सम्बंधित दो भिन्न स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त थे, अतः सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा स्वयं स्थल जाँच किया जाना चाहिये था अथवा सम्बन्धित अंचलाधिकारी से स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिये था। परन्तु सहायक निबंधन महानिरीक्षक अथवा अंचलाधिकारी के स्थल जाँच से संबंधित कोई प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं था। यदि इस मामले का निस्तारण आवासीय भूमि के रूप में किया जाता तो भूमि का बाजार मूल्य ₹ 1.75 करोड़ तथा आरोप्य मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस ₹ 14.00 लाख होता। इस प्रकार मुद्रांक एवं निबंधन फीस के रूप में ₹ 13.13 लाख[8] कम आरोपित किया गया था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के बाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना ने स्वयं स्थल जाँच किया (जून 2014) एवं इस भूमि को ''आवासीय'' प्रकृति का पाया और लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि पुनरीक्षित माँग पत्र निर्गत किया जाएगा। मामले में अग्रेतर कार्रवाई हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

5.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

यहाँ एक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध है जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, जो वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है।

वित्त विभाग के द्वारा दी गई सूचना (जुलाई 2014) के अनुसार वर्ष 2013–14 के दौरान राजस्व एवं भू–सुधार विभाग से आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु नौ तथा निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन) विभाग से तीन अधियाचनाएं प्राप्त हुई थी तथा सभी मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षा किया गया था। वित्त विभाग ने पुनः कहा कि क्रमशः 86 एवं 26 कंडिकाओं से समाहित निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए गए थे तथा बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं के निष्पादन हेतु पत्र/स्मार निर्गत किए गए थे तथा बैठकें भी आयोजित की जा रही थी।

[8] संगणनाः

(राशि ₹ में)

रकवा	एम.भी. आर. के अनुसार दर प्रति डिसमल	एम.भी.आर. के अनुसार भूमि का मूल्य	सहायक महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित दर प्रति डिसमल	सहायक महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित भूमि का मूल्य	अवमूल्यांकन	आठ प्रतिशत की दर पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण
175 डिसमल	1,00,000	1,75,00,000	6,200	10,85,000	1,64,15,000	13,13,200

अध्याय-VI
कर भिन्न प्राप्तियाँ

अध्याय–VI : कर भिन्न प्राप्तियाँ

अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग

6.1 कर प्रशासन

खनिजों का खनन, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 एवं खनिज रियायत नियमावली, 1960 द्वारा शासित होता है। खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास, सरकार स्तर पर, आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रशासित होता है। विभाग के प्रधान, खान निदेशक होते हैं जिनकी सहायता में एक खान अपर निदेशक और तीन खान उप निदेशक मुख्यालय में होते हैं। पुनः, प्रमंडलीय कार्यालयों में नौ खान उप निदेशक और 14 जिला खनन कार्यालयों में खान सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी जिला स्तर पर स्वतंत्र प्रभार में रहते हैं, जबकि 24 जिला खनन कार्यालयों के प्रभारी खान निरीक्षक होते हैं जो संबंधित जिले में समाहर्त्ता के अधीनस्थ होते हैं एवं रॉयल्टी तथा अन्य खनन बकायों के निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण हेतु उत्तरदायी होते हैं।

बिहार राज्य में लघु खनिजों जैसे बालू, पत्थर एवं मिट्टी तथा कुछ वृहत् खनिजों जैसे चूना पत्थर, अभ्रख तथा सिलिका इत्यादि हैं। बिहार में खान एवं खनिजों से प्राप्तियों में रॉयल्टी, नियत लगान, भूतल लगान, पट्टा/अनुज्ञा पत्र/पूर्वपेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन शुल्क, पूर्व सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, अर्थदण्ड, बकाये आदि का विलम्ब से भुगतान हेतु जुर्माना तथा ब्याज शामिल है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग से प्राप्तियों से संबंधित 58 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों में से 33 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 131.53 करोड़ से सन्निहित 250 मामलों में राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताएँ पाई, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसाकि **तालिका 6.1** में वर्णित है।

तालिका–6.1

(₹ करोड़ में)

क्रम सं॰	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति के लिए कार्य संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	25	42.50
2.	बालू घाटों की बंदोबस्ती के विलेखों का निबंधन नहीं कराये जाने के कारण राजस्व की हानि	35	18.09
3.	माइनिंग प्लान के अनुमोदन के बगैर खनिज का उत्खनन	1	5.21
4.	ईंट भट्ठों के मालिकों से रॉयल्टी की नहीं/कम वसूली	11	4.59
5.	पत्थर खान के पट्टे से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली	13	2.68
6.	साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	8	1.76
7.	अधिनियमों/नियमावलियों के लगातार उल्लंघन हेतु जुर्माना का आरोपण नहीं किया जाना	5	0.82
8.	अन्य	152	55.88
कुल		**250**	**131.53**

वर्ष 2013–14 के दौरान विभाग ने दो मामलों में अंतर्निहित ₹ 75.92 लाख के राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। दो मामलों में ₹ 72,000 की वसूली हुई थी जिनकी लेखापरीक्षा वर्ष 2011–12 में की गई थी।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 10.58 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

6.3 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

जिला खनन पदाधिकारियों के अभिलेखों की हमारी संवीक्षा से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों एवं विभागीय आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के अनेक मामलों का पता चला, जैसाकि इस अध्याय के अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है। ये मामले दृष्टान्तस्वरूप हैं तथा हमलोगों द्वारा लेखापरीक्षा में किए गए नमूना जाँच पर आधारित है। इन चूकों एवं अनियमितताओं को पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए जाने के बावजूद ये अनियममितताएँ निरंतर होती रहीं। सरकार के लिए आवश्यक है कि आंतरिक नियंत्रण पद्धति एवं आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार लाए।

6.4 कार्य संवेदकों द्वारा खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 का नियम 40 (10) प्रावधित करता है कि कार्य संवेदक केवल पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी और प्राधिकृत व्यवसायी से ही खनिज का क्रय करेंगे तथा कार्य विभाग, संवेदकों द्वारा किए गये कार्य में व्यवहृत खनिजों के लागत की वसूली हेतु जो विपत्र समर्पित किया जाता है, उसको तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वह निर्धारित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन', जिसमें उस व्यवसायी का नाम एवं पता वर्णित हो, जिससे खनिज का क्रय किया गया था, द्वारा समर्थित न हो। विभाग ने यह भी अधिसूचित किया था (जनवरी 2006) कि कार्य संवेदकों द्वारा प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' के प्रस्तुतिकरण के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जाएगा। उक्त विपत्र प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि वे प्रपत्रों एवं विवरणी की छायाप्रति संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी को भेजे। यदि संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र/शपथपत्र के जाँचोपरान्त यह पता चलता है कि खनिज किसी प्राधिकृत पट्टाधारी से क्रय नहीं किया गया है, तब यह समझा जाएगा कि संबंधित खनिज अवैध खनन से प्राप्त किया गया है और उस परिस्थिति में उक्त संबंधित जिला खनन पदाधिकारी/सहायक खनन पदाधिकारी शपथपत्र बनाने वाले के विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई करेंगे।

पुनः बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 40 (8) के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) प्रावधित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से कोई खनिज किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निष्कासित करेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज का पहले से ही खपत कर दिया गया है, वहाँ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है और साथ ही उस व्यक्ति द्वारा बिना कोई कानूनी प्राधिकार के कब्जे में लिए गए जमीन का किराया, रॉयल्टी या कर, (जैसा भी मामला हो) भी वसूल कर सकती है।

जनवरी एवं फरवरी 2014 के बीच छः खनन कार्यालयों[1] के राजस्व संग्रहण प्रतिवेदन एवं जिला कोषागार के अभिलेखों से हमने पाया कि कार्य विभागों द्वारा वर्ष 2012–13 के अवधि के दौरान कार्य संवेदकों के विपत्र से रॉयल्टी के रूप में कुल ₹ 5.47 करोड़ की कटौती कर शीर्ष ''0853–अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग'' के अंतर्गत जमा किया गया था। कार्य विभागों ने संवेदकों द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों की विवरणी संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों को जाँच हेतु नहीं भेजा था। बजाए कार्य विभागों ने, यद्यपि वे इसके लिए प्राधिकृत नहीं थे, कार्य संवेदकों के विपत्र से उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों के विरूद्ध रॉयल्टी की कटौती की। यह इंगित करता है कि खनिज प्राधिकृत व्यवसायी/अनुज्ञप्तिधारी से क्रय नहीं किया गया था। पुनः खनन पदाधिकारी, कार्य विभागों द्वारा कटौती किए गए रॉयल्टी की राशि प्राप्त होने पर, अवैध खनन रोकने हेतु कोई कार्यवाई नहीं की तथा खनन पदाधिकारियों ने कम से कम ₹ 5.47 करोड़ की रॉयल्टी के समतुल्य न्युनतम अर्थदण्ड का मांग कार्य संवेदकों के विरुद्ध कार्य विभागों के माध्यम से नहीं किया।

इस प्रकार अन्तर–विभागीय समन्वय के अभाव में कार्य विभागों के माध्यम से कार्य संवेदकों के विरूद्ध खनिजों की अवैध अधिप्राप्ति को रोकने हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अगस्त 2014) कि यदि कार्य संवेदकों द्वारा इस्तेमाल किए गए खनिजों हेतु रॉयल्टी का भुगतान कर दिया गया था, तब संबंधित जिला/सहायक खनन पदाधिकारी अर्थदंड की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। विभाग का उत्तर, उपरोक्त नियमावली के नियम 40(10) के प्रावधानों के अनुरुप नहीं है, जो प्रपत्र 'एम' में शपथपत्र तथा प्रपत्र 'एन' में खनिजों की विवरणी प्रस्तुत करने के मामले में लागू होता है। इस प्रकार तथ्य यह है कि व्यवहृत खनिजों के विरुद्ध कार्य विभागों द्वारा रॉयल्टी की कटौती और इसे कोषागार में प्रेषण यह दर्शाता है कि खनिज अनुज्ञप्तिधारी/अधिकृत व्यवसायी से खरीदा नहीं गया था और बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधानों के तहत् अर्थदण्ड लगाना चाहिए था।

6.5 माइनिंग प्लान के अनुमोदन के बिना खनिजों का उत्खनन

खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम 22 ए के अनुसार अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार ही खनन कार्य किया जाएगा और खनन पट्टा के संचालन की अवधि के दौरान अनुमोदित माइनिंग प्लान में परिवर्तन के लिए पूर्वानुमोदन की भी आवश्यकता होगी। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 का नियम 12 प्रावधित करता है कि पट्टेधारी माइनिंग प्लान की समीक्षा करेंगे और अगले पाँच वर्षों के लिए खनन योजना वर्तमान प्लान की समाप्ति से कम से कम 120 दिन पहले भारतीय खान ब्यूरो को समर्पित करेंगे तथा भारतीय खान ब्यूरो 90 दिनों के भीतर उसके अनुमोदन या अस्वीकृति की सूचना देगा। पुनः खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली के नियम 23 बी के अन्तर्गत खनन पट्टा का नवीकरण या नई स्वीकृति के मामलों में पट्टेधारी माइनिंग प्लान के अवयव के रूप में एक प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत करेगा। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 (5) विहित करती है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भूमि से किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खनिज निकालेगा, तब राज्य सरकार इस प्रकार निकाले गए खनिज को अथवा जहाँ ऐसे खनिज का पहले से ही खपत कर

[1] औरंगाबाद, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), जहानाबाद, लखीसराय, मुंगेर एवं शेखपुरा।

दिया गया हो, वहाँ रॉयल्टी के साथ उसकी कीमत को ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकती है।

खनन कार्यालय, मुंगेर में सिलिका पत्थर (क्वार्ट्जाइट) के खनन पट्टा संचिका की संवीक्षा में हमने फरवरी 2014 में पाया कि एक पट्टेधारी ने वर्ष 2004–05 से 2011–12 की अवधि के लिए माइनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत नहीं किया था और अपने खान से खनिजों का उत्पादन एवं प्रेषण लगातार जारी रखा था। अनुमोदित माइनिंग प्लान/योजना के अभाव में खनन पदाधिकारी खनिजों के उत्खनन का अनुश्रवण करने में अक्षम थे। पट्टा के लिए माइनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान का अनुमोदन सुनिश्चित किए बिना खनिजों के प्रेषण के लिए अभिवहन पास भी निर्गत किया गया तथा मासिक विवरणियों के आधार पर रॉयल्टी का संग्रहण किया गया। पट्टेधारी द्वारा माइनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किए जाने के बावजूद भी संबंधित खनन पदाधिकारी ने अभिवहन पास निर्गत किया जिससे पट्टेधारी अपने खनिजों के प्रेषण में सफल रहे। पट्टेधारी को अदेय लाभ दिए जाने के फलस्वरूप सरकार को अर्थदंड के रूप में ₹ 5.21 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

मामला सरकार/विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया गया था, हम उनके उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

6.6 बालू घाटों की बंदोबस्ती के विलेख का निबंधन नहीं कराये जाने से राजस्व की हानि तथा पट्टेधारी को अदेय लाभ

भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(डी) के अनुसार अचल संपत्ति की लीज दस्तावेजों का साल–दर–साल अथवा एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए निबंधन कराना है। पुनः अगर दस्तावेज निबंधित नहीं किया जाता है, तब भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 49(सी) के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

छः जिला खनन कार्यालयों[2] में बालू घाटों की बंदोबस्ती संचिकाओं से हमने जनवरी एवं फरवरी 2014 के बीच पाया कि वर्ष 2010 में 10 बालू घाटों की बंदोबस्ती ₹ 18.07 करोड़ में अगले दो लगातार वर्षों के लिए बंदोबस्ती राशि की 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ किए गए थे। बन्दोबस्तधारियों ने केवल बन्दोबस्ती राशि पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान किया था लेकिन वर्ष 2010–12 की बंदोबस्ती अवधि के लिए इसे निबंधित नहीं कराया था जिसके परिणामस्वरूप निबंधन फीस के रूप में ₹ 2.94 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

पुनः हमने पाया कि कलेण्डर वर्ष 2010–12 के लिए बालू घाटों की बन्दोबस्ती हेतु खनन एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2009 में बन्दोबस्ती के निबंधन की शर्तों को सम्मिलित नहीं किया गया था जबकि वर्ष 2007–09 के पूर्ववर्ती बंदोबस्ती के लिए अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर 2006 में निबंधन की शर्तों को शामिल किया गया था। इस प्रकार बंदोबस्ती अवधि 2010–12 के लिए बन्दोबस्ती अवधि के विखंडन के फलस्वरुप सरकार को निबंधन शुल्क के रूप में राजस्व की क्षति हुई।

इसे इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (अगस्त 2014) कि भारतीय निबंधन अधिनियम के अनुसार एक वर्ष के विलेख का निबंधन ऐच्छिक था। पुनः यह कहा कि बालू घाटें वार्षिक आधार पर बन्दोबस्त किए गए थे। सरकार का उत्तर इस

[2] औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण (बेतिया), जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), लखीसराय एवं मुंगेर।

तथ्य के अनुरुप नहीं है कि बालू घाटों की बन्दोबस्ती तीन वर्षों के लिए थी। इस प्रकार, बालू घाटों की बन्दोबस्ती के लिए विलेखों के निबंधन हेतु भारतीय निबंधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किए जाने के फलस्वरुप सरकार निबंधन फीस के रूप में ₹ 2.94 करोड़ के राजस्व से वंचित रह गया।

6.7 ईंट भट्ठा मालिकों से रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 (क) एवं मार्च 2001 एवं जनवरी 2012 में निर्गत अधिसूचना के अनुसार रॉयल्टी की समेकित राशि को निर्धारित करने हेतु ईंट भट्टे को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक ईंट भट्ठा मालिक परमिट प्राप्त करेगा और रॉयल्टी की समेकित राशि को दो बराबर किस्तों में (50 प्रतिशत ईंट भट्ठा शुरू करने से पूर्व और शेष 50 प्रतिशत मार्च माह के पूर्व तक) भुगतान करेगा। नियम 28 (2) के प्रावधानों के तहत् उत्खनन परमिट हेतु प्रत्येक आवेदन के साथ ₹ 2,000 देना होगा। यदि ईंट भट्ठा मालिक विहित प्रक्रिया के अनुसार रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान करने में विफल रहा है तब उसे व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा सक्षम पदाधिकारी वैसे व्यवसाय को बंद कराएंगे तथा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 37 के अन्तर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु नीलामवाद प्रक्रिया आरंभ करेंगे।

हमलागों ने जनवरी 2014 में दो जिला खनन कार्यालयों (कैमूर एवं समस्तीपुर) में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के ईंट भट्ठा संचिका और मांग एवं संग्रहण पंजी से पाया कि वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के ईंट मौसम में 584 ईंट भट्टे संचालित किये गये थे। जिसमें से 93 ईंट भट्टे रॉयल्टी की समेकित राशि तथा आवेदन शुल्क का भुगतान किए बगैर संचालित थे और 35 ईंट भट्टे रॉयल्टी का आंशिक भुगतान कर संचालित थे। इसके परिणामस्वरुप 128 ईंट भट्टेदारों से ₹ 82.17 लाख की रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम हुई।

सम्बन्धित खनन पदाधिकारियों ने बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार न तो व्यवसाय को बन्द करने की कोई कार्रवाई की न ही बकाया राशि की वसूली हेतु चूककर्त्ताओं के विरुद्ध नीलामपत्रवाद दायर किया।

मामले सरकार/विभाग को अप्रैल एवं जून 2014 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

6.8 साधारण मिट्टी के अवैध उपयोग हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

तटबंधों, पथों, रेलवे एवं भवनों के निर्माण में भरने अथवा समतलीकरण करने में उपयोग किए गए साधारण मिट्टी एक लघु खनिज है। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने गजट अधिसूचना (अप्रैल 2006) के माध्यम से साधारण मिट्टी के रॉयल्टी की दर ₹ 15 प्रति घन मीटर निर्धारित किया, जिसे पुनरीक्षित (जनवरी 2012) कर ₹ 22 प्रति घनमीटर किया गया। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 27 एवं 28 के अनुसार किसी भी उत्खनन के कार्यकलापों के लिए अपेक्षित फीस का भुगतान कर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली का नियम 40 (1) आपराधिक दण्ड प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जिसमें साधारण कैद की सजा, जिसे छः महीने तक अथवा जुर्माना, जिसे पाँच हजार रूपये तक विस्तारित किया जा सकता है, अथवा दोनों

विहित करता है। पुनः उपरोक्त नियमावली का नियम 40 (8) अवैध खनन हेतु अर्थदण्ड विहित करता हैं जिसमें खनिज का मूल्य, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसा भी मामला हो, की वसूली शामिल है।

दो जिला खनन कार्यालयों (जहानाबाद एवं लखीसराय) में पट्टा संचिका/बैंक ड्राफ्ट पंजी के अवलोकन से हमने जनवरी एवं फरवरी 2014 के बीच पाया कि अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013 की अवधि के दौरान दो कार्य संवेदकों द्वारा मिट्टी कार्य में खनिज के उपयोग हेतु रॉयल्टी के रूप में ₹ 61.38 लाख की कटौती/जमा की गई थी। पुनः हमने पाया कि कार्य संवेदकों, जिन्होंने लघु खनिज का निष्कासन किया था, ने उक्त कार्य हेतु आवश्यक उत्खनन परमिट के लिए आवेदन नहीं दिया था। अतः उन्होंने मिट्टी का निष्कासन अवैध रूप से किया था जिसके लिए वे कम से कम ₹ 61.38 लाख[3] की रॉयल्टी के समतुल्य न्यूनतम अर्थदंड का भुगतान करने हेतु दायी थे। यद्यपि संबंधित खनन पदाधिकारियों ने न तो ₹ 61.38 लाख का अर्थदंड आरोपित किया और न ही बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधान के तहत् कोई आपराधिक दण्ड प्रक्रिया की कार्रवाई आरम्भ की।

मामले सरकार/विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

6.9 अधिनियमों/नियमावली के लगातार उल्लंघन हेतु जुर्माना का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम 26 (क) एवं उसके अंतर्गत निर्गत अधिसूचना के अनुसार बिहार में ईंट भट्टे को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। ईंट भट्टेदारों को रॉयल्टी की समेकित राशि को दो बराबर किस्तों में अगले वर्ष मार्च से पूर्व भुगतान करना है। यदि ईंट भट्टा मालिक रॉयल्टी की समेकित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो सक्षम पदाधिकारी वैसे व्यवसाय को बंद कराएगें तथा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 37 के अन्तर्गत बकाया रॉयल्टी/बकाया राशि की वसूली हेतु नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे।

पुनः खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (2) प्रावधित करता है कि जो कोई भी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड के रूप में कैद की सजा, जिसे एक वर्ष तक अथवा जुर्माना, जिसे पाँच हजार रुपए तक विस्तारित किया जा सकता है, दी जा सकती है और प्रथम वैसे उल्लंघन हेतु दोषी सिद्ध होने के बाद लगातार उल्लंघन करने पर उल्लंघन

[3] संगणनाः

(राशि ₹ में)

जिला खनन कार्यालय	संवेदक का नाम	जमा की गई रॉयल्टी की राशि	अवधि	आरोप्य अर्थदण्ड
लखीसराय	मे॰ बी॰एस॰सी॰–सी॰एण्ड सी॰ 'जे॰वी॰'	30,93,274	अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013 के बीच	30,93,274
जहानाबाद	क्लासिक कोल कन्सट्रक्शन प्रा॰ लि॰	30,45,000	दिसम्बर 2012	30,45,000
कुल		**61,38,274**		**61,38,274**

अवधि के लिए अतिरिक्त जुर्माना आरोप्य होगा, जिसे 500 रुपया प्रतिदिन तक विस्तारित किया जा सकता है।

जिला खनन कार्यालय समस्तीपुर के ईंट भट्टा संचिकाओं और पंजी IX के संवीक्षा में हमने जनवरी 2014 में पाया कि वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान परमिट लिये और रॉयल्टी का भुगतान किये बगैर 15 ईंट भट्टा मालिकों ने लगातार ईंट भट्टा संचालित किया था। यद्यपि खनन पदाधिकारियों ने चूककर्त्ता ईंट भट्टा मालिकों के विरूद्ध वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान रॉयल्टी एवं ब्याज की वसूली के लिए राजस्व वसूली नीलामवाद दायर किया था परन्तु उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय को बंद कराने के साथ–साथ लगातार उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने में विफल रहे। अधिनियम के प्रावधान का लगातार उल्लघंन हेतु आरोप्य अधिकतम अर्थदण्ड की गणना ₹ 40.90 लाख की गई।

इसे इंगित किए जाने के बाद, विभाग ने अगस्त 2014 में कहा कि लगातार उल्लंघन हेतु अर्थदंड आरोपित किया जाना वैकल्पिक है, क्योंकि उपरोक्त अधिनियम में 'shall' के बजाय 'may' शब्द वर्णित हैं। विभाग ने पुनः कहा कि संबंधित खनन पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त नियमावली के नियम 26(क) के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अर्थदंड का आरोपण से संबंधित विभाग का उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है, कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 21(2) प्रावधित करता है कि किसी तरह का उल्लंघन दण्डनीय होगा एवं सिर्फ अर्थदण्ड की राशि भिन्न हो सकती है।

6.10 पत्थर खानों के बंदोबस्तधारियों से रॉयल्टी एवं ब्याज की कम वसूली

बिहार लघु खनिज नियमावली, 1972 का नियम 9 (क) प्रावधित करता है कि नियम 52 के तहत् विहित तरीके से कोई भी खनिज लोक नीलामी/निविदा के द्वारा पट्टे पर दी जा सकती है अथवा बन्दोबस्त की जा सकती है। उपरोक्त नियमावली के नियम 52 (1), 4 एवं 5 के अनुसार डाक राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर तथा प्रत्येक किस्त 31 जनवरी से पहले जमा करना होगा। यदि कोई भी किस्त निर्धारित अवधि के पहले जमा नहीं किया जाता है तो 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दो माह तक प्रभारित होगा तथा उसके बाद निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

खनन कार्यालय, शेखपुरा के पत्थर खान पट्टों की बंदोबस्ती संचिका की संवीक्षा से हमने फरवरी 2014 में पाया कि तीन पत्थर खानों को सितम्बर 2008 और अगस्त 2009 के बीच ₹ 184.50 लाख में नीलाम किया गया था। बंदोबस्तधारियों को वार्षिक आधार पर किस्त का भुगतान करना था, जो जनवरी 2014 तक ₹ 184.50 लाख संचित था, जिसके विरूद्ध उन्होंने कुल ₹ 154.50 लाख ही सितम्बर 2008 और फरवरी 2014 के बीच जमा किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई। इसमें अतिरिक्त रॉयल्टी की किस्तों का विलंब से भुगतान किए जाने हेतु ब्याज भी आरोप्य था, जिसकी गणना उपरोक्त प्रावधान के अनुसार ₹ 2.79 लाख की गई थी, रॉयल्टी की वार्षिक किस्त के कम भुगतान के बावजूद खनन पदाधिकारियों द्वारा बंदोबस्तधारियों के विरूद्ध पट्टे के निरस्तीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया गया था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर खनन पदाधिकारी, शेखपुरा ने फरवरी 2014 में कहा कि वसूली हेतु मांग पत्र एवं स्मार निर्गत किए जाएंगे। हम इस संबंध में आगे की कार्रवाई हेतु प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2014)।

मामले सरकार/विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर अबतक अप्राप्त हैं (अगस्त 2014)।

6.11 आंतरिक लेखापरीक्षा

यहाँ एक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध है जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, जो वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है और विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। वित्त विभाग के द्वारा दी गई सूचना (जुलाई 2014) के अनुसार वर्ष 2013–14 के दौरान खनन एवं भूतत्व विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया गया था।

पटना — (पी0 के0 सिंह)

दिनांकः — महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली — (शशि कान्त शर्मा)

दिनांकः — भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–I
संदर्भ : कंडिका– 1.8
लेखापरीक्षा योजना

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयों की कुल संख्या	योजना किये गये ईकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा किये गये ईकाइयों की संख्या
वाणिज्य–कर	55	40	40
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (उत्पाद)	50	39	39
राजस्व एवं भूमि सुधार	612	108	101
परिवहन	49	35	35
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध (निबंधन)	140	38	38
खान एवं भूतत्व	58	35	33
कुल	**964**	**295**	**286**

परिशिष्ट–II
संदर्भ : कंडिका–2.3.11 (प्रथम बुलेट)
प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधन नहीं होने हेतु प्रवेश कर और अर्थदण्ड नहीं लगाया जाना

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम	टीन	वर्ष	सामग्री	सामग्री का मूल्य	प्रवेश कर का दर (प्रतिशत में)	प्रवेश कर	अर्थदण्ड	कुल
1	बाढ़	मेसर्स राज ब्रीक्स	10021847032	2012–13	कोयला	1516581	4	60663	60663	121326
2	भागलपुर	मेसर्स बाबा प्रोजेक्ट	10524177088	2010–11	बिटुमेन	30834438	4	1233377	1233377	2466754
				2011–12	बिटुमेन	26686799	4	1067471	1067471	2134942
		मेसर्स अजय कुमार यादव	10524445027	2010–11	बिटुमेन	4035452	4	161418	161418	322836
3	गया	मेसर्स फ्रेंड एण्ड कं.	10204015008	2011–12	लुब्रिकेन्ट	4984987	8	398799	398799	797598
		मेसर्स विनय इण्डेण सर्विस	10200178076	2010–11	एल.पी.जी.	15259796	1	152598	152598	305196
					कॉमर्शियल एल.पी.जी.	769236	8	61539	61539	123078
				2011–12	एल.पी.जी.	9795569	1	97956	97956	195912
					कॉमर्शियल एल.पी.जी.	871084	8	69687	69687	139374
		मेसर्स अन्नपूर्णा दाल मिल	10204058076	2011–12	डी.जी. सेट	595000	8	47600	47600	95200
		मेसर्स होटल लोट्स निको	10201645007	2012–13	स्टोन चिप्स	404250	4	16170	16170	32340
		मेसर्स ब्राईट एजेंसी	10200377023	2010–11	मोबाईल	1148095	4	45924	139500	185424
4	हाजीपुर	मेसर्स शोभा इलेक्ट्रीक्ल	10294736027	2012–13	इलेक्ट्रीकल गुड्स	5169704	8	413576	413576	827152
5	जमुई	मेसर्स लव कुश गैस एजेंसी	10540140087	2008–09	एल.पी.जी. डोमेस्टिक	4954458	4	198178	198178	396356
				2009–10	एल.पी.जी. डोमेस्टिक	2525852	4	101034	101034	202068

6	कटिहार	मेसर्स संदीप इंटरप्राईजेज	10451214076	2012–13	आयरन एण्ड स्टील	3114717	5	155736	155736	311472
7	मुंगेर	मेसर्स शिवानंद संस्थान	10561880018	2011–12	एच.डी.पी.ई. पाईप	4269690	4	170788	170788	341576
		मेसर्स मुंगा सॉ मिल्स	10560557035	2011–12	टिम्बर	3005238	8	240419	240419	480838
8	मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल	मेसर्स युनिवर्सल इंजिनियरिंग वर्क्स	10300014065	2010–11	डी. जी. सेट	356000	8	28480	141400	169880
9	पाटलीपुत्रा	मेसर्स वैशाल पाटलिपुत्रा दुग्ध उत्तपादक सहकारी संघ लिमिटेड	10050008011	2010–11	प्लास्टिक क्रेट्स एण्ड पॉलीफिल्म्स	24634220	4, 5 और 16	1067078	1067078	2134156
				2011–12	पेपर और प्लास्टिक का पैकिगं सामाग्री, इलेक्ट्रीकल गुड्स एण्ड एल.डी.ओ. इत्यादि	45161020	4, 5, 8 और 16	2317862	2317862	4635724
		मेसर्स बिहार स्टेट कॉ–ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	10050015092	2011–12	इलेक्ट्रीकल गुड्स, पॉउच और क्रेट इत्यादि	11999056	4, 5 और 8	921300	921300	1842600
10	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स सनराईज इंडस्ट्रीज	10060910035	2011–12	प्लास्टिक गुड्स	2744980	4	109799	109799	219598
		मेसर्स सोना गोल्ड एग्रोकेम (प्रा0)लिमिटेड	10060468006	2011–12	डी.जी. सेट	2746947	8	219756	219756	439512
					पी.पी. बैग	2011793	4	80472	80472	160944
					कोल	3227909	4	129116	129116	258232
				2010–11	पी.पी. बैग	1093758	4	43750	43750	87500
					कोल	2623295	4	104932	104932	209864
11	पटना पश्चिमी	मेसर्स बिरला पॉवर सोल्युसन्स लिमिटेड	10140680022	2011–12	जेनरेटर सेट	7909955	8	632796	632796	1265592
		मेसर्स अमित इलेक्ट्रीकल्स	10140843079	2009–10	इलेक्ट्रीकल गुड्स	1856833	8	148547	148547	297094
				2010–11		2940052	8	235204	235204	470408
				2011–12		9258663	8	740693	740693	1481386

12	पूर्णियाँ	मेसर्स एस. एस. इंटरप्राइजेज	10493560008	2010–11	टू व्हीलर	21682279	8	1734582	1734582	3469164
				2011–12	टू व्हीलर	25581508	8	2046521	2046521	4093042
		मेसर्स जनज्योति इलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज	10490096041	2011–12	इलेक्ट्रीकल गुड्स	1076496	8	86120	86120	172240
				2012–13	इलेक्ट्रीकल गुड्स	1098305	8	87864	87864	175728
13	समस्तीपुर	मेसर्स डिप्युटी चीफ मेटेरियल मैनेजर (डीपो)	10421026027	2011–12	आयरन पेपर, पेट्रोलियम प्रोडक्टस आदि	54433760	4 और 8	3232076	3232076	6464152
14	सासाराम	मेसर्स विंध्यवासिनी राईस मिल्स क्लसटर प्रा. लिमिटेड	10247260009	2010–11	आयरन एण्ड स्टील, इलेक्ट्रीकल गुड्स आदि	28473250	8 और 4	2109675	2109675	4219350
15	पटना दक्षिणी	मेसर्स तक्षसीला प्रोजेक्ट	10125891014	2010–11	बिटुमेन	5741604	4	229664	229664	459328
		मेसर्स देव कॉन्ट्रेक्टर्स	10126762029	2010–11	बिटुमेन	2207586	4	88303	88303	176606
कुल						**378800215**		**21087523**	**21294019**	**42381542**

परिशिष्ट–III
(संदर्भ : कंडिका– 2.3.14 (प्रथम बुलेट)
आयात मूल्य का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/ टीन	वर्ष	वास्तविक क्रय लेखांकित क्रय	छिपाव	सामग्री/दर (प्रतिशत में)	प्रवेश कर	अर्थदण्ड	कुल	जहाँ पायी गई अन्तर
1	बाढ़	मेसर्स युनाईटेड स्पिरीट्स लि./ 10020044226	2012–13	213753728 शून्य	213753728	पेपर और प्लास्टिक का पैकिंग मेटेरियल/ 4 एवं 5	8839280	26517840	35357120	ई.टी.–V और डी–IX विवरणी/ सुविधा विवरण
2	बेगुसराय	मेसर्स बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन/ 103621762224	2011–12	3828388176 875115749	2953272427	बिजली उत्पादन में उपयोग की जाने वाली समाग्री/ 8	236261794	708785382	945047176	आर.टी.–III और प्रवेश कर का मासिक/त्रैमासिक रिटर्न
			2012–13	6480107230 3427271599	3052835631		244226850	732680550	976907400	आर.टी.–III और प्रवेश कर का मासिक रिटर्न
3	भागलपुर	मेसर्स एन.टी.पी.सी./ 10521193271	2011–12	456646404 1054200	455592204	फरनेस आयल और ए.सी./8 और 5	36350037	109050111	145400148	संशोधित क्रय विवरणी और ई.टी.–III, ई.टी.–IV
		मेसर्स कटोरिया इण्डेन/ 10522862059	2009–10	3714005 2536201	1177804	एल.पी.जी./4	47112	141336	188448	संविक्षा आदेश और सी फोल्डर
			2010–11	1929589 838999	1090599		43623	130869	174492	
4	गया	मेसर्स परीना मोटर्स/ 10203892206	2011–12	394337074 390462919	3874155	मोटर वाहन/8	309932	929797	1239729	वाहन का क्रय खाता और ई.टी.–IV
5	हाजीपुर	मेसर्स सी.आई.पी.ई.टी./ 10290768219	2010–11	1160214 शून्य	1160214	कम्प्युटर और इलेक्ट्रीकल गुड्स/4 और 8	54339	163017	217356	ई.टी.–V और डी.–IX का विवरणी
			2011–12	6573566 शून्य	6573566		289475	868425	1157900	

6	पाटलीपुत्रा	मेसर्स बी.एस.एस. प्रोजेक्टस / 10050705228	2010–11	4522596 शून्य	4522596	आयरन और स्टील / 4	180903	542709	723612	डी.– IX का विवरणी और ई.टी.–IV
			2011–12	1294870 शून्य	1294870		51794	155382	207176	
		मेसर्स ईस्ट नार्थ इंटरकनेक्शन कम्पनी लिमिटेड / 10050884066	2010–11	98390506 10358144	88032362	इलेक्ट्रीकल गुड्स / 8	7042589	21127767	28170356	डी.– IX का विवरणी और ई.टी.–IV, ई.टी.–III
7	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स स्मृति पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड / 10061236202	2011–12	40347424 19200925	21146499	पेपर / 4	845860	2537580	3383440	आर.टी.–III और ई.टी.–V
		मेसर्स कोलोना ब्लेडर्स एण्ड बॉटलर्स (आई.) प्रा. लिमिटेड / 10060377214	2010–11	8492612 5263639	3228973	पेपर और प्लास्टिक / 4	129160	387480	516640	प्रपत्र 'सी' की अधियाचना / उपभोग विवरणी और ई.टी.– IV
			2011–12	5445950 2925480	2520470		100819	302457	403276	
8	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड / 10080788245	2009–10	506757679 497432732	9324947	कम्प्युटर और पेरिफेरल / 4	372998	1118993	1491991	डी.– IX का विवरणी और ई.टी.–V
			2010–11	521449869 488299796	33150073		1326003	3978009	5304012	
			2011–12	980432256 925262985	55169271		2206771	6620312	8827083	
9	पटना दक्षिणी	मेसर्स इंडियन प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्सन / 10124050245	2010–11	10168176 शून्य	10168176	एच.एस.डी. / 16	1626908	4880724	6507632	क्रय बीजक / खाता और ई.टी.–V
			2011–12	31429082 शून्य	31429082		5028653	15085959	20114612	
		मेसर्स दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कं. / 10126036264	2010–11	27922277 1765792	26156485	बिटुमेन / 4	1046259	3138778	4185037	संवीक्षा / निर्धारण आदेश तथा आई. ओ.सी.एल. की बिक्री आंकड़े
			2011–12	44391525 शून्य	44391525		शुन्य	5326983	5326983	
10	पटना विशेष	मेसर्स एच.पी.सी.एल. / 10010120253	2010–11	2745877307 2734823967	11053340	इलेक्ट्रीक जेनरेटिग सेट / 8	884267	2652801	3537068	प्रपत्र 'सी' का उपभोग विवरणी और ई.टी.– V
		मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड / 1001531242	2009–10	1111522442 1103201834	8320607	सीमेन्ट / 12	998472	2995419	3993891	ई.टी.– V और टार

11	पटना पश्चिमी	मेसर्स बिहार स्टेट हाईड्रो इलेक्ट्रीक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड / 10140501057	2011–12	55082508 52877388	2205120	बिजली उत्पादन में उपयोग की गई सामग्री / 8	176409	523829	700238	आर.टी.–V और बाहर से क्रय की विवरणी
		मेसर्स रेमकी इंफ्रास्ट्रक्चर / 10144813213	2010–11	211788822 144010741	67778081	मोटर वाहन और डी. जी. सेट / 8	5422246	16266739	21688985	प्रपत्र 'सी' / डी–IX का विवरणी और ई.टी.–IV
		मेसर्स एसेंड टेलेकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड / 10144993042	2011–12	96677683 70481562	26196121	इलेक्ट्रीकल, टेलकॉम गुड्स और ए.सी. / 8, 4 और 5	2217598	6652795	8870393	प्रपत्र 'सी' का विवरणी और ई.टी.–IV
12	सासाराम	मेसर्स बी.एस.एच.सी. एल. / 10244900217	2010–11	22784949 18806949	3978000	बिजली उत्पादन में उपयोग की गई सामग्री / 8	318240	954720	1272960	प्रपत्र 'सी' का उपयोगिता विवरणी और ई.टी.–V
13	समस्तीपुर	मेसर्स क्रीतिका राईस मिल्स प्रा. लिमिटेड / 10423632269	2012–13	4160723 2542243	1618480	एच.डी.पी.ई. / 4	64739	194217	258956	आर.टी.–III, टार और ई.टी.– V
14	शाहाबाद(आरा)	मेसर्स शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड / 10160133081	2011–12	9142478 1249625	7892853	पेपर और प्लास्टिक गुड्स का पैकिंग मेटेरियील / इलेक्ट्रीकल गुड्स / 4 और 8	443776	1331328	1775105	प्रपत्र 'सी' का विवरणी और ई.टी.–V
कुल				**17924691720 / 10775783469**	**7148908259**		**556906906**	**1676042309**	**2232949215**	

परिशिष्ट–IV
(संदर्भ : कंडिका– 2.3.14 (द्वितीय बुलेट)
आयात मूल्य का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम	टीन	वर्ष	सामग्री	देय प्रवेश कर	व्यापारी द्वारा स्वीकार्य/भुगतान किये गये प्रवेश कर	कम भुगतान	जहाँ पायी गई अन्तर
1	बाढ़	मेसर्स आर.पी.एस. ब्रीक्स	10021836034	2012–13	कोयला	94503	0	94503	भुगतान विवरणी और आर.टी–III
		मेसर्स युनाईटेड स्प्रीट्स लिमिटेड	10020044062	2010–11	आई.एम.एफ.एल.	2375428	1350112	1025316	रोड परमिट विवरणी और ई.टी.–V
				2011–12		7943763	2407001	5536762	
2	बेगुसराय	मेसर्स बरौनी थर्मल पॉवर स्टेशन	10362176224	2010–11	कोयला पर भाड़ा प्रभार	2820374	0	2820374	निर्धारण आदेश और ई.टी. रिटर्न
		मेसर्स गंगा डेयरी लिमिटेड	10360314018	2009–10	जेनरेटर	423748	0	423748	निर्धारण आदेश और राज्य के बाहर से खरीद का ब्यौरा
3	भागलपुर	मेसर्स अनुराधा इण्डेन एजेंसी	10521475056	2009–10	एल.पी.जी.	149466	0	149466	भुगतान विवरणी और आर.टी–III
				2010–11		269451	0	269451	
		मेसर्स शीला इण्डेन एजेंसी	10521415013	2009–10	एल.पी.जी.	371027	0	371027	टार और भुगतान विवरणी
				2010–11		429646	34703	394943	प्रपत्र 'सी' की खपत और भुगतान विवरणी
		मेसर्स मधु गैस इंटरप्राईजेज	10520703033	2009–10	एल.पी.जी.	253848	0	253848	प्रपत्र 'सी' की खपत और भुगतान विवरणी
		मेसर्स बौनसी इण्डेन	10521747044	2009–10	एल.पी.जी.	230514	0	230514	भुगतान विवरणी और आर.टी–III
				2010–11		264345	22940	241405	प्रपत्र 'सी' की खपत और भुगतान विवरणी

		मेसर्स शंकर गैस एजेंसी	10520620098	2009–10	एल.पी.जी.	403158	0	403158	भुगतान विवरणी और आर.टी–III
				2010–11		203772	0	203772	
		मेसर्स बी. पी. ट्रेडिंग	10520775007	2009–10	एल.पी.जी.	347609	0	347609	भुगतान विवरणी और आर.टी–III
4	दरभंगा	मेसर्स गुप्ता मार्बल एण्ड सेनेटरी	10380806044	2011–12	मार्बल्स और टाईल्स	612852	350000	262852	रोड परमिट विवरणी और निर्धारण आदेश
5	गया	मेसर्स ए.पी.आर. ऑटोमोबाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	10206644024	2011–12	जेनरेटर, स्टोन चीप्स, टाईल्स एवं स्टील	225346	0	225346	क्रय विवरणी और आर.टी–III, ई.टी–V
6	हाजीपुर	मेसर्स नटराज इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	10290413005	2012–13	कोल और स्टोन चीप्स	1623968	0	1623968	व्यापार, लाभ–हानि खाता और आर.टी–III
7	जमुई	मेसर्स एस.ए.पी.एल. एच.सी.पी.एल.जे.भी.	10541461214	2009–10	एम.एस. जोस्ट	27122	0	27122	प्रपत्र 'सी' की खपत और भुगतान विवरणी
8	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स साई ट्रेडिंग	10304753097	2011–12	डी.जी. सेट, बैटरी इत्यादि	440625	0	440625	रोड परमिट विवरणी और निर्धारण आदेश
9	पाटलीपुत्रा	मेसर्स टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेड	10050748029	2009–10	ईलेक्ट्रीकल गुड्स	4715488	0	4715488	निर्धारण आदेश और वार्षिक रिटर्न
				2010–11		10556000	0	10556000	
				2011–12		14207317	0	14207317	
		मेसर्स ए.बी.बी. लिमिटेड	10050258043	2010–11	ईलेक्ट्रीकल गुड्स	1850741	0	1850741	निर्धारण आदेश और वार्षिक रिटर्न
				2011–12		1120640	0	1120640	
10	पटना मध्य	मेसर्स सरोज ट्रेडर्स	10154891087	2011–12	टोबैको प्रोड्क्ट	415268	0	415268	आर.टी–III और ई.टी.–V
		मेसर्स मगध माइक्रो टावर एण्ड ट्रांसमिसन	10152754097	2008–09	ईलेक्ट्रीकल गुड्स	1051826	0	1051826	प्रपत्र 'सी' की खपत और आर.टी–III
				2009–10		1856662	0	1856662	
				2010–11		2616533	0	2616533	
				2011–12		526264	0	526264	

11	पटना सिटी पूर्वी अंचल	मेसर्स दादीजी स्टील्स लिमिटेड	10060280020	2011–12	स्टील	180040	0	180040	बैलेंस सीट और ई.टी.–V
12	पटना उत्तरी	मेसर्स केन्डेला इंटरप्राईजेज	10100685079	2011–12	ईलेक्ट्रीकल गुड्स	598031	0	598031	आर.टी–III और टी.ए.आर
13	पटना विशेष	मेसर्स भारत पेट्रोलियम लिमिटेड	10010121223	2011–12	पेट्रोलियम प्रोड्क्ट	464899855	0	464899855	आर.टी–III और ई.टी.–V
		मेसर्स स्टरलिंग एण्ड विलसन लिमिटेड	10010923006	2011–12	ईलेक्ट्रीकल गुड्स	4841155	1826775	3014380	प्रपत्र 'सी' का अधियाचना विवरणी और ई.टी.– V
		मेसर्स दीपक भेजप्रो	10010526295	2009–10	वनस्पति और अन्य हाईड्रोजेनरेटेड ऑयल	259352	0	259352	निर्धारण आदेश और डी–IX की विवरणी
कुल						**529205737**	**5991531**	**523214206**	

परिशिष्ट–V
(संदर्भ : कंडिका– 2.3.15)
प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	सामग्री	आरोप्य दर/ आरोपित दर (प्रतिशत में)	आयात मूल्य	कर की राशि में अन्तर	अर्थदण्ड	कुल
1	औरंगाबाद	मेसर्स क्लासिक के.एस.एम. बषीर जे.भी/10172465296	2012–13	अन्य भवन सामग्री	8/4	2893469	115738	347214	462952
2	बाढ़	मेसर्स एस.टी.पी.पी., बाढ़ (एन.टी.पी.सी./ 10020385278	2012–13 (त्रैमासिक–IV)	विद्युत सामग्री (विद्युत के उत्पादन वितरण में उपयोग किया गया)	8/5	74380140	2231404	6694212	8925616
					5/4	31730625	317306	951918	1269224
			2011–12 (प्रथम से तृतीय त्रैमासिक)		8/4	60559071	2422362	7267086	9689448
			(चतुर्थ त्रैमासिक)		8/4	892978150	35719126	107157378	142876504
		मेसर्स टी.आर.एफ. लिमिटेड/10021210242	2012–13	लौह एवं इस्पात	5/4	32836790	328368	985104	1313472
		मेसर्स पावर मशीन इंडिया लिमिटेड/10020884246	2012–13	अनुसूचित वस्तुएं*	5/4	3693168	36932	110796	147728
3	दरभंगा	मेसर्स अग्रवाल ग्लास हाउस/10380233259	2009–10	प्लाई वुड	8/5	2755956	82679	248036	330715

4	हाजीपुर	मेसर्स लुम्बिनी बेभरेज प्रा. लिमिटेड / 110290083205	2012–13	सी.बी.बॉक्स	5 / 4	6806147	68061	204183	272244
		मेसर्स एच.आई. डेयरी एण्ड एग्रो प्रोडक्टस लिमिटेड / 10293761272	2012–13	पेपर और प्लास्टिक का पैकिंग सामग्री	5 / 4	4365434	43654	130962	174616
		मेसर्स ब्लूम्स लिकर्स प्रा. लिमिटेड / 10293795257	2012–13	कैप्स, लेबल और कार्टून	5 / 4	3658079	36580	109740	146320
		मेसर्स श्री साई बाबा प्लास्टो प्रोडक्ट प्रा. लिमिटेड / 10293764245	2012–13	प्लास्टिक ग्रैनुअल्स	5 / 4	31370624	313706	941118	1254824
		मेसर्स ग्लोबल इंडिया मार्केटिंग कॉ. / 10291855104	2010–11	विद्युत सामग्री	8 / 4	43041257	1721649	5164947	6886596
5	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स कॉंटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड / 10306100233	2011–12 (प्रथम से तृतीय तीमाही तक)	विद्युत सामग्री (विद्युत के उत्पादन वितरण में उपयोग किया गया)	8 / 4	706969346	28278774	84836322	113115096
			2011–12 (चतुर्थ तीमाही)		8 / 4	1554085525	62163421	186490263	248653684
6	पाटलीपुत्रा	मेसर्स ए.टी.सी.आई.टी.सी. प्रा. लिमिटेड / 10050467209	2011–12	विद्युत सामग्री	8 / 5	2062060	61862	185586	247448
		मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड / 10050112286	2011–12	डी.जी. सेट, बैटरी इत्यादि	8 / 4	18087223	723489	2170467	2893956
		मेसर्स बी.एस.एन.एल. (इलेक्ट्रीक्ल डिविजन) / 10050459255	2010–11	विद्युत सामग्री	8 और 5 / 4	58479296	2251457	6754371	9005828
		मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड / 10050190274	2011–12	बैटरी और विद्युत सामग्री	8 / 4	54041655	2161666	6484999	8646665

		मेसर्स रिलायंस टेलकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड / 10050415217	2011–12	बैटरी और विद्युत सामग्री	8 / 4	99727886	3989115	11967345	15956460
		मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड / 10050212293	2011–12	बैटरी, डी.जी. सेट और विद्युत सामग्री	8 / 4	492560996	19702440	59107317	78809756
		मेसर्स आईडिया सेल्युलर लिमिटेड / 10050657272	2011–12	विद्युत सामग्री और कनेक्टर	8 और 4 / 4 और 0	21359211	854368	2563104	3417472
7	पटना विशेष	मेसर्स श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड / 10010859297	2011–12	विद्युत सामग्री	8 / 4	773097	30924	92772	123696
8	पटना पश्चिमी	मेसर्स इरिक्सन इंडिया प्रा. लिमिटेड / 10140872276	2009–10	बैटरी और विद्युत सामग्री	8 / 4	44363091	1774524	5323571	7098095
		मेसर्स बिहार स्टेट हाईड्रो इलेक्ट्रीक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड / 10140501057	2011–12	विद्युत सामग्री	8 / 4 और 0	15537008	893920	2681762	3575682
9	सहरसा	मेसर्स ए.एन. इन्टरप्राईजेज / 10512295073	2010–11	तम्बाकू उत्पाद	16 / 12.5	9078072	317732	953197	1270930
कुल						**4268193376**	**166641257**	**499923770**	**666565027**

***27.11.2012 के प्रभाव से प्रवेश कर का दर चार से पाँच प्रतिशत बढ़ाया गया।**

परिशिष्ट–VI
(संदर्भ : कंडिका– 2.3.16
नहीं/कम प्रवेश कर का भुगतान

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	देय प्रवेश कर	भुगतान किया गया प्रवेश कर	नहीं/कम भुगतान
1	बेगुसराय	मेसर्स आई ओ सी लिमिटेड/ 10360215078	2012–13	5925490383	4745702781	1179787601
2	भागलपुर	मेसर्स के. सी. इण्डेन/ 10524287291	2010–11	574459	44331	530128
3	हाजीपुर	मेसर्स सावित्री देवी ऑटोमोबाईल्स प्रा. लिमिटेड/10294918038	2012–13	11097450	10525756	571694
		मेसर्स गंगा ट्रेक्टर्स एण्ड इम्पलिमेन्ट्स/10292284038	2012–13	2053666	1361237	692429
		मेसर्स वन टच मेडिकल प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड/10293648052	2012–13	348307	183382	164925
		मेसर्स चीफ सीग्नल एण्ड टेलकॉम इंजि. (वर्क्स)/10293918217	2012–13	1999732	1576823	422909
		मेसर्स अम्बिका मोटर्स/10294430065	2011–12	1080648	200000	880648
4	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स मेहरोत्रा इंजिनियरिंग वर्क्स/10310592206	2011–12	5498737	3628398	1870339
5	पाटलीपुत्रा	मेसर्स अशोक लिलेण्ड/10050153220	2011–12	59242156	54417315	4824841
		मेसर्स टाटा मोटर्स/10050129261	2011–12	713874822	685346180	28528642
		मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड/ 10050418224	2011–12	71985992	29071976	42914016
		मेसर्स गिन्नी मोटर्स प्रा. लिमिटेड/ 10050098221	2011–12	61167151	56898893	4268258

		मेसर्स राषि पेरिफेरल्स (प्रा.) लिमिटेड / 10050316277	2011–12	4883560	4370975	512585
		मेसर्स गैमन इंडिया लिमिटेड / 10050198228	2010–11	22243039	शून्य	22243039
6	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स बुद्धा मोटर्स प्रा. लिमिटेड / 10061222231	2011–12	60162579	57662579	2500000
7	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स पूजा इस्पात ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड / 10082475206	2011–12	5892295	2812689	3079606
8	पटना विशेष	मेसर्स कन्साई नेरोलेक पेन्ट्स लिमिटेड / 10010210269	2011–12	35617080	32364083	3252997
		मेसर्स टोटल ऑयल इंडिया लिमिटेड / 10010778250	2009–10	8055414	शून्य	8055414
			2010–11	38552711	शून्य	38552711
			2011–12	39724577	28162157	11562420
9	समस्तीपुर	मेसर्स भागवती सिलेण्डर्स प्रा. लिमिटेड / 10423610273	2011–12	575655	320000	255655
			2012–13	517261	शून्य	517261
कुल				**7070637674**	**5714649555**	**1355988118**

परिशिष्ट–VII
(संदर्भ : कंडिका– 2.3.17 (प्रथम बुलेट)
मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरूद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	समायोजन योग्य राशि	समायोजन लिया गया	अधिक समायोजन	ब्याज	कुल	अभियुक्ति	दस्तावेज देखा गया
1	भागलपुर	मेसर्स सागर एजेंसी/ 10520844071	2011–12	3976069	4605147	629077	207595	836672	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III, ई.टी.–V एवं टार
		मेसर्स लक्ष्मी स्टोर/ 10521530055	2011–12	3983304	4338565	355260	117236	472496	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III, ई.टी.–V एवं टार
		मेसर्स सी. एण्ड एस. इलेक्ट्रीक्स लिमिटेड/10525417009	2010–11	1065175	2121256	1056080	364347	1420427	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III और
			2011–12	2020866	3307722	1286856	424662	1711518		आर.टी.–I और ई.टी.–IV
		मेसर्स विभूति ऑटोमोबाईल प्रा. लिमिटेड/ 10523936043	2011–12	7084864	7478444	393580	129881	523461	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–III, ई.टी. –V और ट्रेडिंग एकाउन्ट
		मेसर्स अग्रवाल ट्युबवेल क॰/10521359044	2011–12	1385940	1717037	331097	109262	440360	भुगतान किये गये प्रवेश कर से ज्यादा समायोजन किया गया	आर.टी.–III और ई.टी.–V
		मेसर्स ऑटो ट्रेक्टर एण्ड मशीनरी/ 10520056043	2011–12	279260	435174	155914	51452	207366	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–III, ई.टी.–V और टार
		मेसर्स जोधनी फूड्स प्रा. लिमिटेड/10521252247	2011–12	शून्य	250805	250805	86528	337332	वस्तुयें पुनः नहीं बेची गई और न विनिर्माण में खपत किया गया	आर.टी.–III, ई.टी.–V, टार और आवश्यकता/उपयोग में लाये गये फॉर्म–सी
2	दानापुर	मेसर्स बिजली मिनी स्टील्स एण्ड रि–रोलिंग प्रा. लिमिटेड/ 10042455089	2011–12	शून्य	13697688	13697688	2671049	16368737	बिक्रेता न तो छोटा, मध्यम या रूग्न उद्योग था	आर.टी.–III, ई.टी.–V और बैलेंस सीट
3	हाजीपुर	मेसर्स लुम्बिनी वेभरेज प्रा. लिमिटेड/10290083011	2010–11	शून्य	1643915	1643915	591809	2235724	बिक्रेता न तो छोटा, मध्यम या रूग्न उद्योग था	आर.टी.–III और बैलेंस सीट
			2011–12	शून्य	1889998	1889998	340199	2230197		

		मेसर्स सोना बिस्कुट्स लिमिटेड / 10294595035	2012–13	2554612	4769330	2214718	465090	2679808	वस्तुयें पुनः नहीं बेची गई और न विनिर्माण में खपत किया गया	आर.टी.–I, ई.टी.–IV और आयात किये गये वस्तुओं का विस्तार
4	कटिहार	मेसर्स सुधा गैस सर्विस/ 10450670003	2009–10	60586	242342	181756	100874	282630	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III, ई.टी.–V और टार
			2010–11	66671	266686	200015	75005	275020		
5	पाटलीपुत्र	मेसर्स नोकिया इंडिया प्रा. लिमिटेड / 10050394071	2010–11	120591413	127125748	6534335	3332511	9866846	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–III, ई.टी.–V, आकलन आदेश और भुगतान विस्तार
		मेसर्स एल.जी. इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड / 10050078045	2011–12	13314852	27487667	14172815	4889621	19062436	प्रवेश कर दायित्व से ज्यादा समायोजन का दावा किया गया	आर.टी.–III और ई.टी.–V
		मेसर्स पाटलिपुत्रा ऑटोमोबाइल / 10050219083	2011–12	57865845	62302885	4437040	671195	5108235	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–III और ई.टी.–V
		मेसर्स फिलिप्स इलेक्ट्रोक्सि इंडिया लिमिटेड / 10050266031	2011–12	27032481	30679591	3647110	1203546	4850657	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु खराब थी /अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–III, ई.टी.–V, टार और क्रेडिट नोट का संक्षिप्त
		मेसर्स इंडो अमेरिकन इलेक्ट्रीकल्स / 10050923006	2011–12	29930315	30855995	925680	305474	1231154	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III और ई.टी.–V
		मेसर्स आई.आर.सी.टी.सी. / 10050163017	2011–12	शून्य	4261408	4261408	1470186	5731594	वस्तुयें पुनः नहीं बेची गई और न विनिर्माण में खपत किया गया	आर.टी.–III, ई.टी.–V, और खरीद विस्तार
		मेसर्स पाण्डेय मोटर्स (प्रा.) लिमिटेड / 10050340042	2011–12	39005301	42600113	3594812	1159327	4754139	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–III, ई.टी.–V, और ट्रेडिंग एकान्ट
		मेसर्स कारलो ऑटोमोबाइल प्रा. लिमिटेड / 10050077075	2011–12	57580955	58370385	789431	260512	1049943	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–III, ई.टी.–V, वैलेंस सीट और आकलन आदेश

		मेसर्स देवान्स मॉडर्न वेभरेज लिमिटेड / 10050073078	2011–12	28208320	28868363	660043	207914	867957	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु खराब थी /अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–IV, ई.टी.–V और टार
		मेसर्स सुन्दरम ऑटो कम्पोनेन्ट लिमिटेड / 10050153026	2011–12	45397963	45865558	467595	157813	625408	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–III और ई.टी.–V
		मेसर्स लावा इंटरनेशनल / 10050784093	2011–12	7669767	8089546	419779	144824	564603	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु अन्त शेष में पड़ी थी	आर.टी.–IV, ई.टी. –V और टार.–IV
		मेसर्स मिलेनियम वीयर / 10050094050	2011–12	53554638	53904214	349576	112738	462314	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी थी किन्तु बर्बाद हो गई	आर.टी.–IV, ई.टी. –V और टार.–IV
		मेसर्स भारत विजनेस चैनल / 10050731085	2010–11	6851692	8507566	1655874	546438	2202312	आयात की गई वस्तु पुनः बेची नहीं गयी	आर.टी.–III, ई.टी. –IV और टार.–IV
6	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स पार्ले बिस्कुट्स प्रा. लिमिटेड / 10060425035	2011–12	3678473	6884242	3205769	1009817	4215586	वस्तुयें पुनः नहीं बेची गई या न और न विर्निमाण में खपत किया गया	आर.टी.–III, ई.टी. –IV और वैलेंस सीट
7	पटना दक्षिणी	मेसर्स इस्टमैन ऑटो एण्ड पावर लिमिटेड / 10125913207	2011–12	4082785	4829407	746622	257584	1004206	अन्तर्राज्जीय स्टॉक अन्तरण पर समायोजन का दावा	आर.टी.–III, ई.टी. –V,टार– IV और जाँच ओदष
		मेसर्स हेलोनिक्स लिमिटेड / 10125990290	2011–12	3836497	7547269	3710772	1335878	5046650	आयात की गई वस्तु पुनः बेची नहीं गयी	आर.टी.–III, ई.टी. –V और टार– IV
8	पटना विशेष	मेसर्स लारसन एण्ड टरबो लिमिटेड / 10010213082	2010–11	2374685	4749371	2374686	1246710	3621396	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III और ई.टी.–V
			2011–12	4678558	6039902	1361344	469663	1831007		
		मेसर्स बी.पी.सी.एल. /10010121223	2011–12	16554626	26487401	9932775	3426807	13359582	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III, आर.टी.–V, RT-III, RT-V, ई.टी.–V और ई.टी.–III
		मेसर्स कैसट्रोल इंडिया लिमिटेड / 10010118022	2010–11	78432419	80163399	1730980	882800	2613780	वस्तुओं के मुफ्त आपूर्ति पर समायोजन का दावा	आर.टी.–III, ई.टी –V और ट्रेडिंग एकाउन्ट
			2011–12	83726714	86235684	2508970	827960	3336930		

		मेसर्स हेवेल्स इंडिया लिमिटेड / 10010613013	2011–12	20560887	23243244	2682357	885178	3567535	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III, ई.टी –V और टार
		मेसर्स ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड / 10011253043	2011–12	13269098	17422235	4153138	1370535	5523673	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III और ई.टी –V
		मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड / 10010002010	2010–11	607633252	612757153	5123901	1729316	6853218	आयात की गई वस्तु बेची नहीं गयी किन्तु बर्बाद हो गई	आर.टी.–III, ई.टी –V और टार
			2011–12	684463270	693421042	8957772	3224798	12182570		
9	पटना पश्चिमी	मेसर्स रैमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड / 10145427016	2010–11	शून्य	11520759	11520759	5357153	16877912	वस्तुयें पुनः नहीं बेची गई या कार्य संविदा में उपभोग कर लिया गया	आर.टी.–III, ई.टी –V और ई.टी –III
			2011–12	शून्य	1648490	1648490	469819	2118309		
		मेसर्स दीप इलेक्ट्रीकल / 10140221212	2010–11	610522	1221043	610521	283892	894413	प्रवेश कर से वैट दर कम था	आर.टी.–III और ई.टी –V
			2011–12	335936	537498	201562	57445	259007		
कुल				**2033718611**	**2160391287**	**126672677**	**43032443**	**169705120**		

परिशिष्ट–VIII
(संदर्भ : कंडिका–2.3.17 (द्वितीय बुलेट)
मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरूद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत समायोजन के लिए उपयुक्त राशि	केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत लिया गया समायोजन	गलत समायोजन	ब्याज	कुल	अभियुक्ति
1	गया	मेसर्स दया इंजिनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमिटेड/10200373240	2010–11	शून्य	9639009	9612008	3460323	13072331	आदेश पत्र और सी.एस.टी. रिटर्न
			2011–12	शून्य	9063203	9063203	3398701	12461904	भुगतान किये गये सी.एस.टी. का विवरणी तथा आर.टी.–III और ई.टी.–V
			2012–13	शून्य	5953799	5953799	1160991	7114790	
2	पटना सिटी पूर्वी	मेसर्स दीना आयरन एण्ड स्टील/10060365283	2011–12	शून्य	798875	798875	251646	1050521	आर.टी.–III और सी.एस.टी. रिटर्न
3	समस्तीपुर	मेसर्स रामेश्वर जुट मिल्स/10420541027	2012–13	शून्य	1187314	1187314	249336	1436650	आर.टी.–III, ई.टी.–V और सी.एस.टी. रिटर्न
कुल					**26642200**	**26615199**	**8520997**	**35136196**	

परिशिष्ट–IX
(संदर्भ : कंडिका– 2.3.21.1)
अन्तर्राज्यीय सूचना का तिर्यक जाँच

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	वास्तविक क्रय / लेखांकित क्रय	सामग्री/दर	छिपाव	प्रवेश कर	अर्थदण्ड	कुल	अभियुक्ति
1	औरंगाबाद	मेसर्स शक्ति कन्सट्रक्शन/ 10170680085	2010–11	12516297 / शून्य	बिटुमिन/4	12516297	500652	1501956	2002608	मेसर्स आई.ओ.सी. एल. का बाहरी क्षेत्र से बिक्री के विवरणी के तिर्यक जाँच
2	भागलपुर	मेसर्स एन.टी.पी.सी./ 10521193271	2010–11	371673023 / 181395451	फरनेस आयल/8	190277572	15222205	45666617	60888822	
3	गया	मेसर्स एम.बी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर/ 10204859284	2010–11	18498312 / शून्य	बिटुमिन एण्ड फरनेस आयल/4 एवं 8	18498312	802501	2407504	3210005	
		मेसर्स एस. एण्ड पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर/ 10205499047	2010–11	26388336 / शून्य	बिटुमिन/4	26388336	1055533	3166600	4222133	
		मेसर्स शीतल प्रसाद कन्सट्रक्शन/ 10204196010	2010–11	2359813 / शून्य	बिटुमिन/4	2359813	94392	283177	377569	
		मेसर्स नितिश कोल डिपो/ 10206938094	2013–14	32947658 / शून्य	कोल/5	32947658	1647383	4942149	6589532	झारखण्ड के अंकड़ों से तिर्यक जाँच
		मेसर्स महावीर कोल ट्रेडर्स/10210135017	2013–14	3338890 / शून्य	कोल/5	3338890	166944	500833	667777	

4	पाटलीपुत्र	मेसर्स के.पी.एस. स्ट्रक्चर / 10050800046	2010–11	8192795 शून्य	बिटुमिन / 4	8192795	327712	983136	1310848	मेसर्स आई.ओ.सी. एल. का बाहरी क्षेत्र से बिक्री के विवरणी के तिर्यक जाँच
5	पटना सेन्ट्रल	मेसर्स माँ भगवती कन्सट्रक्शन / 10153846083	2010–11	1203910 शून्य	बिटुमिन / 4	1203910	48156	144469	192625	
		मेसर्स सी.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड / 10153042244	2010–11	5837216 शून्य	बिटुमिन / 4	5837216	233488	700466	933954	
		मेसर्स बादल युवराज कन्सट्रक्शन प्रा. लिमिटेड / 1015252013	2010–11	5931629 शून्य	बिटुमिन / 4	5931629	237265	711795	949060	
6	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स सी.जेड.ए.आर. कन्सट्रक्शन / 10081161016	2010–11	3250124 शून्य	बिटुमिन / 4	3250124	13005	39015	52020	
7	पूर्णियाँ	मेसर्स बाबा कन्सट्रक्शन / 10492453044	2010–11	8307083 शून्य	बिटुमिन / 4	8307083	332283	996849	1329132	
		मेसर्स भाई कन्सट्रक्शन / 10493002064	2010–11	1229311 शून्य	बिटुमिन / 4	1229311	49172	147517	196689	
कुल				**501674397** **181395451**		**320278946**	**20730691**	**62192083**	**82922774**	

परिशिष्ट–X
(संदर्भ : कंडिका– 2.5)
तालिका–I
बिक्री आवर्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	सामग्री दर (प्रतिशत में)	वास्तविक बिक्री	लेखांकित बिक्री	मूल्य का छिपाव	कर	ब्याज 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से अर्थदण्ड	कुल	जहाँ पायी गई अन्तर
1	दानापुर	मेसर्स बाल मुकुंद कान्कास्ट लिमिटेड/ 10040196073	2011–12	टी.एम.टी./बार 4 एवं 5	1493710740	1462242668	31468072	1573403	306813 4720209	6600425	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III) और लाभ/हानि खाता
2	गया	मेसर्स इम्पेरियल एसोसियेट्स/ 10203045008	2009–10 और 2010–11	बालू 4	58842601	48898025	9944576	शून्य	शून्य 1193349	1193349	कर निर्धारण आदेश और मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III)
3	कदमकुआँ	मेसर्स हिन्दुस्तान पेन्सिल प्रा. लिमिटेउ/ 10131465022	2011–12	लेखन सामग्री 5	147245326	139183526	8061800	403090	108834 1209270	1721194	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी..–III) और टी.ए.आर.–IV, टी.ए.आर.
4	मुंगेर	मेसर्स ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कं. लिमिटेड/ 10562831003	2010–11	वैट योग्य सामग्री 4	653109830	494745263	158364567	6334583	2185431 19003749	27523763	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III) और मूल्यवर्द्धित कर का संशोधित त्रैमासिक रिटर्न (आर.टी.–V)
5	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स रॉयल गोदावरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड/ 10313756020	2011–12	बालू, धातु इत्यादि 5	22410548	5711637	16698911	834946	263008 2504838	3602792	टार –I के बिक्री राशि के साथ दूसरे व्यवसायी के त्रैमासिक रिटर्न के बॉक्स–सी के क्रय राशि का तिर्यक जॉच
6	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन लिमिटेड/ 10305071063	2010–11	वैट योग्य सामग्री 4 एवं 12.5	1164697141	364911015	799786126	37212449	12838295 111637347	161688091	बिक्री के साथ एन.एच.ए.आई. द्वारा निर्गत स्रोत पर कटौती प्रमाण–पत्र (सी–II) का तिर्यक जॉच

7	पाटलीपुत्र	मेसर्स एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स लिमिटेड / 10050013055	2010–11	आई.टी.प्रोडक्ट 4	1349130246	1306167949	42962297	1718492	902208 5155476	7776176	बिक्री के साथ दूसरे अंचल में निबंधित 11 व्यवसायियों के क्रय राशि का तिर्यक जॉच
			2011–12	आई.टी. प्रोडक्ट 5	3288446896	3228009242	60437654	3021883	1042549 9065649	13130081	
		मेसर्स शानडंग वैचेन हॉपेग पावर प्रा. लिमिटेड / 10050821051	2010–11	वैट योग्य सामग्री 12.5	168702850	119493147	49209703	6151213	3183252 18453639	27788104	सी–II, बिक्री विवरणी और आर.टी.–III
			2011–12	वैट योग्य सामग्री 13.5	199715765	117607248	82108517	11084650	3824204 33253950	48162804	सी–II, बिक्री विवरणी और आर.टी.–III
8	सासाराम	मेसर्स ई.सी.एल. इंजिनियरिग एण्ड कन्सट्रक्शन कं. लिमिटेड / 10244247019	2010–11	वैट योग्य सामग्री 4 एवं 12.5	116989490	84010552	32978938	1439135	शून्य 4317405	5756540	आर.टी.–III और टी.ए. आर– IV ब्याज नहीं आरोपित किया गया चूँकि अग्रिम कर (टी. डी.एस.) की कटौती पूर्व में ही कर ली गई थी
कुल					**8663001433**	**7370980272**	**1292021161**	**69773844**	**25847943** **209321532**	**304943319**	

तालिका–II

क्रय आवर्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	सामग्री/दर (प्रतिशत में)	वास्तविक क्रय	लेखांकित क्रय	मूल्य का छिपाव	कर	ब्याज अर्थदण्ड	कुल	जहाँ पायी गई अन्तर
1	गया	मेसर्स बाबा कम्प्युटर/ 10202077045	2010–11	कम्प्युटर और कम्प्युटर पार्टस/4	1248148	501173	746975	29879	10756 89637	130272	डी.–IX और मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III)
2	हाजीपुर	मेसर्स नटराज इंजिनियरिंग प्रा. लिमिटेड/ 10290413005	2009–10	सिमेंट, तार इत्यादि/4 और 12.5	201296337	163198910	38097427	4762178	2357278 14286534	21405990	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III) और लाभ/हानि खाता
3	किशनगंज	मेसर्स जी.पी. इंटरप्राईजेज/ 10471607158	2010–11	कोयला/4	15797043	98960	15698083	627924	277856 1883772	2789552	व्यवसायी के प्रपत्र 'सी' के उपयोगिता विवरणी में दर्शायी गई क्रय राशि के साथ असम राज्य से प्राप्त प्रपत्र 'सी' का तिर्यक जॉच
			2011–12		7538502	शून्य	7538502	301540	79154 904620	1285314	
		मेसर्स जे.एस.पी. ट्रेडर्स/ 10471609140	2010–11 और 2011–12	कोयला/4	40162767	95624	40067143	1602685	244425 4808055	6655165	
4	पटना विशेष	मेसर्स ओ.सी.एल. इंडिया लिमिटेड/ 10010531048	2010–11	सिमेंट/12.5	1763897808	1741308196	22589612	2823701	1037710 8471103	12332514	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III) और 'एफ' फार्म
		मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड/ 10010002010	2010–11	सिमेंट/12.5	5274564538	4512633567	761930971	95241371	32143963 285724113	413109447	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III), टी.ए.आर. और प्रवेश कर का वार्षिक रिटर्न
कुल					**7304505143**	**6417836430**	**886668713**	**105389278**	**36151142 316167834**	**457708254**	

सारांश

(राशि ₹ में)

तालिका	शीर्षक	वास्तविक बिक्री/क्रय	लेखांकित बिक्री/क्रय	मूल्य का छिपाव	कम भुगतान		
					कर	ब्याज अर्थदण्ड	कुल
I	बिक्री आवर्त	8663001433	7370980272	1292021161	69773844	25847943 209321532	304943319
II	क्रय आवर्त	7304505143	6417836430	886668713	105389278	36151142 316167834	457708254
कुल		**15967506576**	**13788816702**	**2178689874**	**175163122**	**61999085** **525489366**	**762651573**

परिशिष्ट–XI
(संदर्भ : कंडिका– 2.6)
अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.)

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	क्रय मूल्य जिसपर आई.टी.सी.का उपभोग किया गया	आई.टी.सी.का उपभोग किया गया	वास्तविक हकदारी	आई.टी.सी. का अधिक उपभोग	अर्थदण्ड ब्याज	कुल	अनियमितताओं की प्रकृति
1	भागलपुर	मेसर्स अभिजीत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड/10525902009	2011–12	37981475	7651304	2139978	5511326	16533978 1818737	23864041	आर.टी.–III में दर्शाया गया अंतर्राज्यीय क्रय पर इनपुट टैक्स से अधिक आई.टी.सी. का लाभ लिया
2	गया	मेसर्स विजेता कन्सट्रक्शन/ 10202977011	2010–11	8689333	2425587	1086167	1339420	4018260 502282	5859962	दो व्यवसायियों के क्रय विक्रय राशि के तिर्यक जॉच के कारण अधिक आई.टी.सी.
3	पटना विशेष	मेसर्स दीपक वेजप्रो प्रा. लिमिटेड/ 10010526004	2010–11	126918373	5134006	5064142	69864	209592 24103	303559	रिवर्स क्रेडिट की गणना नहीं किये जाने के कारण अधिक आई.टी.सी.
		मेसर्स एच.पी.सी.एल. बायोफ्युल्स लिमिटेड/10010909035	2010–11	599017841	70992491	1148478	69844013	209532039 24096184	303472236	कंज्यूमेवल्स, एस्पेयर पार्टस और इलैक्टिकलस फिटिंगस पर आई.टी.सी लिया
		मेसर्स डेल्को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड/ 10010968086	2011–12	84564949	6202991	6051023	151968	455904 52428	660300	कैपिटल गुड्स पर गलत आई.टी.सी. लिया जाना
		मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रीक्ल लिमिटेड/ 10010994046	2011–12	25621021	3114655	2308800	805855	2417565 265932	3489352	एक ही अंचल में निबंधित दूसरे व्यवसायी के विक्रय राशि से क्रय राशि में अंतर
4	पटना पश्चिमी	मेसर्स होटल सम्राट इंटरनेशनल/ 10140296096	2011–12	1412920	182580	93818	88762	266286 25297	380345	एल.सी.डी. को कैपिटल गुड्स मानते हुए गलत आई.टी.सी. लेना।
कुल				**884205912**	**95703614**	**17892406**	**77811208**	**233433624** **26784963**	**338029795**	

परिशिष्ट–XII
(संदर्भ : कंडिका– 2.7)
कर का गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	समग्री	आरोप्य/आरोपित कर का दर (प्रतिशत में)	राशि, जिस पर अन्तर दर आरोपित किया जाना है।	कर	ब्याज अर्थदण्ड	कुल
1	हाजीपुर	मेसर्स जी.एन.सी. फेब्रिक प्रा. लिमिटेड/ 10294855023	2011–12	जीवन रक्षक जैकेट्स	13.5/5	4499476	382455	80315 1147365	1610135
2	मुंगेर	मेसर्स डिप्युटि चीफ मेटेरियल मैनेजर/ 10560255074	2011–12	अनुसूची-III सामग्री	5/4	13814228	138142	41443 414426	594011
3	पाटलिपुत्रा	मेसर्स टायटन कम्पनी लिमिटेड/10050028090	2009–10	धूप का चश्मा	13.5/5	16692288	1418844	957720 4256532	6633096
			2010–11	तथैव	13.5/5	29577689	2514104	1244480 7542312	11300896
			2011–12	तथैव	13.5/5	29356475	2495300	786020 7485900	10767220
4	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स उषा वेल्ड्स लिमिटेड/10080269198	2011–12	वेल्डिंग इलेक्ट्रोड	5/4	46381116	463811	139143 1391433	1994387
5	पटना विशेष	मेसर्स पीडीलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ 10010214052	2011–12	एस्फाल्टिक रूफिंग टेर्चेल्ड	13.5/5	13481621	1145938	395348 3437814	4979100
6	पूर्णियाँ	मेसर्स सिंह कन्सट्रक्शन/ 10492311036	2009–10	बेड मिसाइल और पेन्टस	12.5/4	13620591	1157750	625185 3473250	5256185

7	रक्सौल	मेसर्स डनकेन हॉस्पिटल / 10320468067	2009–10	सर्जिकल सामग्री	12.5 / 0	2381447	297681	125026 893043	1315750
8	सासाराम	मेसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड / 10241669050	2009–10	रोड मार्किंग मेटेरियल और मेटल क्रास बैरियर	12.5 / 4	5696509	484203	181576 1452609	2118388
कुल						**175501440**	**10498228**	**4576256** **31494684**	**46569168**

परिशिष्ट–XIII
(संदर्भ : कंडिका– 2.8)
कटौतियों की गलत अनुमति

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	अमान्य कटौती का मद	दर (प्रतिशत में)	ऐसी कटौती की राशि	अनुमान्य कटौती	स्वीकृत अधिक कटौती जिसपर कर आरोप्य है	दावा/स्वीकृत अधिक कटौती पर कर	अभिलेख देखे गए
1	जमुई	मेसर्स सुदेश कुमार सिंह एण्ड कं./ 10540663014	2010–11	स्थापना और अन्य खर्चे एवं सामग्री पर लाभ	4 और 12.5	147046036	114357807	32688229	1974369	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III) और लाभ हानि खाता
			2011–12	तथैव	5 और 13.5	152195598	121708424	30487174	2327696	तथैव
2	कटिहार	मेसर्स अशोक कुमार चौधरी/ 10450682031	2010–11	सकल लाभ और स्थापना एवं अन्य खर्चे	4 और 12.5	18988110	15100264	3887846	254654	तथैव
		मेसर्स राज कन्सट्रक्शन/ 10452554034	2010–11	तथैव	4 और 12.5	19242195	14174800	5067395	311498	तथैव
3	मुंगेर	मेसर्स ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसोप कन्सट्रक्शन कं. लिमिटेड/10562831003	2011–12	स्थापना खर्च एवं सकल लाभ और सामग्री	4, 5 और 13.5	1265923976	1217375333	48548643	2531812	तथैव
4	मुजफ्फरपुर पूर्वी	मेसर्स बी.एस.सी.सी. एण्ड सी.जे.भी./ 10310938011	2011–12	सकल लाभ	4, 5 और 13.5	830782251	659299184	171483067	9680219	आर.टी.–III, मजदूरी और सेवाओं की आपूर्ति का वार्षिक विवरणी टी.ए.आर.–IV
5	मुजफ्फरपुर पश्चिमी	मेसर्स प्रोग्रेसिव कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड/10305071063	2009–10	स्थापना और प्रशासनिक खर्चे और सकल लाभ	4 और 12.5	1167607325	864382509	303224816	16935865	आर.टी.–III, टी.ए.आर.–IV मजदूरी और सेवाओं की आपूर्ति का विवरणी
6	पाटलीपुत्र	मेसर्स नागार्जुन कन्सट्रक्शन कं. लिमिटेड/ 10050188043	2010–11	मोबलाइजेशन अग्रिम	4 और 12.5	1517332190	1499632190	17700000	1038990	निर्धारण आदेश
7	पटना सेन्ट्रल	मेसर्स बाबा हंस कन्सट्रक्शन (प्रा.) लिमिटेड/ 10154645070	2011–12	सामग्री पर लाभ	5 और 13.5	239738421	226174486	13563935	712649	आर.टी.–III लाभ हानि खाता

		मेसर्स कमलादित्या कन्सट्रक्शन (प्रा.) लिमिटेड / 10152986024	2011–12	तथैव	4, 5 और 13.5	760953325	725897230	35056095	2170673	तथैव
8	पटना दक्षिणी	मेसर्स मदर इंडिया कन्सट्रक्शन प्रा. लिमिटेड / 10120984075	2010–11	स्थापना व्यय और लाभ तत्व	4 और 12.5	200725404	180653666	20071738	836991	आर.टी.–III / त्रैमासिक विवरणी और वार्षिक क्रय और विक्रय विवरणी
9	पटना विशेष	मेसर्स टेक्नो इलेक्ट्रीक एण्ड इंजिनियरिंग कं. लिमिटेड / 10010038094	2010–11	स्थापना व्यय और सकल लाभ	4 और 12.5	65857046	43179122	22677924	2828567	आर.टी.–III और लाभ हानि खाता
10	पूर्णियाँ	मेसर्स बिरत कन्सट्रक्शन्स / 10492355074	2010–11	स्थापना एवं अन्य व्यय और सामग्री पर लाभ	4 और 12.5	11187874	7397051	3790823	225743	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III) और लाभ हानि खाता
			2011–12	तथैव	5 और 13.5	11908255	7715765	4192490	227443	तथैव
11	सासाराम	मेसर्स ए.के. बिल्डर्स एण्ड कन्सट्रक्शन / 10240936021	2010–11	स्थापना एवं अन्य व्यय और सामग्री पर लाभ	4	29958620	14658216	15300404	612016	मूल्यवर्द्धित कर का वार्षिक रिटर्न (आर.टी.–III) और लाभ हानि खाता
		मेसर्स डी.बी.एस. कन्सट्रक्शन (प्रा.) लिमिटेड / 10240734067	2010–11	तथैव	4 और 12.5	96355218	82873433	13481785	573650	तथैव
			2011–12	तथैव	5 और 13.5	77081253	61689788	15391465	834987	तथैव
कुल						**6612883097**	**5856269268**	**756613829**	**44077822**	

परिशिष्ट–XIV
(संदर्भ : कंडिका– 2.11)
कर का कम भुगतान और ब्याज नहीं लगाया जाना

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम/टीन	वर्ष	देय प्रवेश कर	प्रवेश कर का भुगतान	कम भुगतान	लेखापरीक्षा तक ब्याज का गणना	कुल
1	गाँधी मैदान	मेसर्स सूर्या उद्योग/ 10111281082	2011–12	2989816	2135658	854158	281872	1136030
2	हाजीपुर	मेसर्स मुस्कान मार्बल/ 10292774082	2011–12	601015	486215	114800	20664	135464
3	कदमकुआँ	मेसर्स मोदी इंडस्ट्रीज 10130820069	2011–12	5290070	5199991	90079	24321	114400
		मेसर्स प्रोस्टार सर्विसेज एण्ड सेल्स प्रा0 लिमिटेड/ 10130847035	2011–12	257451	शुन्य	257451	69512	326963
4	पटना सिटी पश्चिमी	मेसर्स सम्राट ऑटोमोबाइल प्रा. लिमिटेड/ 1008204109	2011–12	3006579	1741345	1265234	379570	1644804
5	पटना विशेष	मेसर्स पाटलिपुत्रा इक्युप्मेन्ट प्रा. लिमिटेड/ 10010651037	2011–12	56485101	55309747	1175354	387867	1563221
		मेसर्स इसार स्टील लिमिटेड/ 10010955009	2011–12	6647764	5689416	958348	330630	1288978
6	शाहाबाद	मेसर्स आदित्या इंटरप्राइजेज/ 10160514097	2011–12	39217570	38965238	252332	49205	301537
		मेसर्स काला कोक एण्ड केमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड/ 10161635029	2010–11	3216907	450000	2766907	1162101	3929008
			2011–12	1994149	218000	1776149	346349	2122498
7	सीवान	मेसर्स देव मोटर्स/ 10353254067	2011–12	8116780	7574921	541859	97535	639394
कुल				**127823202**	**117770531**	**10052671**	**3149626**	**13202297**

परिशिष्ट –XV

(संदर्भः कंडिका 3.4.2.1)

शराब की आपूर्ति हेतु न्यूनतम दर को नहीं अपनाया जाना

(राशि ₹ में)

क्रम सं॰	निविदादाता	प्रक्षेत्र	वर्ष 2013–14 के लिए न्यूनतम गारंटी मात्रा (एल.पी.एल.)	200 मि.ली. बोतल की संख्या (एक एल.पी.एल = 12.5 बोतलें)	निविदित बेस मूल्य	निविदित मूल्य	अंतर राशि	न्यूनतम निविदित मूल्य	क्रम सं0 1 (एल.1 की तुलना में अंतर राशि) (6–9)	न्यूनतम निविदित दर की तुलना में कम भुगतान (10–8)	अदेय लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मेसर्स राणा सुगर लिमिटेड	बिहारशरीफ	62,35,680.154	7,79,46,001.925	5.78	3.69	2.09	3.69	2.09	0	0
2	मेसर्स टरिगर्स गुड्स प्रा0 लिमिटेड	सीवान	84,26,080.645	10,53,26,008.062	5.78	3.83	1.95	3.69	2.09	0.14	1,47,45,641
3	श्री संजय आर कुमार	मधुबनी	63,63,621.039	7,95,45,262.987	5.78	3.86	1.92	3.69	2.09	0.17	1,35,22,695
4	मेसर्स एस.सी. आई इंडिया लिमिटेड	भागलपुर	61,79,379.601	7,72,42,245.012	5.78	3.91	1.87	3.69	2.09	0.22	1,69,93,294
5	मेसर्स बिजय मेटज वकर्स	पूर्णियॉ	61,98,270.200	7,74,78,377.500	5.78	3.91	1.87	3.69	2.09	0.22	1,70,45,243
6	मेसर्स के एम सुगर मिल्स लिमिटेड	मोतिहारी	79,73,585.683	9,96,69,821.037	5.78	3.91	1.87	3.69	2.09	0.22	2,19,27,361
7	मेसर्स ऐली फुड प्रा. लिमिटेड	दरभंगा	51,48,925.259	6,43,61,565.737	5.78	4.05	1.73	3.69	2.09	0.36	2,31,70,164

8	मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी	मुजफ्फरपुर	63,02,649.434	7,87,83,117.925	5.78	4.07	1.71	3.69	2.09	0.38	2,99,37,585
9	मेसर्स स्पाइसी बीवेरेज	हाजीपुर	50,87,530.011	6,35,94,125.137	5.78	4.14	1.64	3.69	2.09	0.45	2,86,17,356
10	श्री हीतेश मेहता	सासाराम	83,75,227.452	10,46,90,343.15	5.78	4.16	1.62	3.69	2.09	0.47	4,92,04,461
11	मेसर्स शीपरा बीवेरेज	गया	72,22,564.423	9,02,82,055.287	5.78	4.29	1.49	3.69	2.09	0.60	5,41,69,233
12	पशुपतिनाथ डीस्टीलर प्रोडक्टीव लिमिटेड	भोजपुर	64,24,839.115	8,03,10,488.937	5.78	4.40	1.38	3.69	2.09	0.71	5,70,20,447
13	मेसर्स गलोबस स्पीरीट्स लिमिटेड	पटना नगर	87,51,000.000	10,93,87,500.000	5.78	4.54	1.24	3.69	2.09	0.85	9,29,79,375
14	मेसर्स दूनवेली डीस्टीलर	सहरसा	39,30,925.712	4,91,36,571.400	5.78	4.65	1.13	3.69	2.09	0.96	4,71,71,109
15	मेसर्स हिन्दुस्तान स्पीरीट्स लिमिटेड	बेगुसराय	46,06,572.204	5,75,82,152.550	5.78	4.66	1.12	3.69	2.09	0.97	5,58,54,688
16	मेसर्स कोऑपरेटिव कम्पनी लिमिटेड	नवादा	52,02,245.163	6,50,28,064.537	5.78	4.66	1.12	3.69	2.09	0.97	6,30,77,223
17	मेसर्स इएसबीजी बीवेरेज प्रा. लिमिटेड	पटना ग्रामीण	80,16,084.000	10,02,01,050.000	5.78	4.66	1.12	3.69	2.09	0.97	9,71,95,019
कुल			**11,04,45,180.095**	**1,38,05,64,751.800**							**68,26,30,894**

परिशिष्ट–XVI

(संदर्भः कंडिका–3.4.4.1)

उत्पाद दुकानों हेतु शराब की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का अनुचित निर्धारण

क्रम सं॰	उत्पाद जिलों का नाम /उत्पाद दुकानों की सं0	2010–11			2011–12			2012–13				
		न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	उठाव	अधिक उठाव	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	उठाव	अधिक उठाव	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	उठाव	अधिक उठाव	115 प्रतिशत से अधिक उठाव	15 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव के कारण राजस्व की हानि क्योंकि मात्र 50 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क लगाया गया है
भारत में निर्मित विदेशी शराब (एल.पी.एल. में)												₹ 150 का 50 प्रतिशत प्रति एल0पी0एल0
1	बेगुसराय 12	48000.00	126463.16	78463.16	60000.00	167236.31	107236.31	74100.00	189122.54	115022.54	103907.54	7793066
2	मधुबनी 20	80208.00	267457.90	187249.90	104760.00	342862.80	238092.80	131136.00	289264.00	158128.00	138457.60	10384320
3	पूर्वी चम्पारण 06	23400.00	75641.27	52241.27	31800.00	99781.52	67981.52	37080.00	87989.84	50909.84	45347.84	3401088
4	सुपौल 06	33132.00	84659.27	52227.27	41304.00	144783.46	103479.45	50784.00	92052.38	41268.38	33650.28	2523771
कुल		**184740**	**554221.6**	**370181.6**	**237864**	**754664.09**	**516790.08**	**293100**	**658428.76**	**365328.76**	**321363.26**	**24102245**

देशी शराब/मसालेदार देशी शराब (एल.पी.एल. में)												₹ 70 का 50 प्रतिशत प्रति एल0पी0एल0
5	औरंगाबाद 14	**126336.00**	**336435.90**	**210099.90**	**165312.00**	**353075.10**	**187763.10**	**235200.00**	**420924.20**	**185724.20**	**150244.20**	**5258547**
बीयर (बी.एल. में)												₹ 10 का 50 प्रतिशत प्रति एल0पी0एल0
6	बक्सर 5	5716.00	16261.30	10545.30	26505.60	64109.45	37603.85	33144.00	67629.24	34485.24	29513.64	147568
7	कैमुर (भभुआ) 2	1872.00	13864.85	11992.85	2808.00	5305.72	2497.72	8400.00	18331.70	9931.70	8671.70	43359
8	नालंदा (बिहारशरीफ) 18	17150.40	140972.30	123821.90	25920.00	68049.45	42129.45	33696.00	121852.00	88155.99	83101.59	415508
9	सुपौल 04	13176.00	69560.31	56384.31	19752.00	36615.73	16863.63	29592.00	65290.22	35698.29	31259.49	156297
10	किशनगंज 08	11688.00	40456.29	28768.29	17280.00	44501.20	27221.20	20736.00	78293.87	57557.87	54447.07	272235
कुल		**49602.40**	**281115.05**	**231512.65**	**92265.60**	**218581.55**	**126315.85**	**125568.00**	**351397.03**	**225829.09**	**206993.49**	**1034967**
कुल योग												**30395759**

नोटः सुपौल उत्पाद जिला में भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर की आपूर्ति के लिए तीन उत्पाद दुकानें समान थी।

परिशिष्ट–XVII
(संदर्भः कंडिका–3.4.4.2)
सम्पन्नता शर्तों का प्रावधान नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

उत्पाद जिला	वर्ष	ग्रुप सं0	दुकानों का नाम	मासिक लाइसेंस शुल्क	निरस्तीकरण की तारीख	बकाया जमानत राशि	बकाया लाइसेंस शुल्क	कुल बकाया राशि
पटना	2012–13	07	पी.एन.एन. सी.एस. 07	1112790	06.05.2012	1112790	1292272	2405062
			एन.पी.डी. फुलवारी सी.एस. 05					
			बी.एल.के. दनियांवा सी.एस.					
		13	पी.एन.एन. सी.एस. 13	1245860	06.05.2012	1245860	1446805	2692665
			एन.पी.टी. फतुहा सी.एस. 03					
			एन.पी.टी. फतुहा सी.एस. 04					
		14	पी.एन.एन. सी.एस. 14	1245860	06.05.2012	1245860	1446805	2692665
			एन.पी.टी. फतुहा सी.एस. 05					
			एन.पी.टी. फतुहा सी.एस. 06					
		18	पी.एन.एन. सी.एस. 18	972550	31.05.2012	972550	1913727	2886277
			एन.पी.टी. मोकामा सी.एस. 01					
			कम्पोजिट–04					
		21	पी.एन.एन. सी. एस. 21	884040	06.05.2012	884040	1026627	1910667
			कम्पोजिट–97					
			कम्पोजिट–98					

		60	पी.एन.एन. सी.एस. 60	585060	06.05.2012	585060	579424 (एक लाख रूपये के अग्रिम लाइसेंस शुल्क के समायोजन के बाद)	1164484
		71	पी.एन.एन. सी.एस. 71	585060	06.05.2012	585060	679424	1264484
		103	एन.पी.डी. बाढ़ सी.एस.–06	559730	06.05.2012	559730	650009	1209739
			कम्पोजिट–12					
			कम्पोजिट–32					
		117	एन.पी.डी. बाढ़ सी.एस.–08	549230	06.05.2012	549230	637815	1187045
			कम्पोजिट–18					
			कम्पोजिट–35					
		157	कम्पोजिट–48	149490	31.05.2012	149490	294158	443648
		159	कम्पोजिट–64	149490	31.05.2012	149490	294158	443648
	2013–14	36	पी.एन.एन. आई.एम.एफ.एल. 36	749000	11.05.2013	749000	990613	1739613
		136	पी.एन.एन. सी.एस. 46	918000	11.05.2013	918000	1214129	2132129
		182	एन.पी.डी. फुलवारी सी.एस. –01	1100500	02.05.2013	1100500	1136000	2236500
			एन.पी.डी. फुलवारी आई.एम. एफ.एल.–01					
			एन.पी.डी. फुलवारी आई.एम. एफ.एल.–02					
		193	एन.पी.डी. फुलवारी सी.एस.–12	626440	10.07.2013	626440	1961190 (एक लाख रूपये के अग्रिम लाइसेंस शुल्क के समायोजन के बाद)	2587630
			कम्पोजिट–56					

		194	एन.पी.डी. मोकामा सी.एस.–01 एन.पी.डी. मोकामा आई.एम. एफ.एल.–01 एन.पी.डी. मोकामा आई.एम. एफ.एल.–02	1151520	11.05.2013	1151520	1522978	2674498
		198	एन.पी.डी. मोकामा सी.एस.–05 कम्पोजिट–90	626440	02.05.2013	626440	646648	1273088
		209	एन.पी.डी. बाढ़ सी.एस.–07 बी.एल.के. हेड. दनियांवा सी. एस.–01 बी.एल.के. हेड. दनियांवा सी. एस.–02	990000	02.05.2013	990000	821935 (दो लाख रूपये के अग्रिम लाइसेंस शुल्क के समायोजन के बाद)	1811935
		224	एन.पी.टी. बख्तियारपुर सी.एस. –06 एन.पी.टी. फतुहा सी.एस.–08 एन.पी.टी. खुसरूपुर आई.एम. एफ.एल. सी.एस.–01	1194160	02.05.2013	1194160	1232681	2426841
		230	एन.पी.टी. फतुहा सी.एस.–04 एन.पी.टी. फतुहा आई.एम.एफ. एल. –04	726000	13.05.2013	726000	281032 (₹ 7,26,000 के अग्रिम लाइसेंस शुल्क के समायोजन के बाद)	1007032
		235	एन.पी.टी. मनेर सी.एस.–03 एन.पी.टी. मनेर सी.एस.–04 एन.पी.टी. मनेर आई.एम.एफ. एल. –02	1130850	03.06.2013	469580	1206240 (₹ 11,30,850 के अग्रिम लाइसेंस शुल्क के समायोजन के बाद)	1675820

		239	बी.एल.के. हेड. दुल्हिनबाजार सी.एस.	753940	02.05.2013	753940	778261	1532201
			बी.एल.के. हेड. दुल्हिनबाजार आई.एम.एफ.एल.					
			कम्पोजिट–28					
		246	बी.एल.के. हेड. धनरूआ आई. एम.एफ.एल.	195000	02.05.2013	195000	201290	396290
		260	कम्पोजिट–64	207400	11.05.2013	207400	274303	481703
		262	कम्पोजिट–73	225940	11.05.2013	225940	298824	524764
		263	कम्पोजिट–77	208900	10.07.2013	208900	687348	896248
कुल				**18843250**		**18181980**	**23514696**	**41696676**